द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३३

गुरुवार, ३० मार्च, १९६१
९ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३–अंक ३१–४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७ .	३६५६–६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६६३–६५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६६५–६६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन . .	३६६६–६७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य .	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा . .	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२) . .	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित .	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७ . .	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . .	३६०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३६०८-०६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . .	३६०६
अनुदानों की मांगें	३६०६-५५
निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	३६०६-३३
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . .	३६३४-५५
बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . .	३६५५-५७
दैनिक संक्षेपिका	३६५८-६१
अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १६६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ .	३६६३-८७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२	३६८७-८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . .	३६८८-६७
अतारांकित प्रश्न संख्या २५५६ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६	३६६७-४०३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . .	४०३४-३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०३६
राज्य सभा से सन्देश	४०३७
न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	४०३७
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन .	४०३७
रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . .	४०३८-३६

विषय सूची पृष्ठ

सभा का कार्य ४०४०

अनुदानों की मांगें . . . . . ४०४०—८०

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ४०४०—७६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . . . ४०७७—८०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति

इकासीवां प्रतिवेदन . . . ४०८१

समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प . ४०८१—९४

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . ४०९४—९७

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . . . . ४०९४—९७

श्री शि० ला० सक्सेना ४४९७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४०९८—४१०४

अंक ३५—सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२ . . . . ४१०५—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . ४१२९—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४ . . . . . . ४१३१—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५ . . . ४१३८—६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति . . . . . . ४१६४—६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना . . . ४१६७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४१६७—६८

राज्य-सभा से सन्देश ४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया . . ४१६८

विषय-सूची	पृष्ठ
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	४१६८
लोक-लेखा समिति . . .	४१६८
पैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तीसवां प्रतिवेदन	४१६६
अनुदानों की मांगें	४१६६–४२११
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४१६६–४२१२
दैनिक संक्षेपिका	४२१२–१७

अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १६६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ .	४२१९–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५	४२४५–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . .	४२५२–७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . .	४२७८
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४२७८–७९
राज्य सभा से सन्देश	४२७९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	४२७९
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन .	४२७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तेईसवां प्रतिवेदन	४२७९
सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . .	४२८०–८१
विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में	४२८१–८२
अनुदानों की मांगें	४२८२–४३२७
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४२८२–४३३४
दैनिक संक्षेपिका	४३३५–३९

पृष्ठ

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १९६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३९१, १३९४, १३९५ और १३९७ से १३९९ . . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३९२, १३९३, १३९६ और १४०० से १४०३ . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८९२ से २८९९, २९०१ से २९१६ और २९१८ से २९७२ . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कठुआ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन .	४६७४
अनुपस्थिति की अनुमति	४६७४–७५
समितियों के लिये निर्वाचन	४६७५–७६
१. प्राक्कनल समिति	४६७५
२. लोक लेखा समिति	४६७५–७६
लोक लेखा समिति—	
राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . .	४६७७
अनुदानों की मांगें	४६७७—४७०६
परिवहन तथा संचार मंत्रालय	४६७७—८१
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	४६८१—४७०६
तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	
विचार करने का प्रस्ताव	४७०७—१९
हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) विधेयक—	
(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . .	४७१९—२१
विचार करने का प्रस्ताव	४७१९—२१
आधे घंटे की चर्चा	४७२१—२६
दैनिक संक्षेपिका	४७२७—३३

अंक ४०—सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२	४७३५—५५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४	४७५६–५७
प्रश्नो के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२	४७५७—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . .	४७६५—९२
निधन सम्बन्धी उल्लेख . . .	४७९२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	४७९२
कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य . . .	४७९२–९३
जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य .	४७९३–९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ३० मार्च, १९६१

९ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्माण

†११९९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों के निर्माण पर नियंत्रण करने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : औषध अधिनियम के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधों के नियंत्रण का प्रस्ताव अभी सरकार के परीक्षणाधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में निर्णय करने में इतनी देरी होने के कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

श्री करमरकर : कारण यह है कि हम ने इस सम्बन्ध में जो पहले ही निर्णय किया है, उसको पन्द्रह राज्यों को भेज दिया गया है । चूंकि यह एक कन्करेंट लेजिस्लेशन है और राज्यों से कनसल्टेशन करना होता है, इसलिये इस बारे में देरी हो रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर विचार किया है कि इस तरह की मिश्रित और खराब दवाइयों को हटाने के लिये यह भी आवश्यक है कि केन्द्र या राज्य सरकारों की ओर से प्रमाणित औषधियों का उत्पादन स्वयं किया जाये ? तो क्या इस समस्या को इस तरीके से भी हल करने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार किया गया है ?

श्री करमरकर कहीं कहीं औषधियों का मिश्रण होता है और उनको रोकने के लिये यह आवश्यक है कि हम भी शुद्ध चीजें निर्माण कर सकें । वह एक अलग बात है । फिर भी अशुद्ध औषधियों को रोकने के लिये इस की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : हमारे हिन्दुस्तान की एक **स्टेट जम्मू तथा काश्मीर स्टेट में आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां तैयार करने के लिये एक बहुत बड़ा औषधालय बनाया गया है और उन औषधियों की बहुत ज्यादा सेल भी होने लगी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन से शिक्षा लेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि यह काम जल्दी किया जाये।

श्री करमरकर : यह प्रश्न साफ़ है, लेकिन यह इस से नहीं निकलता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या सरकार ड्रग्ज़ के अलावा आसव और अरिष्ट को भी कंट्रोल करना चाहती है।

श्री करमरकर : जी हां। सब आयुर्वेदिक औषधियां कंट्रोल के बाहर हैं। जनता के हित की दृष्टि से उन पर कंट्रोल करना उचित है।

श्री रा० स० तिवारी : क्या आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की जांच करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त की गई है या नहीं ?

श्री करमरकर : मुझे मालूम नहीं है कि जांच करने के माने क्या हैं। हमारे पास इत्तिला है कि आज-कल आयुर्वेदिक दवाओं में कभी कभी अशुद्धि होती है, जिस को रोकना आवश्यक है, जैसे, यदि कोई अजवायन लेना चाहे, तो उस में भी मिलावट पाई जाती है। आयुर्वेदिक औषधियां जितनी हद तक शुद्ध हो सकें, उतना ही अच्छा है।

श्री रा० स० तिवारी : आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के सम्बन्ध में अंग्रेजी दवाओं के विषय में जानने वालों को नियुक्त किया गया है। उनको इसकी क्या जानकारी हो सकती है ?

श्री करमरकर : यह सवाल अलग है, लेकिन माननीय सदस्य जो कहते हैं, वह ठीक नहीं है।

†**श्री गोरे** : माननीय मंत्री जानते होंगे कि सरकारी निगमों ने पेनिसिलिन जैसी दवाएं तैयार करना शुरू कर दिया है और तब से दाम बहुत घट गये हैं। तो अब स्टैन्डर्ड आयुर्वेदिक या यूनानी दवाएं स्वतः तैयार करने में सरकार के सामने क्या रुकावटें हैं, क्योंकि उस हालत में कीमतें नीची रखी जा सकती हैं ?

†**श्री करमरकर** : ठीक है, हम उस आधार पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं, एक बड़ी भारी मशीनरी स्थापित करने का प्रश्न है। अभी फिल-हाल संसाधन तथा उस चीज की तुरन्त आवश्यकता के सिवा और कोई रुकावट हमारे सामने नहीं है। लेकिन अभी हमारी कोशिश यह है कि कुछ स्टैन्डर्ड कायम किये जायें और इस ओर ध्यान दिया जाये कि किसी भी हालत में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाऐं बिलकुल ठीक ठीक उन्हीं स्टैन्डर्ड के मुताबिक हों। मुख्य प्रयत्न यही है।

†**श्री गोरे** : मेरा प्रश्न यह था कि विभिन्न कारखानों में दवाओं के उत्पादन के बाद उन पर नियंत्रण रखने के बजाय, क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि सरकार खुद बाजार में उतरे ताकि स्टैन्डर्ड कायम रखे जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

**अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : संपूर्ण औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना सरकार की निश्चित नीति नहीं है, यद्यपि मेरे विचार से वह अच्छा हो सकता है और वह कुछ समय बाद होगा। अभी हमारे अधीन एक पेनिसिलिन फैक्टरी है। यह भी विचार है कि सरकारी क्षेत्र में औषधि तथा चीर-फाड़ संबंधी वस्तुओं के उत्पादन के कुछ कारखाने स्थापित किये जायें। अभी फिलहाल आयुर्वेदिक औषधियों की लागत १० से १५ करोड़ रुपये से कम नहीं है और यह स्पष्ट है कि उनका उत्पादन शुरू करना असंभव है। वर्तमान प्रयत्न तो इतना ही है कि कुछ स्टैन्डर्ड कायम किये जायें और जहां तक संभव हो, अशुद्ध आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं का उत्पादन और वितरण रोका जाये। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र इस उद्देश्य से सहमत होंगे।

†श्री तंगामणि : आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में १९५८ में एक रिपोर्ट पेश की गयी थी और हमें यह बताया गया था कि सरकार उस पर विचार कर रही है। क्या सरकार ने इस विषय पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो क्या वह रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

†श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र किस रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं ? मैं पहला भाग नहीं समझा।

†श्री तंगामणि : १९५८ की रिपोर्ट।

†श्री करमरकर : १९५८ तो वर्ष है। लेकिन वह रिपोर्ट कौन सी है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं ?

†श्री तंगामणि : आयुर्वेदिक पद्धति के कार्य के बारे में।

†श्री करमरकर : यह मालूम करने के लिये वर्ष १९५८ में क्या हुआ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि मेरे माननीय मित्र यह बता सकें कि कौन सी रिपोर्ट वह चाहते हैं, तो उसे सभा पटल पर रखने में यदि संभव हो, तो मुझे खुशी होगी।

†श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि अपने माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह की सहमति से सुझाव दे सकता हूं कि यह बात कि * * * * * जो उन्होंने कही निकाल दी जाये ?

†श्री रघुनाथ सिंह : वहां केवल ४० लाख जनसंख्या है।

श्री जयपाल सिंह : माननीय समस्य ने उस को **स्टेट कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : किस के बारे में ? जम्मू एंड काश्मीर।

†श्री रघुनाथ सिंह : वहां की जनसंख्या केवल ४० लाख है और हम चालीस करोड़ हैं।

श्री जयपाल सिंह : माननीय सदस्य ने यह कहा कि काश्मीर ने यह किया, वह किया आप क्यों नहीं करते और इस संबंध में उन्होंने काश्मीर को **स्टेट कहा।

†श्री रघुनाथ सिंह : मेरा मतलब छोटे संसाधनों से है।

---

†मूल अंग्रेजी में

* * * * अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया

†अध्यक्ष महोदय : लोग इस को गलत समझते हैं। एक छोटी चिनगारी ही पूरे घास के गट्ठे में आग लगाने के लिए काफी है। इसलिए * * * * स्टेट न हो। उसे निकाल दिया जाये। उस में कोई नुकसान नहीं है। वह "जम्मू और काश्मीर राज्य" ही रहे।

†श्री गोरे : मैं नहीं समझता कि वह अपमानजनक अर्थ में कहा गया था। * * *। वास्तव में वह काश्मीर के लिए एक सम्मान था।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है। वह "कश्मीर राज्य भी" रहे। हम जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। इन बातों के बारे में दूसरे लोगों की राय अलग होती है।

†श्री रघुनाथ सिंह : वह एक उपमा थी।

†अध्यक्ष महोदय : * * * अभिलेख में नहीं रहेगा।

रजिस्ट्री आफ पैथोलोजी[1]

†*१२००. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में रजिस्ट्री आफ पैथोलोजी (व्याधिकी संग्रहालय) स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह सवाल असोसियेशन आफ पैथोलाजिस्टस् ऑफ इंडिया को राय जानने के लिए भेजा गया है। 'रजिस्ट्री' के सफलतापूर्वक चलने के लिए उसका सहयोग महत्वपूर्ण समझा जाता है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस संबंध में नियुक्त कार्यवाही दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ?

†श्री करमरकर : इस सवाल पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने, जिस के तत्वावधान में यह शुरू किया जाने वाला है, काफी विचार किया है और ५ अप्रैल, को प्रशासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) की बैठक की कार्य सूची में भी यह विषय रखा गया है ?

†श्री रामकृष्ण गुप्त : इस कार्यकारी दल ने मुख्यत: कौन कौन सी सिफारिशें पेश की हैं ? क्या उस ने इस बारे में विधान लागू करने की भी सिफारिश की है ?

†श्री करमरकर : किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में नियुक्त कार्यकारी दल की सिफारिशों पर वैज्ञानिक मंत्रणा बोर्ड ने विचार किया था और उस ने यह निश्चय किया कि पंजीयन कार्यक्रम के संगठन और उसके रूप तथा तैयार की गयी योजना संबंधी सिफारिशें पहले असोसियेशन ऑफ पैथोलाजिस्टस् ऑफ इंडिया को भेज दी जायें। उद्देश्य यह था कि कार्यकारी दल सामान्यतया पैथोलाजी संबंधी अनुसंधान की कल्पना स्वीकार करता है।

****अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया

†मूल अंग्रेजी में

[1]Registry of Pathology.

†श्री दी० चं० शर्मा : चिकित्सा की कई शाखायें हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि पैथोलाजी के लिए ही एक अलग पंजीयन कार्यालय की एक ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

†श्री करमरकर : पैथो का अर्थ है रोग और लाजी का अर्थ है ज्ञान । कल्पना यह है कि भारत के सभी भागों से रोगों के प्रतिनिधि रूप नमूने एक जगह इकट्ठे किये जायें जो अनुसंधान विद्यार्थियों और छात्रों के लिये काम आ सकें। इसलिए यह कई पहलुओं में से एक महत्वपूर्ण पहलू है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या चिकित्सा से संबंधित अन्य विषयों के लिए भी इसी तरह के पंजीयन कार्यालय खोलने का सरकार का विचार है ?

†श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न ज्ञान की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है । मैं नहीं कहता कि ....

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री सदा ही प्रश्नों को बड़े छिछले ढंग से समझते हैं।

†श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य पर चोट नहीं करना चाहता था (अन्तर्बाधा) ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री "जानकारी की कमी" कहें।

†श्री करमरकर : जी हां, जानकारी की कमी । ज्ञान विस्तृत शब्द है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह जानकारी की कमी नहीं है । मेरी कुछ जानकारी हो सकती है । जानकारी देना माननीय मंत्री पर निर्भर है । अन्यथा यहां मंत्री किस लिए हैं ? मेरे पास चाहे जो जानकारी हो या न हो, यह बताने से कोई लाभ नहीं है कि मुझे जानकारी कम है । मैं प्रार्थना करता हूं कि यह बात सभा की कार्यवाही से निकाल दी जाये। (अन्तर्बाधा) ।

†श्री करमरकर : इससे कोई नुकसान नहीं होता और इसे वापस ले लेने में कोई नुकसान नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य हर चीज जानते हैं ।

†श्री करमरकर : मुझे विश्वास है कि हममें से कोई भी यहां हर चीज नहीं जानता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : जानकारी देना मंत्री का काम है । जानकारी मांगने में मेरे लिए कौन सी रुकावट है ? वह यह कह सकते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है लेकिन जानकारी देना उनका काम है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री माननीय सदस्य श्री शर्मा का आशय आसानी से समझ सकते थे, यद्यपि वे "ज्ञान की कमी" शब्दों का प्रयोग न करते .....

†श्री करमरकर : कठिनाई यह है कि मैंने उनका आशय समझा है। वह यह जानते हैं। प्रश्न का उत्तर यह है कि .....

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मैं इस सभा के अनेक सदस्यों की ओर से आप से संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री कभी भी प्रश्नों को गंभीरता से नहीं समझते और नहीं गंभीरता से उनका उत्तर देते हैं। जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहता है वे उसका मजाक उड़ाते हैं।

†श्री करमरकर : इन सामान्य बातों के अलावा जिनसे कोई मतलब हल नहीं होगा, मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वे एक भी ऐसा उदाहरण दें जहां जानकारी न दी गयी हो। ऐसा होता है कि एक हल्का प्रश्न पूछा जाता है और मुझे यह कहने में खेद है कि कभी-कभी उचित प्रकार से हल्के ढंग से उसका जबाब भी दे दिया जाता है। लेकिन यह स्वीकृत संसदीय प्रथा है। यदि वह सीमा से परे हो जायें ...

†श्री ब्रज राज सिंह : हल्के प्रश्न से माननीय मंत्री का क्या मतलब है ?

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह बात काफी आगे बढ़ गयी है। माननीय मंत्री विनोद के रूप में कोई बात कहते हैं। कभी-कभी वह सीमा से आगे बढ़ जाती है और फिर गड़बड़ होती है। इस मामले में "ज्ञान की कमी" से किसी भी माननीय सदस्य को बुरा लगेगा। लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों का संबंध है, वे भी उत्तरदायी पदों पर हैं। किसी खास सदस्य को जानकारी की कमी हो सकती है। पैथोलाजी विभाग उचित निदान करने के लिये आवश्यक है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या दूसरे विषयों के लिए भी पंजीयन कार्यालय होगा। इस सभा में कोई भी व्यक्ति इस अर्थ में सर्वज्ञ नहीं है कि जितना कि मंत्री से आशा की जाती है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे थोड़ा सब्र करें। प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, चाहे उससे पर्याप्त जानकारी का अभाव क्यों न हो मालूम होना हो, फिर भी माननीय मंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये जिससे यह प्रकट हो कि जानकारी गलत है। वह अधिक से अधिक योग्यता से उत्तर दें। माननीय मंत्री यह भी ध्यान में रखें कि अच्छे विनोद को ठीक ही ढंग से हमेशा नहीं समझा जाता। इसलिए उसे टालना ही अच्छा है।

†श्री करमरकर : मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा। उस प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि रजिस्ट्री आफ पैथोलाजी ऐसा कार्यालय है जहां सभी रोगों के नमूने लाये जाते हैं। (अन्तर्बाधा)।

†श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मैं पुनः आप से संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह था कि यह कार्यालय बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, किन कारणों से यह पंजीयन कार्यालय खोला गया।

†अध्यक्ष महोदय : यही वह बतला रहे हैं, पैथोलाजी के लिए पंजीयन कार्यालय आवश्यक है। दूसरे विषय उसके अधीन नहीं लाये जा सकते। यही उन की राय है।

†श्री करमरकर : बिलकुल ठीक है। 'रजिस्ट्री' केवल उन प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए ही हो सकती है जो संग्रहालय में दिखायी जा सकती हैं। यदि अधिक अच्छी सफाई के लिए मैं कोई 'रजिस्ट्री' खोलना चाहूं तो वह व्यावहारिक नहीं है। मानसिक बीमारियों के संबंध में मैं पंजीयन कार्यालय में रोगग्रस्त मस्तिष्कों के नमूने नहीं रख सकता। (अन्तर्बाधा)

†श्री दी० चं० शर्मा : मुझे माननीय मंत्री के कथन पर घोर आपत्ति है। मैंने कई बार आप से संरक्षण मांगा है। लेकिन वह अब भी असंगत बातें कह रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : वह किस बात पर आपत्ति कर रहे हैं ? अमूर्त वस्तुएं 'रजिस्ट्री' में नहीं रखी जा सकतीं। जीवित व्यक्ति के किसी खास रोग के नमूने संग्रहालय में नहीं रखे जा सकते। मैं एक दो उदाहरण बता रहा था जहां पंजीयन कार्यालय में नमूने लाना असंभव है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं। वह जरूरत से ज्यादा जानकारी देते हैं। यही कठिनाई है।

†**श्री खाडिलकर** : माननीय मंत्री ने कुछ उदाहरण दिये और कहा कि पैथोलाजी के लिए ही 'रजिस्ट्री' होगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पैथोलाजी के संग्रहालय में किसी विशिष्ट रोग के नमूने इकट्ठे किये जा सकते हैं जिनका पैथोलाजी द्वारा जांच पड़ताल से विश्लेषण किया जा सकता है। जब माननीय मंत्री ने मानसिक रोगों के बारे में उत्तर दिया तब उनका क्या आशय था ? मैं समझता हूं कि साधारण आदमी भी यह जानते हैं कि पैथालाजी अब अत्यंत विकसित चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसलिए उनका कथन बहुत अजीब है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य पैथोलाजी के बारे में अपनी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए प्रश्नकाल का उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न।

फास्फेटयुक्त उर्वरक

†*१२०१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री कोडियान : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फास्फेटयुक्त उर्वरकों के बारे में यूरोप को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट मिल गयी है और उस ने उस पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां। अंतरिम रिपोर्ट मिल गयी है। और उस पर विचार किया गया है।

(ख) उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया है कि ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाने में पानी में घुल जाने वाले रूप में नाइट्रोफास्फेट तैयार किया जायगा जिसमें ५० प्रतिशत फास्फोरस होगा। कोथागुडम् के कारखाने में उत्पादन का क्या ढंग होगा इस बारे में अभी निर्णय करना बाकी है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या स्थिति है, वह संभवतः कब तक मिल जायगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता। संभव है कि उसमें कुछ और भी अधिक समय लग जाये।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : फास्फेटयुक्त उर्वरक अभी कितना उपलब्ध है और वर्तमान खपत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : मुझे नोटिस मांगनी पड़ेगी ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन कौन हैं और उन्होंने कितनी देर तक यूरोप की यात्रा की और सरकार ने उन पर कितना खर्च किया ?

†डा० पं० शा० देशमुख : खर्च की गयी ठीक ठीक रकम का हिसाब मेरे पास नहीं है । लेकिन उन्होंने तीन हफ्ते बिताये । वे इटली, फ्रास, पश्चिम जर्मनी, हालैंड और इंग्लैंड गये थे । सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

श्री सी० आर० रंगनाथम्, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दी फर्टिलाइजर असोसियेशन आॅफ इंडिया—नेता ।

श्री जी पी० काणे, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—

डा० बी० ए० छौगुले

श्री डी० वी० कृष्णराव

श्री आर० एस० कछवाहा और डा० आर वी० ताम्हने—सदस्य सचिव

श्री विभूति मिश्र : फास्फैटिक फर्टिलाइजर प्लांट क्या ट्राम्बे में ही लगाया जाएगा या हिन्दुस्तान में और भी किसी जगह लगाने की बात सोची जा रही है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : फिल्हाल दो ही प्रोपोजल्ज़ हैं । ट्राम्बे में लगाने का एक कारण है कि वहां से जो गैसिस निकलती हैं, उनसे यह बन सकता है । फिलहाल दो मुकामात में ही लाने की पासिबिलिटी है ।

†श्री ज० ब० सिंह बिष्ट : उत्पादन क्या होगा ?

डा० पं० शा० देशमुख : उत्पादन इस प्रकार होगा :—

ट्राम्बे :—यूरिया—९,७५,००० टन
नाइट्रोफास्टफेट—२,५४,००० टन

कोथागुडम् में, अंतिम रूप से निश्चित हो जाने पर, ९७,२०० टन यूरिया और १,८३,००० टन नाइट्रोफास्फेट मिलेगा ।

केन्द्रीय औषधि-निर्माण संस्था

†*१२०२. श्री अजित सिंह सरहदी: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औषधि—निर्माण संस्था की स्थापना के बारे में क्या योजना तैयार की गयी है ;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ; और

(ग) औषधि—निर्माण विज्ञान के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा शुरू करने के मामले में राज्य सरकारें कहां तक सहयोग दे रही हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय औषधि निर्माण संस्था स्वावलंबी नमूने की संस्था होगी जिसमें औषधि निर्माण के समूचे क्षेत्र अर्थात् औषधि निर्माण, औषधि निर्माण संबंधी रसायन शास्त्र, फार्माकोग्नोसी, फार्माकालोजी और संबंधित विषयों के पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था

†मूल अंग्रेजी में

की जाएगी । संस्था में मूलभूत और व्यावहारिक दोनों प्रकार का अनुसंधान किया जाएगा । संस्था में एक अच्छा पुस्तकालय, एक संग्रहालय और एक जड़ी बूटी शाला की व्यवस्था होगी ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय औषधि संस्था की स्थापना की योजना के लिये २५ लाख रुपये का अस्थायी आवंटन किया गया है । संस्था के लिये ब्ल्यूप्रिंट तैयार करने आदि का प्रारंभिक नाम १९६१–६२ में आरंभ किया जाएगा ।

(ग) औषधि निर्माण के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाली एक नमूने की एक संस्था संबंधी एक योजना सब राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के हेतु उनको भेजी गई थी । अभी तक औषधि निर्माण का डिप्लोमा पाठ्यक्रम बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मद्रास, पंजाब और उड़ीसा सरकारों द्वारा आरंभ किया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : नमूने की योजना के अनुसार राज्यों की योजनाओं के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने से पहले, क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है कि वर्तमान मेडिकल कालेजों में भी इस पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिये ?

†**श्री करमरकर** : उनमें ये फैक्टरियां हो सकती हैं किन्तु नमूने की संस्था की स्थापना करना उचित समझा गया है ताकि यह उन राज्यों के लिये आदर्श का काम कर सके, जो इसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित करना चाहती हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सिलसिले में कोई तिथि निश्चित की है ? वे कब तक इस प्रकार की संस्था बना सकेंगे ?

†**श्री करमरकर**: हमने १९६१–६२ में १०,००० रुपये का प्रतीक बजट बनाया है । हमारे पास अभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं । जैसा कि मैं ने पहले कहा तीसरी योजना में इसके लिये २५ लाख रुपये का उपबंध करने का विचार है । ज्यों ही हमें राज्यों की प्रतिक्रिया मालूम होगी, हम अग्रेतर कार्रवाई करेंगे ।

क्षय रोग का सर्वेक्षण

+

†१२०४. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका कोई सर्वेक्षण किया है कि ३१ जनवरी, १९६१ को देश में कितने क्षय रोगी थे ?

(ख) यदि हां, तो क्षय रोगियों की संख्या कितनी है और कितने रोगियों के अस्पतालों में रहने की व्यवस्था है ; और

(ग) क्या जनता में क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिये कोई निरोधक उपाय अपनाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं । अन्तिम राष्ट्रीय क्षय रोग न्यादर्श सर्वेक्षण १९५५–५८ में किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसके बाद कोई सवक्षण न होने के कारण क्षय रोगियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। शय्याओं की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) देश में क्षय रोग का प्रत्युपाय करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित कर दी गई हैं :—

१. बी० सी० जी० टीका आन्दोलन

२. क्षय क्लिनिकों की स्थापना

३. क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

४. क्षय पृथक्करण शय्याओं की स्थापना

५. भूतपूर्व क्षय रोगियों के लिये पश्चावधान एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना

६. राष्ट्रीय क्षय रोग संस्था, बंगलौर की स्थापना

क्रम संख्या ५ में दी गई योजना के अतिरिक्त उपर्युक्त शेष सभी योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू रखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सचल क्लीनिक एवं एक्स-रे एककों के प्रदाय से सम्बन्धित एक नयी योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दी गई है।

श्री विभूति मिश्र : अभी तो माननीय मंत्री जी ने कोई आंकड़े दिये नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बिहार में जो इटकी सैनोटोरियम है, जिस में जगह पाने के लिये रोगियों को साल साल, दो दो साल तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है और जब तक जगह मिलने की नौबत आती है उस वक्त तक रोगी मर जाते हैं, उस में टी० बी० जैसी खतरनाक बीमारी के लिये कोई ऐसा इन्तजाम है कि बेड्स को बढ़ाया जाय, या जहां भी सैनेटोरियम है वहां पर बेड्स बढ़ाई जायें ?

श्री करमरकर : यह भी अपना धोरण है, मगर जो चीज है क्षय रोग के निरोध की या आम तौर से जो मेडिकल रिलीफ का काम है वह स्टेट गवर्नमेंट्स के सुपुर्द किया जा रहा है। और जिस हद तक हम असिस्टेंस दे सकते हैं वह आइसोलेशन बेड्स के बनाने में देते हैं।

श्री विभूति मिश्र : इटकी का जो सैनोटोरियम है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत है और सारे हिन्दुस्तान से लोग उस में जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी मात्रा में सरकार वहां बेड्स बढ़ाना चाहती है क्योंकि लोग इस की नेसिसिटी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं ?

श्री करमरकर : आम तौर से मेडिकल रिलीफ स्टेट गवर्नमेंट्स के सुपुर्द किया जा रहा है। इस के लिये उन के पास पैसा है। हमारे पास मेडिकल रिलीफ के लिये पैसा नहीं है। जिस हद तक ट्यबरक्लोसिस एक नैशनल प्राब्लैम है उस हद तक सहायता देकर स्टेट गवर्नमेंट का काम थोड़ा हलका हम करना चाहते हैं।

श्रीमती कृष्णा मेहता : मेहरौली में जो अस्पताल है क्षय रोगियों का वहां किसी किसान ने लगभग ६०,००० रु० की जमीन दी थी और यह कहा था कि उस में गांव वालों के लिये एक विंग बनाया जाये। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उस के बारे में आप ने कुछ किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : यह मामला ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के सुपुर्द था उन्हीं के पास कागज हैं, और हम ने कहा है कि जिस हद तक हो सके उस हद तक हम धर्मशाला के लिये सहायता देने के लिये तैयार हैं। यह चीज ट्यूबरक्लोसिसि एसोसिएशन की मार्फत होने वाली है। हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों में क्षय लोग इतना अधिक बढ़ रहा है, तीसरी योजना में केन्द्रीय सैनेटोरियमों में कितने बिस्तर बढ़ाए जायेंगे? क्षय रोग के रोगियों के लिये कितने बिस्तर बढ़ाने का लक्ष्य है?

†**श्री करमरकर :** बिस्तर बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों के उपायों के अतिरिक्त, हम तीसरी योजना में ५००० पृथक बिस्तरों की व्यवस्था का लक्ष्य रख रहे हैं और यदि राज्यों ने सहायता मांगी तो हम देंगे।

†**श्री नाथपाई :** माननीय मंत्री ने कहा है कि बिस्तरों और रोगियों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु यह अनुमान है कि रोगियों की संख्या बढ़ रही है और बिस्तरों की कमी है। सरकार गैर-सरकारी सैनेटोरियम की सुविधायें बढ़ाने और बिस्तरों की व्यवस्था करने की योजनाओं में उनकी सहायता करने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है? क्या सरकार प्रक्रिया संबंधी उपाय करने का भी विचार कर रही है ताकि हस्पताल और उनकी योजनाएं राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच गेंद की तरह इधर उधर न फेंकी जाती रहें और ताकि विलंब कम किया जा सके?

†**श्री करमरकर :** जी, हां। दूसरी योजना में १ करोड़ रुपये का उपबंध था और हमें कुछ अन्य साधनों से कुछ अधिक धन मिल गया और हमने उपबंध एक करोड़ से बढ़ा दिया। हम ने राज्यों की गैर सरकारी संस्थाओं के लिये राज्य सरकारों को १.२५ करोड़ से अधिक दिया है। तीसरी योजना में २.५ करोड़ का उपबंध किया गया है ताकि क्षय रोग, कोढ़ और कैंसर के निरोध के लिये गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता की जाए। जब गैर-सरकारी संस्था से राज्य सरकार की सिफारिश के साथ प्रार्थना आती है तो हम उस संस्था की सहायता करते हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** माननीय मंत्री ने कहा है कि क्षय रोगियों की संख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या उन का ध्यान पश्चिम बंगाल क्षय रोग संथा के प्रधान डा० ए० सी० उकिल के हाल के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में बढ़े हुए क्षय रोग के छः लाख रोगी हैं, जिन में एक लाख संक्रामक रोगी हैं? क्या अन्य राज्यों की क्षय रोग संथाओं ने भी ऐसे सर्वेक्षण किये हैं ताकि इस रोग का उचित अनुमान लगाया जा सके?

†**श्री करमरकर :** मुझे इस अनुमान का आधार मालूम नहीं है। मुझे इतना ही पता है कि संगठित रूप में नमूने का सर्वेक्षण १९५५-५८ में किया गया था। संभव है कि उन्होंने इसका आधार कुछ युक्तियुक्त तत्व रखा हो। हमने इस मामले में दूसरा नमूना सर्वेक्षण करने के लिय राज्य सरकारों को नहीं कहा क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं होगा। हमें मोटे तौर पर इस सर्वेक्षण से मालूम हो गया है कि कितने लोगों को क्षय रोग है और इससे कितनी मृत्यु होती हैं। हो सकता है कि अन्य पांच वर्षों में हमारे लिये सर्वेक्षण करना उचित हो। अधिक महत्व का काम तो यह है कि सर्वेक्षण की अपेक्षा क्षय रोग के निदान की व्यवस्था की जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या सरकार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के समान क्षय रोग उन्मूलन के किसी कार्यक्रम का विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर :** यह विचार नहीं किया जा सकता ज़ब तक हमारे पास कम से कम १,००,००० बिस्तरों का प्रबन्ध न हो जिस पर कई करोड़ रुपये खर्च आएंगे और हमारे पास इस समय इतना धन नहीं है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भिन्न प्रकार का था क्योंकि यह मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने तक केन्द्रित था और इस कारण यह संभव था। यहां आसान हल करना संभव नहीं है। क्षय रोग की समस्या कहीं अधिक बड़ी है।

†**श्री आचार :** दूसरी योजना के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं को कितनी सहायता दी गयी है और तीसरी योजना में इसके लिये कितना उपबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर:** जैसा मैंने कहा, १,२५,००,००० रुपये से अधिक अनुदान दिया गया है और तीसरी योजना में २.५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

श्री भ० दी० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जब तक टी० बी० की रोकथाम के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हुए हैं उनसे किस हद तक सफलता मिली है ?

श्री करमरकर : बहुत हद तक सहायता मिली है। जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आज उनमें से ज्यादा लोग जिन्दा रहते हैं और ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। खास तौर से जो रिलीफ के लिए उपाय किये जाते हैं वे ज्यादा सफल हो रहे हैं और ज्यादा अच्छी औषधियां भी निकल रही हैं।

श्री पद्म देव: जिन विशेष कारणों से देश में यक्ष्मा त्वरित गति से प्रगति कर रहा है उनका निराकरण करने के लिए सरकार ने कौन कौन उपाय अपनाए हैं ?

श्री करमरकर : जहां तक मैं समझता हूं बढ़ तो नहीं रहा है। लेकिन बढ़ रहा है या नहीं यह जानने के लिए तो साधन नहीं हैं। जहां जहां भीड़ ज्यादा है जैसे दिल्ली, कलकत्ता या बम्बई, वहां इंसीडेंस बढ़ रहा होगा। लेकिन मरने वालों की संख्या कम हो रही है। जहां जहां ट्रीटमेंट की सुविधा है वहां मारटेलिटी का इंसीडेंस कम हो रहा है। प्रश्न का दूसरा भाग है कि उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण तो गरीबी है, उसको दूर करना आवश्यक है। क्षय रोग का प्रभाव अच्छा पौष्टिक आहार खाने वाले लोगों पर उतना नहीं होता जितना कि कम पौष्टिक आहार खाने वाले लोगों पर होता है। लेकिन यह तो एक बड़ा सवाल है। दूसरा उपाय है कि जिन लोगों में इस रोग का विष फैल जाता है उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए इलाज किया जाए। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध किया जा रहा है और उनको बचाने में ज्यादा सफलता मिल रही है। लोगों को मर्ज से बचाने का प्रयत्न किया जाता है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** अब क्षय से कितने लोग मरते हैं और क्या पिछले दो सालों में इसमें वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर :** दिल्ली में हाल ही में सर्वेक्षण किया गया था और पिछले दस वर्ष पहले, १९५८ से पहले यह पाया गया था कि क्षय रोग से होने वाली मृत्यु की दर आधी रह गई है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** यह केवल दिल्ली तक सीमित है। क्या अन्य स्थानों का भी सर्वेक्षण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : देश भर में क्षय रोग से होने वाली मृत्यु का सर्वेक्षण असंभव है । अतः नमूने का सर्वेक्षण किया गया था । मोटे तौर पर कहा गया है कि इतनी मृत्यु हुई, अर्थात् यदि यह कहा जाये कि ५ लाख लोग क्षय से मरे तो हो सकता है कि अधिक भी हो या कम भी हो । इससे सामान्य दर का पता चलता है । क्योंकि यह दिल्ली के बारे में सच है यह दिल्ली से कम भीड़ वाले और कम निर्धन लोगों वाले स्थानों के बारे में अधिक सत्य सिद्ध हो ।

†डा० सुशीला नायर : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में क्षय से मृत्यु की संख्या में कमी का कारण यह है कि यहां रहने वाले अस्पताल हैं और उनके द्वारा संक्रमण से रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार किया जाता है ? यदि हां, तो क्षय को रोकने में स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस शिक्षा के प्रचार के लिए क्या कार्यक्रम आरम्भ किये जा चुके हैं ?

†श्री करमरकर : मैं स्वास्थ्य शिक्षा की वांछनीयता के बारे में सहमत हूं हालांकि इसका दिल्ली में अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है । दिल्ली या अन्य कहीं मृत्यु दर में कमी निश्चय ही अधिक प्रभावशाली इलाकों और क्षय रोग निदान के लिये की गई बहुत अधिक सुविधाओं के कारण है । अभी तक हमारे लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान नहीं आया है । यह शौक पैदा करना होगा और उस दिशा में अधिकाधिक उपाय करने होंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री महोदय ने बतलाया कि किस किस तरह से टी० बी० को रोका जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि टी० बी० से बचाव आदि के बारे में क्या कोई साहित्य स्कूलों में, कालिजों में, कारखानों में और देहातों में जहां गरीब लोग रहते हैं, जिनको टी० बी० ज्यादा होती है, बांटा जाता है ताकि लोग उसको पढ़ कर अपना बचाव कर सकें और संयम से रहें ?

श्री करमरकर : बच्चों के बारे में क्या कहा माननीय सदस्य ने ? मैं समझता हूं कि उनका प्रश्न बच्चों के क्षय रोग के बारे में है ।

†अध्यक्ष महोदय : स्कूलों के बच्चों में ।

श्री विभूति मिश्र : आपने जो टी० बी० को रोकने के उपाय बताए हैं क्या उनको सहज भाषा में छपवा कर स्कूलों में, कालिजों में, कारखानों में और गांवों में जहां गरीब लोग रहते हैं जिनको टी० बी० बहुत ज्यादा होती है, बटवाया है ताकि लोग उसको पढ़ कर संयम से रह कर अपना बचाव कर सकें ?

श्री करमरकर : जैसा बहिन जी ने कहा यह आरोगी शिक्षा का काम है । दिल्ली में इस प्रकार की एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल हैल्थ एजूकेशन ब्यूरो । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की संस्थायें सब स्थानों में, जिलों में, और तहसीलों तक में स्थापित हो जाएं और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में स्थापित हो जाएं और इस प्रकार की बात देहात तक पहुंचा जाएं । यह अपनी योजना है, लेकिन यह कब तक पूरी होगी यह पैसे पर निर्भर करता है ।

†डा० सुशीला नायर : क्या माननीय मंत्री ने एक खाली सिगरेट के डिब्बे का एक छोटा उपाय देखा है जिसके अन्दर रोगियों के द्वारा अपना थूक फेंकने के लिये एक छोटा डिब्बा है और यह प्रातः

†मूल अंग्रेजी में

दबाया जाता है ? इसमें हैंडल भी है ताकि उसे उठा कर साथ ले जाया जा सके । दिल्ली में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है । यदि यह इतना प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्या सब जगह क्षय रोगियों को ये डिब्बे देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री करमरकर :** मैं चाहता हूं कि सब जगह ऐसा किया जाए । यह सर्वविदित तरीका है कि रोगी का थूक बीमारी न फैला सके। वास्तव में प्रत्येक राज्य सरकार को इसका पता है और उस सीमा तक यह संभव है कि वे सब हस्पतालों को ऐसे थूक के डिब्बे रखने के लिये कह रही हों, जहां रोगी का हस्पताल में इलाज किया जाता है ।

रडार उपकरणों का संधारण

†*१२०५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्र में रडार यंत्रों के संधारण और उनका कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के वास्ते सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** नौटिकल और इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई में रडार संधारण पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** रडार उपकरण को चलाने और उसके संधारण के लिये कितने प्रशिक्षित कर्मकारियों की आवश्यकता है ?

†**श्री राज बहादुर :** रडार उपकरण का प्रशिक्षण दो भागों में विभक्त है । एक में इनका उपयोग और दूसरे में रडार उपकरण की देखभाल । हमने उपकरण के उपयोग के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है । देखभाल सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधाएं विचाराधीन हैं । भारतीय राष्ट्रीय स्टीमशिप मालिकों की संस्था से परामर्श किया जा रहा है क्योंकि उनको सहयोग देना होगा ताकि उनके अफसरों को इस सुविधा का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या रडार उपकरण की देखभाल दमदम हवाई अड्डे पर अच्छी तरह की जाती है और सन्ताक्रुज हवाई अड्डे पर भी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि दमदम समुद्र पर नहीं है ।

†**श्री नाथपाई :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान प्रतिरक्षा में रडार का बहुत महत्व है, क्या कर्मचारियों और उपकरण के बारे में अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है और उनको पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** परिवहन और संचार मंत्रालय का व्यापार नौवहन से सम्बन्ध है और इस उपकरण के द्वारा दी जाने वाली नौवहन सम्बन्धी सहायता से सम्बन्ध है, और हम इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षण नौटिकल और इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई में दिया जा रहा है । देख भाल सम्बन्धी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

+

†*१२०६. {श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :}

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार संविहित संगठनों और अर्ध-सरकारी निकायों तक करने के किसी कार्यक्रम पर विचार किया गया है और उसके बारे में कुछ निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है और सरकार ने विस्तार सम्बन्धी क्या कार्यक्रम स्वीकार किया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का इसके आरम्भ से ही १० अर्ध-सरकारी संगठनों तक विस्तार किया गया था और इसका धीरे धीरे ऐसी अन्य संस्थाओं तक विस्तार किया जा रहा है । अभी तक इसमें तीस अर्ध-सरकारी संगठन शामिल किये गये हैं ।

†श्री श्रीनारायण दास : यदि यह योजना सब अर्ध-सरका ी संगठनों पर लागू की गई तो क्या चिकित्सा कर्मचारियों और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

†श्री करमरकर : हमें अपेक्षित कर्मचारियों का अच्छा अनुमान है । किन्तु मुख्य बात यह है कि वास्तविक सरकारी सेवा से बाहर के लोगों तक इसका विस्तार करने से पूर्व हम वर्तमान योजना की त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं । किन्तु हम उन सब संगठनों को शामिल करने का विचार कर रहे हैं जिसके २५० से कम सदस्य हैं ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या इस योजना के काम का अनुमान लगाने के लिये हाल ही में कोई समिति नियुक्त की गई है और यदि हां, ो इसके निर्देश निबन्धन क्या हैं ?

†श्री करमरकर : एक समिति नियुक्त की गई है जिसके सदस्य कल प्रातःकाल के समाचार पत्र में दिये गये थे । निर्देश निबन्धन य - है कि ोजना का अच्छी तरह परीक्षण किया जाए और जहां कहीं सुधार करने की जरूरत है, उसे बताया जाए ।

†श्री वें० ईयाचरण : क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों तक योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है और क्या इस मामले में राज्य सरकारों के विचार मालूम कर लिये गये हैं ?

†श्री करमरकर : जी, नहीं ।

†डा० सुशीला नायर : संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में जो केन्द्रीय सरकार के सीधे क्षेत्राधिकार में हैं, अभी पुरानी प्रति पूर्ति प्रणाली जारी है । इस के कर्मचारियों तक इस ोजना का विस्तार कब किया जाएगा ?

†श्री करमरकर : यह मामला हमारे विचाराधीन है और से अन्तिम रूप देने में कुछ समय लग जाएगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : केन्द्रीय वेतन आयोग की एक सिफारिश यह थी कि यह अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना सब सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जानी चाहिये । क्या सरकार ने इस बारे में स्वास्थ्य मन्त्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप में कोई निर्णय कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : अन्तिम निर्णय केन्द्रीय स्वास्थ्य पदालि के बनने के लिये रुका हुआ था। आशा है कि शीघ्र ही निर्णय कर लेंगे।

†श्री कासलीवाल : माननीय मन्त्री ने कहा है कि ३० अर्ध-परकारी संगठन इसमें शामिल कर लिये गये हैं। क्या सरकार ने राज्यों तक भी इस योजना का विस्तार करने के लिये राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रालयों से कोई परामर्श किया है ?

†श्री करमरकर : मुझे पक्का पता नहीं है कि आया हमने ऐसा करने के लिये राज्यों को कोई निदेश दिया है। किन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है हमारा विचार यह है कि कलकत्ता और बम्बई जैसे जितने अधिक बड़े बड़े नगरों तक, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी हों, नका विस्तार किया जाए।

†श्री कासलीवाल : क्या सरकार इस बारे में राज्यों के साथ परामर्श करने के प्रश्न पर विचार करेगी या नहीं ?

†श्री करमरकर : मुझे याद नहीं कि आया राज्यों से परामर्श किया गया था क्योंकि डाक्टरी इलाज उनके विचार करने का मामल है। यहां के समान अंशदा ी स्वास्थ्य सेवा योजना स्थापित करना और उसे सफल करना उनका काम है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो समिति कण्ट्रीब्युटरी हैल्थ सर्विस स्कीम के बारे में जांच करने के लिय बनाई गई है कि वह सफलतापूर्वक काम कर रही है या नहीं, वह कब तक अपना काम पूरा कर लेगी और क्या उसके बाद ही इसके एक्सपेंशन का काम हाथ में लिया जायगा ?

श्री करमरकर : मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसके लिये कितनी मुद्दत हमने रक्खी है लेकिन मेरा अंदाजा है कि कोई ४ महीने में उसका काम खत्म होना चाहिये। जाहिर है कि उस कमेटी को इस के बारे में दिलचस्पी लेनी होगी, ठीक ठीक जांच उसको करनी होगी, डिस्पेंसरी के पशों पर विजिट करना होगा और जो मरीज वहां पर जाते हैं उनको देखना होगा और इस बारे में कण्ट्रीब्यटरीज की राय लेनी होगी। ४ महीने तक उसका यह सब काम पूरा हो जायगा, ऐसी आशा है।

†श्रीमती रेणुका राय: माननीय मन्त्री ने बताया है कि राज्यों को इस योजना का विस्तार करने के बारे में उन्होंने राज्यों की सरकारों से कोई विशेष परामर्श नहीं किया। क्या किसी राज्य सरकार ने इसके लिये ीसरी योजना में शामिल करने के लिये कोई ऐसी ोजना भेजी है और यदि हां, तो क्या कम से कम न योजनाओं के बारे में स्वास्थ्य मन ालय से परामर्श नहीं किया गया है ?

†श्री करमरकर : आंध्र प्रदेश की अंशतः सरकारी तत्वाधीन एक योजना ी। मुझे याद नहीं कि आया किसी और राज्य ने अंशदायी स्वास्थ्य योजना के बारे में कोई प्रस्ताव भेजे हैं।

†श्री तंगामणि : माननीय मन्त्री ने कहा कि यह योजना ३० अर्ध-सरकारी संगठनों में है। क्या तीसरी योजना में सब संविहित और अर्ध-सरकारी संग नों के में इसका विस्तार करने का कोई निर्णय किया गया है ?

†श्री करमरकर : सम्भावना इस बात की है कि जिस संविहित या अर्ध-सरकारी संगठनों के सदस्य २५० से अधिक नहीं हैं, उन सब के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल कर लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

उससे आगे इस समय हमारा इरादा इस योजना का और किसी अर्ध-सरकारी या संविहित निकाय में विस्तार करने का नहीं है, और यदि कोई निकाय सरकार के अधीन हैं तो हमें करना होगा, क्योंकि हम योजना को पक्का बनाना चाहते हैं और इसका विस्तार करने से पूर्व इसे सर्वथा सफल करना चाहते हैं।

†डा० सुशीला नायर : सब लोग रोक थाम के महत्व से सहमत हैं। रोकथाम के उपायों अर्था ् टीके और सूए आदि को इस योजना में शामिल न करने तथा इन्हें नगरपालिकाओं पर छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

†श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि नगरपालिकाएं इस मामले में प्रभावशाली काम नहीं करतीं। वे अपना काम करती हैं। जो उनका मुख्य का ं है हमने उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। हम अंशदायी स्वास्थ्य सेवा ोजना क्षेत्र में नगरपालिकाओं के सहयोग से काम करते हैं। हम उन्हें रोकथाम के उपाय करने को कहते हैं। हमने, उदाहरणार्थ, बच्चों के मामले में, बाद में इलाज जारी रखा है आदि। किन्तु उससे आगे हमने सब लोगों को ोग से मुक्त करने का समूचा दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया है।

†डा० सुशीला नायर : मैं माननीय मंत्री की धारणा को ठीक करना चाहती हूं। मैंने यह नहीं कहा कि नगरपालिकाएं अच्छा काम नहीं कर सकतीं। मैंने यह कहा है कि इस तरीके से रोकथाम और रोग निदान के इलाज को पृथक् करने से लोगों को अच्छा और प्रभावी लाभ नहीं होगा। एक परिवार इलाज के लिये आता है और उसे कहा जाता है कि रोकथाम की सेवाओं के नगरपालिका के पास जाओ। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को रोकथाम का पहलू भी लेना चाहिये ताकि लोगों को उसके लिये अलग नहीं जाना चाहिये। दोनों सेवाओं को इस योजना में क्यों एकीकृत नहीं कर दिया जाता ?

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहती हैं कि दोनों पहलुओं को एक व्यवस्था के अधीन लाने में क्या कठिनाई है।

†श्री करमरकर : कठिनाई यह है कि यह प्रत्येक नगरपालिका का संविहित कर्तव्य है और हमने इस मामले में उनके सामान्य कर्तव्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। अंशदायी ोजना के अन्दर यदि कोई बच्चा ैदा होता है तो नगरपालिका के प्रयत्नों से रोकथाम की जाती है। उनके पास इसकी व्यवस्था है। हमारे वित्तीय साधन भी सीमित हैं और यदि हम यह काम अपने ऊपर ले लें ो हमें टीके लगाने और ोकथाम के कामों के लि े विशेष कर्मचारी रखने होंगे। किन्तु यदि कोई असाधारण अवसर आता है जब अधिक लोगों की जरूरत होती है तो हमा ी सेवायें समाज को दे दी जाती हैं।

रेलवे के लिये विश्व बैंक का ऋण

†*१२११. श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के विकास के लिये ऋण के ब्यौरे के बारे में चर्चा करने के लिये विश्व बैंक का एक दल, जिसमें आठ सदस्य हैं, नई दिल्ली पहुंचा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विकास कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक से सहायता के लिये कितनी रकम मांगी ग ी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तृतीय चवर्षीय योजना में रेलवे के का क्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा और ऋण दिये जाने की सम्भावना के बारे में विश्व बैंक ने एक बार फिर रेलवे का नवीनतम अध्ययन करने की व्यवस्था की है। उनके परामर्शदाता, कनाडा रेलवे के विशेषज्ञों का एक दल, और विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि १२ मार्च, १९६१ को पहुंचा। स समय वे भारतीय रेलवे के संचालन और द्वितीय योजना में की गयी प्रगति और तीसरी रेलवे योजना का अध्ययन कर रहे हैं। यह दल बैंक से किसी ऋण के बारे में विचार नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या विश्व बैंक ने हमारे ऋय पर कुछ शर्तें लगायी हैं और यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : विश्व बैंक ने हमारे ऊपर कोई शर्त अथवा प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं। संभवतः माननीय मित्र इसको विकास ऋण निधि से प्राप्त ऋण के साथ दुविधा में डाल रहे हैं। वह पृथक प्रश्न है ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : मैं इसको दुविधा में नहीं डाल रही हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कोई शर्त रखी गयी हैं और हम किन देशों से सामान खरीदेंगे और हम किन देशों से सामान खरीदेंगे। । क्या हम किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम किसी भी देश से, जिससे चाहें, सामान खरीद सकते हैं और सामान्यतः हम विश्व भर से टेंडर आमंत्रित करते हैं।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : यह विश्व बैंक मिशन कितने समय तक इस देश का भ्रमण करेगा क्या इस प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी जो वे विश्व बैंक को देंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार वे ८ अप्रैल तक यहां का भ्रमण करेंगे। वाशिंगटन पहुंच कर वे विश्व बैंक को अपना प्रतिवेदन देंगे। वे रेलवे मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं देंते ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस विकास कार्यक्रम में, जिसकी बातचीत चल रही है, अतिरिक्त लाइनें भी शामिल हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम ऋण लेते हैं और जैसे चाहें, उसे इस्तेमाल करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ वह जानना चाहते हैं वह यह है कि किसी विशेष परियोजना के लिये लाइनें अलग से रखी जावेंगी ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : रेलवे के नई निर्मान की किसी विशेष परियोजना के लिये वे अलग नहीं रखी गयी हैं। विश्व बैंक का दल इस बात पर विचार करेगा कि हमें कितना परिवहन करना पड़ता है, इसके लिये क्षमता की आवश्यकता है और किस हद तक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से जिस ऋण के लिये कोशिश की जा रही है, वह रुपया क्या किसी विशेष प्रकार के विकास के लिये मांगा जा रहा है,--विदेशों से मशीनरी या प्लांट मंगाने के लिये या देश में किये जाने वाले किसी विकास कार्य के लिये मांगा जा रहा है। वह रुपया किस किस्म के विकास के लिये, विकास की कौन सी मद्द के लिये मांगा जा रहा है ?

श्री जगजीवन राम : मैंने बताया है कि हमारे विकास में जितने फारेन एक्सचेंज की आवश्यकता होती है, उसी को हम उन से लेते हैं। जो रुपये में खर्च होता है, उस को उन से लेने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई सचाई है कि विशेषज्ञ आयोग ने यह बात कही है कि मिशन पर रेलवे के कार्यकरण का बुरा प्रभाव पड़ा और उनको इसकी लक्ष्य-सिद्धि के बारे में चिन्ता हुई ?

†**श्री जगजीवन राम** : वे अपना प्रतिवेदन विश्व बैंक को देंगे और इसलिये यह समझना कि उन्होंने कोई राय दी है, ठीक नहीं है।

†**श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती** : विश्व बैंक से अभी ऋण की कुल कितनी रकम बकाया है, हमने अब तक कुल कितनी रकम का भुगतान कर दिया है और अब जो हम नया ऋण लेने जा रहे हैं, उस पर ब्याज की दर क्या है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह सब जानकारी प्रकाशित पत्रो में है।

†**श्री आचार** : क्या वे अपने कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं अथवा रेलवे विभाग उनसे निरीक्षण करने को कह रहा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वे पहले रेलवे मंत्रालय में आकर प्रारम्भिक बातचीत करते हैं। कोई चीज या कोई स्थान देखने की इच्छा व्यक्त करना उनका अपना काम है। जहां कहीं वे कहते हैं, हम उनको ले जाते हैं।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भोजन व्यवस्थाकर्त्ता[1]

†*१२१२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मौजूदा भोजन-व्यवस्थाकर्त्ताओं के ठेकों को ३ वर्षों के लिये और बढ़ा दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन ठेकेदारों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें थीं ; और

(ग) ये शिकायतें क्या थीं और इनके ठेकों की अवधि में किन परिस्थितियोंवश वृद्धि की गयी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). डमडम और मद्रास हवाई अड्डों पर वर्तमान भोजन-व्यवस्थाकर्ताओं का ठेका ३१-१२-६० के बाद ३ वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया क्योंकि उनकी सेवायें सन्तोषजनक थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Caterer.

पालम और शान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर भोजन-व्यवस्थाकर्त्ताओं के विरुद्ध कुछ शिकायतें आयी हैं परन्तु पूर्व समय में उनकी लम्बी और सन्तोषजनक सेवा को ध्यान में रखते हुए, उनके ठेके को भी ३१-१२-१९६० के बाद तीन वर्षों के लिये बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि उनको अपनी सेवा सुधारने का उचित मौका मिले ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वर्तमान भोजन-व्यवस्थाकर्त्ताओं की कार्य अवधि बढ़ाने से पूर्व नये टेंडर मांगे गये थे और यदि नहीं, तो क्यों नहीं मांगे गये थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं बता चुका हूं कि उनको अपनी सेवा में सुधार करने के लिये उचित अवसर देने के लिये यह अवधि ३१-१२-१९६० के बाद तीन वर्षों के लिये बढ़ा दी गयी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की मंत्रणा समिति ने वर्तमान भोजन-व्यवस्थाकर्त्ताओं के विरुद्ध जबरदस्त शिकायत की थी और कहा था कि उनमें परिवर्तन होना चाहिये परन्तु उसके बावजूद भी बिना ताजे टेंडर मांगें उनके ठेके की अवधि में वृद्धि कर दी गयी ? समिति की सिफारिशों पर ध्यान न देने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैंने कहा है कि खाने की चीजों की किस्म के बारे में शिकायतें आयी हैं परन्तु सब बातों उदाहरणतः इन हवाई अड्डों पर सेवा की शर्तों और सेवा में सुधार की संभावनाओं पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किन आधारों पर समिति की सिफारिशों को नहीं माना है । उन्हें यह जानने का अधिकार है । जब एक समिति नियुक्त की जाती है और समिति की राय सरकार नहीं मानती है तो क्या सभा को यह जानने का अधिकार नहीं है कि सरकार का उससे मतभेद क्यों है ? अन्यथा, समिति नियुक्त करने का क्या उद्देश्य है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह समिति भोजन-व्यवस्थाकर्त्ताओं के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त नहीं की गयी थी । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह एयर इण्डिया इन्टरनेशनल की मंत्रणा समिति है । मुझे उनकी उस सिफारिश के बारे में याद नहीं है । परन्तु यह सच है कि शिकायतें हुईं और इस बारे में एक सिफारिश भी की गयी । परन्तु किये गये बड़े पूंजी व्यय और निकट भविष्य में सेवा में सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे आगे यह जानना चाहते हैं कि टेंडर आमंत्रित क्यों नहीं किये गये ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : उनकी अवधि बढ़ायी गयी थी । यह फैसला किया गया कि टेंडर आमंत्रित करने के बजाय . . . .

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रश्न यह है कि यह फैसला क्यों किया गया ? (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : जब परामर्श देने के लिये एक समिति नियुक्त की जाती है और समिति कोई सिफारिश करती है तो सभा को यह जानने की इच्छा होती है कि सरकार ने भिन्न दृष्टिकोण क्यों अपनाया । समिति ने टेन्डर आमंत्रित करने का भी सुझाव दिया था । टेंडर आमंत्रित करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वर्तमान व्यक्ति एक अनजान व्यक्ति से अच्छा है । परन्तु वह प्रक्रिया भी नहीं अपनायी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : वास्तव में बात यह है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिकायतें आयी थीं। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे काफी लम्बी अवधि से सेवा कर रहे हैं और पालम हवाई अड्डे पर रसोई घर में पूरी तरह सामान नहीं है, पहले उनकी अवधि छः महीने के लिये बढ़ायी गयी। क्योंकि ऐसा करने में समय लगेगा—हमें बताया गया कि वे इसमें सुधार कर रहे हैं—हमने यह उचित समझा कि एक ऐसे व्यक्ति को रखने के बजाय जिसे हम नहीं जानते, ऐसा व्यक्ति रखना ठीक है, जिसे हम जानते हैं।

हिन्दी में रेलवे प्रशासनों की वार्षिक रिपोर्टें

***१२१३. श्री रा० स० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने रेलवे प्रशासनों को आदेश दिया था कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित करें ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रेलों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित की हैं ; और

(ग) अन्य रेलों पर इस आदेश को लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलों को इस तरह का कोई निश्चित आदेश नहीं दिया गया है। लेकिन उनको सुझाव दिया गया था कि, यदि संभव हो, तो वार्षिक रिपोर्ट का लोकप्रिय हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किया जाय।

(ख) अभी तक किसी रेलवे ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी रूपान्तर नहीं निकाला है।

(ग) रेलें इस सवाल पर विचार कर रही हैं।

श्री रा० स० तिवारी : सरकार ने हिन्दी में वार्षिक रिपोर्ट देने के लिये लिखा-पढ़ी की है, लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान के हर रेलवे प्रशासन से वह नहीं आई है, इसका क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : उन्होने बताया है कि अभी उनको कहा नहीं गया था कि वे हिन्दी में रिपोर्ट निकालें। उनको यह सुझाव दिया गया था। वजह यह है कि कितनी ही रेलों में हिन्दी में काम करने लायक मुलाजिम नहीं हैं। अब उसका इन्तजाम कर लिया गया है और उम्मीद है कि अगले साल से यह रिपोर्टस हिन्दी में भी होंगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संभव हो सकेगा कि अगले साल से रेलवे का बजट आने से पूर्व ये रिपोर्टें हिन्दी में मिल सकें।

श्री जगजीवन राम : यह कहना तो मुश्किल है। हम एक रिपोर्ट पेश करते हैं और उसमें सभी बातें शामिल करते हैं। अलग अलग रेलवे प्रशासनों की रिपोर्टों का बोझ सदस्यों पर डालना मैं मुनासिब नहीं समझता।

आयुर्वेद का विकास

†***१२१४. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने भारत में आयुर्वेद के विकास के लिये वर्ष १९६०–६१ के लिये कितनी रकम मंजूर की है ;

(ख) यह अनुदान किन मदों के लिये स्वीकार किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक मद के लिये कितनी रकम स्वीकार की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क)	१३,९३,४२७ रुपये ।
(ख) और (ग). स्नातकोत्तर प्रशिक्षण	२,५६,५०० रुपये ।
शिक्षण संस्थाओं को ऊंचा उठाना	५,८१,१५० रुपये ।
अनुसंधान	५,२७,७७७ रुपये ।
अन्य मद	२८,००० रुपये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत के राज्यों में शिक्षण संस्थाओं को ऊंचा उठाने के लिये अनुदानों को किस प्रकार वितरित किया गया ?

†**श्री करमरकर** : संभवतः माननीय मित्र राज्य-वार आवंटन के आंकड़े जानना चाहते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं कसौटी जानना चाहता हूं ।

†**श्री करमरकर** : कसौटी संस्था की प्रार्थना के औचित और राज्य सरकार की सिफारिश पर निर्भर है। प्रत्येक संस्था से प्रार्थना करने को कहा जाता है और राज्य सरकार इसकी जांच करती है । जिस हद तक हम यह समझें कि संस्था की सहायता करना उचित है, उस हद तक हम उन की सहायता करते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अनुदान कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये दिये जाते हैं अथवा अस्पतालों में सामान के लिये अथवा इन सब बातों के लिये एक साथ या प्रत्येक मद-वार अलग अलग?

†**श्री करमरकर** : हम आवर्ती और अनावर्ती—दोनों प्रकार से अनुदान देते हैं । अनावर्ती अनुदान इमारतों और उपकरणों तक सीमित होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पश्चिमी यमुना नहर योजना

†*१२०३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु नदी के जल सम्बन्धी सन्धि के परिपालन से पश्चिमी यमुना नहर योजना की क्रियान्विति में किसी प्रकार की रुकावट पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) इस योजना के कब तक पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाने का अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह आशा की जाती है कि समाकलित पश्चिमी यमुना नहर नवीकरण योजना वर्ष १९७०-७१ तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यू कचार रोड

†*१२०७. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में न्यू कचार रोड के निर्माण के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, क्या उसकी पूर्ति हो गयी है ; और

(ख) क्या सब-डिवीजन २ और ३ में पहाड़ी को काटने और सड़क निर्माण का कोई कार्य हाथ में लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) सब-डिवीजन २ में ३७ मील लम्बी सड़क का निर्माण कार्य जारी है जिसमें पहाड़ियों को काटना भी शामिल है। सब-डिवीज़न ३ में पहाड़ियों को काटने का काम नहीं है। सब-डिवीजन ३ के प्रभार में इम्फाल से प्रथम १० मील लम्बी सड़क ठीक करने का काम पूरा हो गया है।

बैलगाड़ियों के लिये पुराने पहिये

†*१२०८. **श्री चांडक** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पुराने पहिये (व्हील एसेम्बलीज) हासिल किये जा चुके हैं और बैलगाड़ियों में इस्तेमाल के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस मामले के बारे में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). अमरीका से पुराने पहिये (सैकन्ड-हैंड व्हील एसेम्बलीज़) के दो नमूने हाल ही में प्राप्त हुए हैं। उनकी जांच की जा रही है और शीघ्र ही उनकी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता के बारे में निर्णय कर लिया जावेगा।

मुगलसराय मे गाड़ी की टक्कर

†*१२०९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ मार्च, १९६१ को मुगलसराय में हावड़ा-बम्बई जनता एक्प्रेस की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गयी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की असावधानी के कारण हुई ।

मारे गये व्यक्ति -- कोई नहीं

घायल

मामूली तौर पर--२९

बिहार में सड़कें

†१२१०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में विश्व बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सड़कों की स्थिति का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या इस प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सड़कों के निर्माण तथा विकास के लिए कोई सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). : देश के कुछ चुने हुए सड़क व पुल निर्माण कार्यों के लिए सहायता के रूप में इंटरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसिएशन जो वर्ल्ड बैंक की एक संबद्ध संस्था है, के द्वारा ऋण दिये जाने की संभावना पर जांच करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक की एक टोली ने कुछ प्रदेशों का जिन में बिहार प्रदेश भी शामिल है, द रा किया । परन्तु इस विषय में विश्व बैंक की राय प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा । यह ारा विषय अभी प्रारंभिक जांच की स्थिति में हैं ।

प्रादेशिक विद्युत 'ग्रिडों' को मिलाना

†*१२१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न ंख्या ८९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी प्रादेशिक 'ग्रिडों' को एक 'ग्रिड' में मिलाने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है और इस एक 'ग्रिड' के कब चालू होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जा कारी ी ई है ।

विवरण

अखिल भारत सुपर ग्रिड पद्धति बनाने के लिये प्रथम कार्यवाही के रूप में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल के दक्षिणी प्रदेश के लिये एक सुपर ि ड पद्धति ी स्थापना के लिये प्रारंभिक अध्ययन आरंभ कर दिया है। इस बारे में दक्षिणी जोन परिषद की प्रविधिक समिति की बैठक में प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया । इन चार राज्यों के पृथक पृथक विद्युत् पद्धतियों के विश्लेषणात्मक अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है और इन सभी चारों राज्यों की विद्युत् पद्धतियों के लिये समेकित विश्लेषणात्मक अध्ययन जारी है । इन चार

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में विभिन्न विद्युत् पद्धतियों को मिलाने वाला अन्तर्राज्यीय ट्रांसमिशन के निर्माण का कार्य तृतीय योजना में आरम्भ करने की आशा है ।

तृतीय योजना में भी देश ने अन्य क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के बीच संभव अन्त सम्बन्ध के बारे में ऐसे ही अध्ययन करने की प्रस्थापना है ।

रेलवे में भीड़भाड़

†*१२१६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ की तुलना में प्रत्येक रेलवे में अब भीड़भाड़ की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) इस भीड़भाड़ को कम करने के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

पर्यटन संबंधी जानकारी

*१२१७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पर्यटन सम्बन्धी जानकारी में आज तक की जानकारी रखने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन सम्बन्धी जानकारी के बारे में जिम्मेदारियों को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ;

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मांगी गयी सूचना के उत्तर में सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

खाद्य तथा कृषि संगठन का प्रतिनिधि मंडल

†*१२१८ **श्रीमती ममूना सुल्तान** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के ३० सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने देश के विभिन्न भागों का, जिसमें हापुड़ भी शामिल है, अभी हाल में दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दौरे का उद्देश्य क्या था ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). जी, हां । चावल के आर्थिक पहलू सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन परामर्शदात्री उप-समिति के पांचवें सत्र के लगभग ३० सदस्यों ने भारत को चावल सम्बन्धी स्थिति के कुछ पहलुओं जसे विपणन, कुटाई, भांडागार आदि का अध्ययन करने के लिये जनवरी, १९६१ में हापुड़ समेत कुछ पड़ोसी मंडियों का दौरा किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में रेलवे सवारी-डिब्बों का निर्माण

†*१२१९. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान यरक्राफ्ट फक्ट ी में स वर्ष मई के महीने से रेलवे सवारी-डिब्बों का निर्माण शुरू होने का कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता क्या होगी ; और

(ग) इनसे सवारी-डिब्बा उद्योग की आवश्यकताओं के कहां तक पूरा होने का अनुमान है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां

(ख) लगभग २५ सवारी-डिब्बे प्रति मास ।

(ग) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड की सवारी-डिब्बों के निर्माण में वे सवारी-डिब्बे भी शामिल हैं जो ोटे डिब्बे हैं । रेलवे सवारी-डिब्बों की निर्माण-क्षमता उनके डिब्बे उत्पादन के लिये पर्याप्त है ।

स्थायी सिन्धु आयोग

†*१२२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन् ु नदी जल सन्धि, १९६० के अनुसार स्थायी सिन्धु आयोग स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** स्थायी सिन् ु आयोग नियुक्त कर दिया गया है । भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों ने एक एक आयुक्त नियुक्त किया है और इस आ ोग में ये दोनों आयुक्त होंगे ।

पूर्वी क्षेत्र में सड़कें और राजपथ

†*१२२१. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम को शेष भारत से मिलाने वाली सड़कों पर कितने स्थानों पर मार्गविरोध रहता है और पूर्वी क्षेत्र में कितने मुख्य राजपथ बहुत कम चौड़े हैं ; और

(ख) तीसरी ंच वर्षीय ोजना की अवधि में इन अवरोधों को दूर करने और सड़कों को चौड़ा करने की क्या योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में पर्यटक

†२५२०. { श्री पांगरकर :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हेम राज :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक किस किस देश के कितने पर्यटक भारत आये थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जनवरी, १९६१ के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक विवरण संलग्न है जिस में १ नवम्बर से ३१ दिसम्बर, १९६० तक के आंकड़े दिये गये हैं। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५)** ।

महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†२५२१. **श्री पांगरकर** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में महाराष्ट्र में अभी तक किस किस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं; और

(ख) उक्त अवधि में उन केन्द्रों में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५९–६० और १९६०–६१ में (१-२-१९६१ तक) निम्नलिखित स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये थे :—

संख्या	स्थान का नाम	जिला
	१९५९–६०	
१.	कुर्दुवाडी	शोलापुर
२.	जयसिंहपुर	कोल्हापुर
३.	जानेफल	बलधाना
४.	शिरपुर	यवतमाल
५.	बरवात-बकाल	बलधाना
६.	खड़गवासला	पूना
७.	सासवाड	पूना
८.	वारगांव	जलगांव
९.	करमगांव	अकोल
१०.	जमाथी	अकोला
११.	तावेल	अमरावती
१२.	अमसिंह	अकोला
१३.	लावनवाडा	अकोला
१४.	सेगांव	बलधाना

†मूल अंग्रेजी में

१५.	तलेगांव (तालातले)	वार्धा
१६.	चटारिया	अकोला
१७.	धरनी	अमरावती
१८.	राजौर	अहमदनगर
१९.	पंगडी	शोलापुर
२०.	वैराग	शोलापुर
२१.	गाडेगाँव	शोलापुर
२२.	इसलापुर	नन्देड़
२३.	तलेगांव	जलगांव
२४.	खेडगांव	जलगांव
२५.	वकाडी	जलगांव
२६.	पंचगवन	अकोला
२७.	चिखाल्डा	अमरावती
२८.	खाडंला	सतारा
२९.	कवाथे-पीरां	सांगली
३०.	येलम	भीर
३१.	निजामपुर	धूलिया
३२.	दहीवेल	धूलिया
३३.	अभोना	नासिक
३४.	दमाडी	नासिक
३५.	नेरे	कोलाबा
३६.	वावे-तरफ खेड	रत्नगिरि
३७.	तालेन	रत्नगिरि
३८.	पावस	रत्नगिरि
३९.	दर्भाल	रत्नगिरि

१९६०-६१ (१-२-१९६१ तक)

१.	करडा	भीर
२.	खरडा	अहमदनगर
३.	कोली	नन्देड
४.	गडचिटौली	चन्दा
५.	पथरूट	अमरावती
६.	लिम्बगांव	नन्देड
७.	बोरली	कोलाबा
८.	पालघर	थाना
९.	साफला	थाना
१०.	मरेगाँव	भवतमाल
११.	निम्बोली	अमरावती
१२.	भीवापुर	नागपुर
१३.	कुखजन	रत्ननगिरी

१४.	सखार्या	रत्नगिरी
१५.	संगमेश्वर	रत्नगिरि
१६.	वडाली	धूलिया
१७.	कलवाडी	नासिक
१८.	ऊनाला	उस्मानाबाद
१९.	चकूर	उस्मानाबाद
२०.	बाडी	औरंगाबाद
२१.	मरखेल	नन्देड
२२.	अखाडा बालापुर	परभानी
२३.	भदेशी	रत्नगिरि
२४.	मालेवाड़ी	रत्नगिरि
२५.	धासाई	थाना
२६.	घनसांगवी	औरंगाबाद
२७.	बोरी	परबानी
२८.	वाशी	उस्मानाबाद
२९.	पिंगली	परमानी
३०.	जम्ब	परमानी
३१.	रहाता	अहमदनगर
३२.	चास	अहमदनगर
३३.	मलकापुर	कोलापुर
३४.	बडेगांव	नागपुर
३५.	करजां	वार्धा
३६.	तडसोना	भीर
३७.	कोयथा	परमानी
३८.	लामानी-टांडा	भीर
३९.	घाटनन्दूर	भीर
४०.	रायमोहा	भीर
४१.	सिरूर	पूना
४२.	किनगाँव	उस्मानाबाद
४३.	खाडगाँव	कोलहापुर
४४.	उमरी	नन्देड
४५.	मंडन गाड	रत्नगिरि
४६.	भोर	पूना
४७.	खंड़ वाडा	धुल्लिया
४८.	दटोडां	जलगाँव
४९.	सलेकासा	भण्डारा

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की प्रथम प्रावस्था खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना के अधीन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अनवर्तक व्यय के रूप में अधिकतम ६७,५०० रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में दिये जायेंगे। इसमें से ६०,००० रुपये या वास्तविक खर्च

की ७५ प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, इमारतों के निर्माण के लिये दिये जायेंगे, (जिनमें केन्द्र की इमारतें तथा कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर और एक परिवार नियोजन अस्पताल के लिये इमारत भी सम्मिलित है।) और ७,५०० रुपये सामान, फर्नीचर, शैयाओं और कपड़ों के लिये है। जहां तक आवर्तक खर्च का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार प्रत्येक केन्द्र को औषधियों के लिये प्रति वर्ष २,००० रुपये और कर्मचारियों के लिये ६,५००. रुपये दे रही है, शेष खर्च राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। केन्द्र की ओर से दी जाने वाली राशि स्वास्थ्य मंत्रालय, और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से केवल इमारतों के लिये ५२,००० रुपये या वास्तविक खर्च की २१/३२ राशि (जो भी कम हो) दी जाती है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३१ मार्च, १९५८ तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा संधारण पर खर्च के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भूतपूर्व बम्बई राज्य के लिये २१,९०,००० रुपयों का सहायक अनुदान दिया गया था। १ अप्रैल, १९५८ से स्वास्थ्य मंत्रालय के हिस्से का सहायक अनुदान सीधा ही महालेखापाल, महाराष्ट्र बम्बई द्वारा दिया जाता है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता तिमाही खर्च विवरणों द्वारा खण्ड आयव्ययक से प्राप्त की जाती है।

फरवरी, १९६१ के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र में खोले गये केन्द्रों के लिये उपकरणों के ९१ सैट, उप-केन्द्रों के लिये २३६ सैट, औषधियों के ९२ सैट, और ९१ गाड़ियां दी गयी थीं।

मनीपुर और त्रिपुरा में कुष्ठ रोग पर नियंत्रण

†२५२२. श्री पांगरकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मनीपुर और त्रिपुरा में अभी तक कितने कुष्ठ रोग के नियंत्रण के केन्द्र खोले गये हैं?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मनीपुर में राष्ट्रीय सहायता से तीन कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उसी अवधि में त्रिपुरा में एक केन्द्र स्थापित किया गया था। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा के लिये त्रिपुरा के आन्तरिक आदिम जातीय क्षेत्रों में दो परिभ्रमी दल भी काम कर रहे हैं;

महाराष्ट्र में चिकित्सा संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

†२५२३. श्री पांगरकर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में 'मेडिकल शिक्षा तथा प्रशिक्षण' के अधीन केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजनाओं के लिये महाराष्ट्र सरकार को कोई एकमुश्त अनुदान दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी, हां। इस खाते में महाराष्ट्र सरकार को १९६०-६१ में १६.९७ लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

विल्लुपुरम जंक्शन

†२५२४. श्री धर्म लिंगम् : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दक्षिण रेलवे के विल्लुपुरम् जंक्शन पर कतपाडी के लिये गाड़ी में चढने वाले यात्रियों को वहां पर प्लैटफार्म पर रोशनी और छाया न होने के कारण बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). विल्लुपुरम् जंक्शन स्टेशन पर रोशनी पर्याप्त मात्रा में है, और इस के कारण यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं है। प्लैटफार्म संख्या १ और २ पर कोई 'कवर' नहीं है। यात्री सुविधा समिति ने अभी तक इन प्लेटफार्मों पर छत लगाने की मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि धन की कमी है और सभी स्टेशनों पर मूल सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

उड़ीसा में ब्रांच डाक घरों के कर्मचारियों के लिये वेतन बिल

†२५२५. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सर्कल के ब्रांच डाक घरों के कर्मचारियों को सर्कल आफिस द्वारा देर से मंजूरी देने के कारण कई महीनों से मासिक वेतन नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्कल में ऐसे कितने मामले हैं ;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उचित तथा शीघ्रता से अदायगी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) कुछ एक विभागातिरिक्त ब्रांच डाक घरों के कर्मचारियों को मासिक वेतन की अदायगी में कुछ विलम्ब हो गया था।

(ख) १. कटक डाक डिवीजन—४

२. पुरी डाक डिवीजन—५

३. बोलंगिर डाक डिवीजन—१५

(ग) विलम्ब का कारण यह था कि मूल्य सम्बन्धी विवरण डिवीजनल सुपरिंटेंडेंटों से देर से प्राप्त हुए थे।

(घ) अब सभी मामले निपटा दिये गये हैं। भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की रोकथाम करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

डाक संबंधी स्टेशनरी

†२५२६. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सर्कल के विभिन्न डाक डिवीजनों के डाकघरों को उनकी मांगों के अनुसार आवश्यक फार्म तथा कार्बन पेपर संभरित नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कम संभरण के क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) कुछ एक फार्मों की कमी के कारण वे फार्म कुछ एक डाक घरों को उनकी पूरी मांग के अनुसार संभारित नहीं किये जा सके। कार्बन पेपरों का संभरण तो उनकी मांग के अनुसार ही किया गया है ।

(ख) सरकारी प्रेसों में कागज की अत्यधिक कमी के कारण आवश्यक फार्म मुद्रित नहीं किये जा सके और इसीलिये पूरी मांग के अनुसार वे संभरित नहीं किये जा सके।

(ग) आसपास के सर्कलों से कुछ फार्म मंगवा कर यहां की कमी को पूरा कर दिया गया था और इस प्रकार से अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए डाक तथा तार फार्म स्टोर, कलकत्ता से विशेष संभरण का प्रबन्ध किया गया था। आवश्यक फार्म मुद्रित किये गये थे और डाक तथा तार फार्म स्टोर, कलकत्ता को संभरित किये गये थे । कटक के डाक तथा तार डिवीजन को यह अधिकार दिया गया है कि वह आपात काल में कमी को पूरा करने के लिये स्थानीय रूप से आवश्यक फार्म छपवा सकता है ।

नंगल बांध और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी

†२५२७. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली से नंगल बांध के लिये सीधी गाड़ी चलाने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार कर रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी इस समय क्या स्थिति है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). दिल्ली और नंगल बांध के बीच एक सीधी गाड़ी की व्यवस्था के लिये इतना अधिक यातायात नहीं है और उनके अतिरिक्त दिल्ली अम्बाला सेक्शन में लाइन सम्बन्धी क्षमता भी इस समय खाली नहीं है। परन्तु फिर भी १-४-६१ से श्रीनगर एक्सप्रैस/नंगल बांध एक्सप्रैस के साथ नई दिल्ली और नंगल बांध के बीच दो सीधे सेवा डिब्बों अर्थात् प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के दो डिब्बों और एक तीसरी श्रेणी के डिब्बे, जो कि इस समय दिल्ली-कालका मेल/नंगल बांध एक्सप्रैस के साथ दिल्ली और नंगल बांध के बीच लगते हैं, के अतिरिक्त तीसरी श्रेणी का एक और सीधा डिब्बा लगा दिया जाया करेगा ।

उड़ीसा में पुल

†२५२८. श्री कुम्भार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा के बोलंगिर जिले में लंत नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्य को गति देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सड़क निधि में से उस के लिये आवंटित राशि से पटनागढ़-कांतबाञ्जी रोड के ४७वें मील पर लंत नदी पर एक पर्याप्त ऊंचा पुल बनाने का विचार रखती है। वह परियोजना प्रशासनिक दृष्टि से मंजूर कर दी गयी है और राज्य सरकार द्वारा प्रविधिक मंजूरी भी दे दी गयी है। टेंडर भी मांगें गये हैं। १९६१-६२ में इसके लिये ५०,००० रुपये निर्धारित किये गये हैं। कार्य प्रारम्भ करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विभिन्न औपचारिकतायें पूरी करने के लिये कार्यवाहियां की जा रही हैं।

बम्बई पत्तन के लिये उपकरणों का आयात

†२५२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्तिम वर्ष में बम्बई पत्तन के लिये उपकरणों के आयात के लिये कोई विदेशी मुद्रा मांगी गयी है ;

(ख) क्या मांगी गई विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या क्या उपकरण खरीदा जायेगा?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में मांगी गई कुल ८८.०८ लाख रुपये की राशि में से ६८.७९ लाख रुपये अभी तक मंजूर कर दिये गये हैं। एलेग्जेंडरा गोदी में रिम बस्कुला पुल के पुर्ननिर्माण की योजना, जिस पर १९.३२ लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च होगी, अभी विचाराधीन है।

(ग) एक सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]

पंजाब में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें

†२५३०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा नयी कौन कौन सी योजानयें भेजी गयी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को पंजाब सरकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के लिये निम्नलिखित नगर योजनायें प्राप्त हुई हैं :—

(१) व्यास बांध परियोजना।

(२) भाखड़ा दायां किनारा विद्युत् स्टेशन योजना ;

(३) डीजल विद्युत् स्टेशन योजना।

(४) उहल नदी परियोजना प्रावस्था २, और ३।

†मूल अंग्रेजी में

हिमालय प्रदेश में लिफ्ट पद्धति द्वारा सिंचाई

२५३१. **श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट पद्धति द्वारा सिंचाई की क्या सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रारम्भिक कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) हिमालय प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में नीचे की भूमि पथरीली होने के कारण लिफ्ट पद्धति द्वारा सिंचाई संभव नहीं, क्योंकि खुले कूप या नलकूप कामयाबी से नहीं खोदे जा सकते। केवल पाद-गिरि के कुछ क्षेत्रों में (जैसे सिरमूर जिले में पाओन्टा) जहां पथरीली तह मैदानी तह से काफी नीची है, उठाव सिंचाई सभंव है ।

पथरीले क्षेत्रों में जहां कूप और नलकूप असंभव हैं, नदियों से पम्पों द्वारा लिफ्ट पद्धति द्वारा सिंचाई भी कम खर्चीली नहीं क्योंकि भूभाग ढलवान होने और नदियां आम तौर पर तंग पहाड़ी घाटियों की गहराइयों में बहने के कारण पम्पों द्वारा बहुत ऊंचाई तक पानी उठाना पड़ेगा ।

(ख) जी हां। सिरमूर जिले में पाओन्टा घाटी और महासू जिले में कुनिहार क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण किये गये हैं । पाओन्टा घाटी में नलकूप पहले ही लगाये हुए हैं। दूसरे क्षेत्रों में अन्वेषण जारी हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

रेलवे में आम हड़ताल

†२५३२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६० में जिन रेलवे कर्मचारियों ने आम हड़ताल में भाग लिया था, उन सभी के मामलों को निपटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है, या सेवा से मुक्त कर दिया गया है; और

(ग) क्या उन्हें इस सजा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) विभागीय कार्यवाही के लिये ११९ मामलों पर अभी तक विचार किया जा रहा है और १७ मामले न्यायालय में हैं या पुलिस के पास हैं ।

(ख) प्रारम्भ में ७४८ कर्मचारियों को हटा दिया गया था ये सेवा मुक्त कर दिया गया था, परन्तु प्रशासन द्वारा सभी मामलों पर पुनर्विचार करने के बाद ६४८ व्यक्तियों को पुनर्नियोजित कर दिया गया था। प्रारम्भ में १२,३२८ कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गये थे । सभी मामलों पर पुनर्विचार करने के बाद सिवाय ४४ मामलों के सभी के नोटिस वापिस ले लिये गये ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में मेडिकल कालिज

†२५३३. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में राक फेलर फाउंडेशन द्वारा पंजाब के विभिन्न मेडिकल कालेजों को कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) यह अनुदान किन किन परियोजनाओं के लिये दिया गया था; और

(ग) १९६०–६१ के लिये कौन-कौन सी परियोजना चुनी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). १९५९–६० में राक फेलर फाउंडेशन द्वारा पंजाब के किसी भी मेडिकल कालेज को कोई अनुदान नहीं दिया गया था।

१९६०–६१ में गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अमृतसर को दो यात्रा अनुदान दिये गये थे, उन में से एक मेडिकल शिक्षा के लिये और दूसरा जठरान्त्रकोप शास्त्र के लिये है ।

घातक अर्बुद[1]

†२५३४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को की न्यूरोसर्जरी इंस्टीट्यूट में शल्य चिकित्सा में सहायता करने के लिए घातक अर्बुदों को रंगने का कोई तरीका निकाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे भारत में भी अपनाया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

नौवहन भाड़े की दरें

†२५३५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से लन्दन और आस्ट्रेलिया से लन्दन का माल का नौवहन भाड़ा इस तथ्य के बावजूद कि बम्बई से लन्दन की दूरी आस्ट्रेलिया से लन्दन की दूरी की आधी है प्राय: समान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार की जानकारी के अनुसार कुछ चीजों जैसे डिब्बों में बन्द वस्तुओं, मेवा और सामान्य माल की बम्बई से ब्रिटेन की दरें आस्ट्रेलिया से ब्रिटेन की दरों से अधिक हैं जब कि ऊन, फलों का रस आदि की दरें कम हैं। समुद्रपार व्यापार सम्बन्धी ये दरें, जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सम्बन्धित नौवहन सम्मेलनों द्वारा निश्चित की जाती हैं। कभी कभी इन विदेशी सम्मेलनों

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Malignant Tumours.

द्वारा भाड़े की ऊंची और भेदभाव पूर्ण दरें निश्चित कर दी जाती हैं तथा ऐसी स्थिति में भाड़ा अनुसंधान ब्यूरो द्वारा सम्मेलनों को उनमें कमी के लिए सहमत कराने के प्रयत्न किये जाते हैं। परन्तु भाड़े की दरें निश्चित करते समय नौवहन सम्मेलन केवल दूरी का ही नहीं वरना बहुत सी अन्य बातों का विचार भी करते हैं जैसे यातायात की क्षमता, माल की मात्रा संचालन व्यय, वस्तु की प्रकृति और उसका पैकिंग आदि।

ट्रैक्टरों के लिए विदेशी मुद्रा

२५३६. { **श्री पहाड़िया :**
श्री धर्मलिंगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विदेशों से ट्रैक्टर खरीदने के लिये जनवरी, १९६० से अब तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार से विदेशी मुद्रा की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) दी है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों के लिये जो विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी गई है उसकी मात्रा रुपयों में निम्न प्रकार है :—

१. आन्ध्र प्रदेश	रु० २४.०२ लाख
२. मद्रास	रु० २५.०० लाख
३. मध्य प्रदेश	रु० ४६.०० लाख
४. मैसूर	रु० ५.०० लाख
५. महाराष्ट्र	रु० १७.०० लाख
६. उड़िसा	रु० १५.०० लाख
७. राजस्थान	रु० ५.०० लाख
८. उत्तर प्रदेश	रु० २.९९ लाख
९. ऐन्डेमान और निकोबार द्विप . .	रु० २.२५ लाख
१०. बिहार	मामले पर अभी तक राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।
११. गुजरात	मामले पर अभी तक राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

माल डिब्बों से कोयले की उतराई

†२५३७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारी कभी कभी माल डिब्बों स कोयला उतारने में देरी करते हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने और माल डिब्बों को समय के अन्दर खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

(१) उतराई के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर जितने समय तक माल डिब्बे भरे खड़े रहते हैं उतने समय का निर्धारित दरों पर विलम्ब शुल्क वसूल किया जाता है।

(२) रेलवे स्वयं उतराई का कार्य करती है और उतराई का खर्च सम्बन्धित व्यक्ति से विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त वसूल कर लेती है।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

२५३८. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की कौन कौन सी बाढ़ नियंत्रण योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता तथा अनुमोदन के लिए भेजी है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में घाघरा नदी के कौन से बेसिनों में बांध बनाये जाने हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश की पूर्वोक्त समस्त बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर प्रदेश से तीसरी पंचवर्षीय योजना की कोई भी बाढ़ नियंत्रण योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायत्ता और अनुमोदन के लिए प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि घाघरा नदी के पानी को क्वानों में गिरने से रोकने के लिए उसके बायें तट पर एक बांध के निर्माण की योजना उनके विचाराधीन है।

(ग) राज्य सरकार के तीसरी योजना के प्रस्तावों के अनुसार बाढ़ नियंत्रण, जल-निस्सारण और जलानुवेधन विरोधी योजनाओं की लागत का अनुमान १४.६१ करोड़ रुपये लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

†२५३९. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरी पंच वर्षीय योजना में अभी तक गांवों के विद्युतीकरण के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्तर प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम में सरकार की सफलतायें क्या हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना ग्रवधि में छोटे बड़े कितने गांवों को, जिलेवार, विद्युतीकरण के लिये सूचीबद्ध किया गया है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्दिष्टत: गांवों के विद्युतीकरण की योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। इन योजनाओं का वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र द्वारा विविध विकास योजनाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये विद्युत् सुविधाओं के विस्तार के लिये दी गई ऋण सहायता में से किया जा रहा है। गांवों के विद्युतीकरण की योजनाओं के लिये एक केन्द्रीय ऋण सहायता की योजना १९५९–६० में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई ऋण नहीं मांगा गया है।

(ख) और (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में मध्यम परियोजनायें

†२५४०. **श्री वेंकटा सुब्बया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी मध्यम आकार की परियोजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के कुनूल जिले के पथीकुण्डा ताल्लुक की गजलदीन परियोजना सूची में सम्मिलित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका अनुमानित व्यय कितना है और इस परियोजना के अन्तर्गत कितनी भूमि में सिंचाई किये जाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) आंध्र प्रदेश में तीसरी योजना में सम्मिलित की जाने वाली मध्यम सिंचाई योजनाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे आरम्भिक पाठशाला, रायगादा

†२५४१. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रायगादा की रेलवे आरम्भिक पाठशाला में पर्याप्त स्थान नहीं है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण कार्य उचित ढंग से नहीं हो पाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) स्थान की थोड़ी सी कमी है, परन्तु उससे शिक्षण कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि पाठशाला में दो पारियां चलती हैं।

(ख) कक्षाओं के अतिरिक्त कमरे बनाने का विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक प्रोटीन वाले खाद्य का कारखाना

†२५४२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में एक अधिक प्रोटीन वाले खाद्य का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की लागत और क्षमता कितनी है ;

(ग) वह कारखाना गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा सरकारी उद्योग क्षेत्र में ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी विदेशी सहयोग की बातचीत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). कम चिकनाई और अधिक प्रोटीन वाले खाने योग्य मूंगफली के आटे के उत्पादन के लिये वर्तमान दो तेल मिलों के साथ सहयोग से यूनीसेफ की सहायता से दो अग्रिम कारखाने स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। जिनमें से एक बम्बई में होगा और दूसरा मद्रास राज्य में। प्रत्येक कारखाने में प्रतिदिन १० टन खाने योग्य मूंगफली की खली का उत्पादन होगा। यूनीसेफ प्रत्येक कारखाने के लिये लगभग ६०,००० डालर के उपकरण देने को राजी हो गया है। इस उपकरण का चुने हुये तेल मिल द्वारा किस्म में (उत्पाद के रूप में) सात वर्षों की किश्तों में भुगतान किया जाना होगा। तेल मिलें संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिये, भूमि, इमारत, कच्चे माल, संभरण और सेवाओं की व्यवस्था भी करेंगी और भारत सरकार तेल मिल की उत्पाद की कुछ शर्तों और निबन्धनों के अन्तर्गत बिक्री करने में सहायता करेगी। इस प्रकार इस परियोजना में गैर-सरकारी और सरकारी उद्योग क्षेत्रों के बीच सहयोग की कल्पना की गई है। बम्बई में स्थापित किये जाने वाले संयंत्र के संचालन के लिये एक तेल मिल चुनी जानी है। दूसरी तेल मिल के मद्रास राज्य में से चुने जाने के संबंध में शीघ्र अन्तिम निर्णय कर लिये जाने की आशा है।

मनीपुर में चावल की सहकारी मिलें

†२५४३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में सहकारी समितियां कुछ चावल की मिलें चला रही हैं ; और

(ख) ऐसी मिलों की क्रमशः नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या कितनी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इम्फाल में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

†२५४४. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों के १२ एककों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अभी तक नहीं।

(ख) निर्माण कार्य १९६१-६२ में प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जायेगा।

रेडियो लाइसेंस

†२५४५. **श्री चाण्डक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में रेडियो लाइसेंसो से कितनी आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** :

	रुपये
१९५७-५८	२,१८,९४,६३७.००
१९५८-५९	२,६१,८२,०७४.००
१९५९-६०	२,९९,६९,३२४.००

उड़ीसा में विभागातिरिक्त डाकघर

†२५४६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बेगुनिया पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसे विभागातिरिक्त डाकघर हैं जिनमें कोई भी पत्र नहीं डाले जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा के पुरी जिले के दिऊली डाकघर के पोस्ट मास्टर अपनी डाक का थैला नियमित रूप से किसी दूसरे डाकघर से पत्र निकालकर भरा करते हैं ;

(ग) क्या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ऐसी स्थिति के संबंध में समुचित जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण जानकारी में नहीं आया है। परन्तु हाल में इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ). इस महीने में उस शिकायत के संबंध में जांच की गई है। अभी तक शिकायत की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जांच अभी जारी है।

उड़ीसा में फल-परिरक्षण एकक

†२५४७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये २०,००० रुपये प्रति एकक की अनुमानित लागत पर फल-परिरक्षण एककों का आवंटन किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये १५ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक बड़े पैमाने के एकक का भी आवंटन किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में ७ छोटे पैमाने के और एक बड़े पैमाने का एकक चालू हुये हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उड़ीसा मे छोटे पैमाने के एकक किन व्यक्तियों ने तथा किन स्थानों में चालू किये गये हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उड़ीसा के लिये आवंटित ७ छोटे पैमाने के एककों में से अभी ४ एकक स्थापित हुये हैं। दो एकक कटक में हैं और एक एक परलाकीमेदी (जिला गंजम) और अंगुल (जिला ढेंकानल) में। कटक और परलाकीमेदी के एककों में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है और अंगुल के एकक में उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की संभावना है। बड़े पैमाने का कोई भी एकक स्थापित नहीं किया गया है ।

(घ) राज्य सरकार ने शेष छोटे पैमाने के फलपरिरक्षण एककों और बड़े पैमाने के एकक की स्थापना का विचार अभी तक स्थापित हुये चार एककों की प्रगति का अवलोकन करने के पश्चात् करने का निर्णय किया है ।

(ङ) जिन साथों ने केन्द्रीय सहायता से छोटे पैमाने के एकक स्थापित किये हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(१) मेसर्स उत्कल फ्रूट प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, अंगुल ।

(२) मेसर्स कलिंग फ्रूट प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, परलाकीमेदी ।

(३) मेसर्स बाराबती फ्रूट प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, राजबगीचा, कटक ।

(४) मेसर्स उड़ीसा फ़्रूट प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कटक ।

तिरुवन्नमलाई का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

†२५४८. श्री धर्मलिंगम् : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवन्नमलाई नगरपालिका द्वारा तिरुवन्नमलाई का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में सुधार करने के लिए पारित संकल्प पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मद्रास सरकार का ध्यान उस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया था । उन्होंने नगरपालिका के सभापति को यह उत्तर भेजा था कि चूंकि तिरुवनमलाई में विदेशी पर्यटक बहुत सीमित सख्या में आते हैं इसलिए राज्य सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन गृह का निर्माण

†मूल अंग्रेजी में

करना आवश्यक नहीं समझती है। उन्होंने यह भी लिखा कि उस स्थान पर तीसरी पंच वर्षीय योजना में अल्प आय वर्ग के लाभ के लिए एक विश्राम-गृह के निर्माण का प्रस्ताव है।

भारतीय और पाकिस्तानी यात्रियों के बीच मुठभेड़

†२५४६. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २२ फरवरी, १६६१ को अथवा उस समय के आस पास पूर्व रेलवे के सियालदह-रंगाघाट सेक्शन पर पेरादंग और नैहाटी स्टेशनों के बीच एक गाड़ी में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के रूप में भारतीय विद्यार्थियों और पाकिस्तानी नौजवानों के बीच कोई गड़बड़ हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तानी नौजवानों की गाड़ी को किसी स्टेशन पर रोक कर रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो कितने समय तक; और

(ङ) क्या उसके रोके जाने के कारण अन्य गाड़ियां भी समयानुसार नहीं चल सकी थीं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). हां, श्रीमन् । २२-२-६१ को जब डाउन पूर्व बंगाल एक्सप्रेस कंचनपाड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो नैहाटी कालेज के ६ या ७ विद्यार्थी नीचे के दर्जे में स्थान न मिलने के कारण एक पहले दर्जे के डिब्बे में घुस गये जिस में पाकिस्तानी विद्यार्थी यात्रा कर रहे थे। पाकिस्तानी विद्यार्थियों ने भारतीय विद्यार्थियों की इस कार्यवाही का विरोध किया, उनको अनाहूत प्रवेष्ठा कहा, उनके टिकट देखने का प्रस्ताव किया और उन में से एक को ठोकर तक मार दी। जब गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी तो बहुत से विद्यार्थी उस डिब्बे के आगे जमा हो गये और उन्होंने पाकिस्तानी विद्यार्थियों से बिना शर्त माफी की मांग रखी। पाकिस्तानी विद्यार्थियों के इंस्ट्रक्टर द्वारा लिखित माफी मांग लिये जाने पर मामला शांतिपूर्वक खत्म हो गया।

(ग) और (घ). इस घटना के कारण गाड़ी ४३ मिनट तक हालीसहर स्टेशन पर और ७ मिनट तक नैहाटी स्टेशन पर रुकी रही।

(ङ) केवल शांतिपुर लोकल गाड़ी को हालीसहर स्टेशन के आउटर सिगनल पर २० मिनट के लिए खड़ा रहना पड़ा था।

मद्रास राज्य में सिंचाई की बड़ी तथा मध्यम परियोजनायें

†२५५०. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास की राज्य-सरकार द्वारा उस राज्य में तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान बड़ी और मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की प्रार्थना की गई थी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मद्रास सरकार ने अपनी तीसरी पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में सिंचाई की बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के लिए ४० करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मद्रास के लिए तीसरी योजना के आवण्टनों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†२५५१. **श्री बाली रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनसागर परियोजना की दायें किनारे की नहर की खोसला समिति द्वारा सिफारिश की गई क्षमता कितनी है; और

(ख) डिजाइन तैयार किये गये और क्रियान्वित किये गये रूप में पानी की निकासी क्षमता कितने है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) २४,४०० क्यूज़ेक जिससे नल्लामलाई पहाड़ियों के पूर्व के समस्त क्षेत्र में कृष्णा और पेन्नार के डेल्टों तक सिंचाई हो सकेगी ।

(ख) ११,००० क्यज़ेक जिससे ९.७ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी । चुनाई के कार्य का डिजाइन अन्ततः २१,००० क्यूज़ेक की निकासी के लए बनाया जायेगा

रेलवे नियम पुस्तकों का अनुवाद

२५५२. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे की प्रशासनिक हिदायतों और नियम पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए क्या योजना बनाई गई है; और

(ख) योजना बनाने के आदेश कब दिये गये थे तथा योजना कब बनाई गई और अब तक इस सम्बन्ध में कितना काम हो चुका है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस तरह की कोई निश्चित योजना नहीं बनायी गयी है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

उड़ीसा में सामुदायिक विकास खण्डों में गबन

†२५५३. **श्री कुम्भार** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में अभी तक विभिन्न खण्डों में सामुदायिक विकास निधियों में से बड़ी बड़ी रकमें गायब हैं अथवा उनका दुर्व्यय और दुर्विनियोग हुआ है और इसलिए अधिकांश विकास योजनायें रोक ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में जिले-वार उस अवधि में वर्षवार कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और ऐसे मामले किस प्रकार के हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन मामलों में कितने सरकारी और गैर सरकारी सदस्य अन्तर्ग्रस्त हैं;

(घ) उन्हें अभी तक किस प्रकार का दंड दिया गया है;

(ङ) सम्बन्धित व्यक्तियों से उस राशि की वसूली की प्रक्रिया क्या है;

(च) अभी तक ऐसे कितने मामले निपटाये जाने के लिये पड़े हुए हैं;

(छ) उसके क्या कारण हैं; और

(ज) निर्णय में शीघ्रता लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ३७]**

(ग) अन्तर्ग्रस्त सरकारी व्यक्ति ३२
अन्तर्ग्रस्त गैर सरकारी व्यक्ति

(घ) और (ङ). सल्लीकोट खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी की दो वृद्धियां संचयी प्रभाव रोक दी गई हैं और अधिकारी से १०५१ रुपये ३४ किश्तों में वसूल करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

(च) २८ ।

(छ) अनुसंधान पूर्ण होने और दांडिक मामलों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के निपटाने में विलम्ब के कारण ।

(ज) जहां तक विभागीय कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, जांच अधिकारियों से अपनी जांचें शीघ्र पूरी करने के लिए कहा गया है। दांडिक न्यायालयों में न्यायाधीन मामलों में आवश्यक समय लगेगा ही। फिर भी जिलाधीशों को शीघ्रता के लिए संभव कदम उठाने की हिदायत दी गई है ।

उड़ीसा में उर्वरकों का व्यापार

†**२५५४. श्री कुम्भार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में रसायनिक उर्वरकों के व्यापार के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था

(ख) यदि हां, तो क्या उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने रसायनिक उर्वरकों के व्यापार के सम्बन्ध में कोई समिति नहीं बनाई थी। उड़ीसा राज्य सहकारी विपणन

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति ने, जो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिए राज्य सरकार की एकमात्र वितरण एजेंट है, राज्य में उर्वरकों के वितरण के कार्यकरण की जांच करने और वितरण प्रणाली में सुधारों के सुझाव देने के लिए एक समीत का निर्माण किया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसकी विभिन्न उपपत्तियां सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा को भेजे गये माल का करीमगंज (आसाम) में रोक रखा जाना

†२५५५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा को भेजा जाने वाला माल करीमगंज (आसाम) रोका हुआ पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). लगभग ४३०० मन माल त्रिपुरा भेजे जाने के लिए करीमगंज में रुका पड़ा है। इस माल को नियमित रूप से सड़क द्वारा अगरतला भेजा जा रहा है।

लमडिंग और बदरपुर के बीच रेल सेवायें

†२५५६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर सीमान्त रेलवे के लमडिंग और बदरपुर के बीच रेल सेवायें सीमित हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग से त्रिपुरा को माल के संभरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। रात में यात्री गाड़ियों के चलने के बचाव के लिए २५-२-६१ से लमडिंग और बदरपुर के बीच गाड़ी सेवायें फिलहाल कम कर दी गई हैं।

(ख) त्रिपुरा राज्य के लिए माल के यातायात की निकासी पर कोई असर नहीं पड़ा है।

पठानकोट में रेलवे क्वार्टर

†२५५७. **श्री दी० चं०** शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट में १९६०-६१ में रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टर बनाये गये थे;

(ख) कितने क्वार्टरों का आवण्टन किया गया है; और

(ग) १ मार्च, १९६१ को कितने कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोई नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) (१) तीसरी श्रेणी के कर्मचारी २३७

(२) चौथी श्रेणी के कर्मचारी ३८२

हावड़ा-संभलपुर पैसेंजर गाड़ी

†२५५८. **श्री कुम्भार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९६१ से हावड़ा-संभलपुर पैसेंजर गाड़ी बन्द की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस गाड़ी के चलाने के पक्ष में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० मो० बनर्जी से मुझे एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो संक्षेप में इस प्रकार है।

"नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से २ अप्रैल १९६१ को होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में चुनाव आन्दोलन में शासक दल द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर तत्काल विचार किया जाये, क्योंकि पश्चिम विनय नगर तथा कई स्थानों पर सभा करने के अनुमति रद्द कर दी गयी और एक व्यक्ति को श्री गुप्त के चुनाव घोषणा पत्रों को वितरित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : स्थगन प्रस्ताव रखने का मेरा उद्देश्य केवल यह है कि यह चुनाव बहुत शीघ्र होने वाले हैं। पश्चिम विनय नगर में एक स्थान पर श्री ओम प्रकाश गुप्ता के प्रचार के लिये हमें अधिकारियों से सभा करने की अनुमति मिल गयी थी। जब वहां सभा होने वाली थी तो प्रशासक दल के कुछ व्यक्ति पुलिस को बुला लाये। इस प्रकार उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : स्थगन प्रस्ताव मिलते ही मैं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और गृह मंत्रालय के सचिव और गृह मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत की। मुझे दुख है कि इस सम्बन्ध में मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई खबर नहीं है। चुनाव आयुक्त ने इस बात पर दुख प्रकट किया है कि ये मामले उनके ध्यान में नहीं लाये गये। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही इस उद्देश्य से हुई है कि चुनाव निश्पक्ष हों तथा चुनाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रखी जाय। तथा इस देश में जहां तक संभव हो चुनाव निश्पक्ष रूप से हों। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक तथ्य न होने के कारण मैं न तो उनका समर्थन ही कर सकता हूं और न उनका विरोध ही कर सकता हूं। उन्हें इस सम्बन्ध में मुख्य चुनाव आयुक्त, या गृह मंत्री या मुझ से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में अभी इस समय कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : विशेषतः दिल्ली के मामले में जब कि गृह मंत्री कल यह वक्तव्य दे चुके हैं कि संसद् ही दिल्ली की विधान सभा है और इस के मंत्री ही दिल्ली के मंत्री हैं अतः यदि दिल्ली में कोई बात हो जाये तो सदस्यों को चाहिये कि वे गृह मंत्री या उपमंत्री को फोन कर लेवें। वे उन्हें आवश्यक सहायता दे सकते हैं।

मैं आशा करता हूं कि इस कार्य के प्रभारी मंत्री इस बात का प्रयत्न करेंगे कि सभी दलों को अवसर मिले और किसी प्रकार की अनियमतता नहीं हो।

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे अभी अभी इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मिली है। मैं उसे सभा को देना चाहता हूं। २९ ता० को एक अन्य दल द्वारा यह आवेदन किया गया कि वे तेलमंडी में सभा करना चाहते हैं। उन्हें अनुमति दे दी गयी। श्री ओम प्रकाश गुप्त ने छै टूटी में सभा करने की अनुमति मांगी वह उन्हें दे दी गयी। २९ तारीख के २ ४५ बजे उन्होंने यह आवेदन किया कि वे अपनी सभा छै टूटी में न कर तेलमंड़ी में करना चाहते हैं। उनका यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया।

जब उन्हें दो बार सभा करने की अनुमति दी जा चुकी थी तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें वहां सभा करने की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि यह ज्ञात नहीं हो सका कि वे सभा का स्थान क्यों बदलना चाहते थे। २९, ३० और ३१ तारीख के दौरान पश्चिम विनय नगर में सभा करने के लिये श्री स० म० बनर्जी से ६ आवेदन पत्र प्राप्त हुए। दिये गये आदेशों पर गौर करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि श्री बनर्जी केवल तीन स्थानों में सभायें कर सकते हैं। उनमें से एक स्थान पश्चिमी विनय नगर था जहां दूसरे चुनाव लड़ने वाले दूसरे दल के उम्मीदवार को पहले ही अनुमति दी जा चुकी थी।

जहां तक विज्ञान भवन के निकट एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, २८ तारीख को जब कि विज्ञान भवन में एक सभा होने जा रही थी, बारह चौदह व्यक्ति वहां जमा हो गये वे अपने को राष्ट्रीय मॉक्स संत्र के कह रहे थे, वे प्रतिनिधियों को पुस्तिकायें और पर्चियां बांटने लगे। उनसे कहा गया कि वे रास्ता खाली कर देवें। वहां किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी।

†**श्री रामनाथ चेट्टियार** (पुदुकोटै) : क्या माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के रूप में चुनाव प्रचार करना उचित है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं उनका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

नावदा में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना

†**श्रीमती मैमूनासुल्तान** (भोपाल): नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाती हूं। और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"नावदा बिहार रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगने से कई हजार रुपये की इमारती लकड़ी का नष्ट हो जाना।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: २६ और २७ मार्च १९६१ के बीच मध्य रात्रि को पूर्वी रेलवे में गया-क्यूल खंड में गया से ३५ मील पर नावदा रेलवे स्टेशन में स्थायी पटरी नरीक्षक के स्टोर यार्ड के बाहर रखे गये लट्ठों पर आग लग गई। मुख्य पटरी के निकट ४५०० लट्ठे रखे गये थे स्टेशन मास्टर से सूचना पाते ही सहायक इंजीनियर गया, रेलवे सुरक्षा बल, तथा आग बुझाने वाला दल लेकर गाड़ी से तत्काल वहां ३.४५ बजे पहुंच गये। गया के असैनिक आग बुझाने वाले दल को भी सूचना भेजी गयी। वह दल ३ बजे प्रातः वहां पहुंच गया। ५.३० बजे तक आग बुझायी जा चुकी थी। आग से लगभग २६०० तख्ते जल गये अनुमान है कि कुल हानि लगभग ६४००० हजार रुपये की हुई। ज्येष्ठ अधिकारी स्तर पर जांच करने का आदेश दिया जा चुका है। आग की जांच का कारण विचाराधीन है।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : यह आग अचानक लग गयी या इसमें विध्वंसक तत्वों का हाथ है। सरकार की इस सम्बन्ध क्या जानकारी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है, हमें प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों ही अग्निकांड के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिरक्षा सेवायें, १९६१ तथा विनियोग लेखा

†**परिवहन और संचार मंत्री (डा०प० सुब्बारायन)** श्रीमान् : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिरक्षा सेवायें, १९६१। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७८८/६१]**

(दो) वर्ष १९५९–६० के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे और उसका वाणिज्यिक परिशिष्ट। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० —२७८९/६१.]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब मोटर गाड़ी नियमों में संशोधन

†**डा० सुब्बारायन :** श्रीमान, श्री राज बहादुर की ओर से मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ नवम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच० (टी) १४—१९८/५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० २७९०/६१]**

प्राक्कलन समिति

एक सौ पंद्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): श्रीमान्, मैं परिवहन तथा संचार मंत्रालय पर प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(एक) असैनिक विमान चालकों के प्रशिक्षण और नियोजन के बारे में एक-सौ-पन्द्रहवां प्रतिवेदन ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (रिपोर्ट और लेखे) के बारे में एक-सौ-सोलहवां प्रतिवेदन ।

अनुदानों की मांगें—जारी

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी। माननीय मंत्री उत्तर देंगे। कुछ माननीय सदस्य इस समय बोलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। इस समय बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कल जब इस विषय पर वाद-विवाद हो रहा था तो माननीय सदस्य उठ उठ कर चले गये थे। इस प्रकार से वाद-विवाद को लम्बा तो नहीं किया जा सकता। श्री बाल्मीकी कहते हैं कि उन्होंने आज के लिए बोलने को लिखा था भविष्य में मैं ऐसी इच्छाओं को नहीं मानूंगा। जो सदस्य समितियों के काम में लगे हैं उन्हें भी सभा के काम पर नजर रखनी चाहिये।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** कल वाद-विवाद की समाप्ति पर ही सभापति महोदय ने हमें जवाब के लिये कहा था। उस समय गणपूर्ति भी न थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** आगे से सभा को यदि देर से बैठना हुआ करेगा तो वह बात ३ बजे बता दी जाया करेगी और गणपूर्ति न होने पर भी हम आगे चला करेंगे। इस समय श्री चंदा को बीच में बोलने देंगे और उसके बाद भी चर्चा चलेगी।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) :** कल के वक्ताओं ने कहा कि देश में मकानों की हालत खराब है। यह ठीक है। खासकर गांवों में तो हालत खराब ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात करना चाहता हूं वह यह कि आगे से इस तरह की घटना न घटनी चाहिये इस से जनता में गलतफहमी फैलती है।

†श्री अनिल कु० चंदा : मैं बोलने लगा ही था कि श्री सामन्त ने उठ कर कहा कि सभा में गणपूर्ति नहीं है।

खैर, गांवों के मकानों की हालत समझने के लिये हमें सांख्यिकी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

गांव को देखते ही सारी हालत का अन्दाज हो जाता है। यह ठीक है कि आवासन के लिए योजना के अन्तर्गत ज्यादा रकम आवंटित नहीं की गयी और जो भी की गयी उसे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। किन्तु बात यह है कि योजना में हर चीज को प्राथमिकता नहीं दी जाती। कुछ राज्य आवासन के काम को इतना महत्व नहीं देते जितना हम देते हैं। वस्तुतः हम लोग भी इसे ज्यादा महत्व नहीं देते और कल सदस्यों का न होना इस बात का प्रमाण है।

देहात में मकानों की बुरी दशा को बताने के लिए सदस्यों न कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। खैर मकानों की हालत तो बुरी है ही परन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं कि ५४० लाख मकानों में से ५०० लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें गिराकर दुबारा बनाया जाना चाहिए। एक मकान को केवल इसी कारण खराब नहीं कहा जा सकता कि उसमें सीमेंट का फर्श नहीं।

हमारे इलाके में कुछ कच्चे मकान बड़े सुन्दर होते हैं। कुछ वर्ष पहले आस्ट्रेलिया के एक विख्यात डाक्टर भारत आए और शांतिनिकेतन में ठहरे। यह वही डाक्टर थे जिन्होंने १९३६ में नेता जी का आपरेशन किया था। उन्होंने कहा कि सब से सुन्दर तो उन्हें संथालों के कच्चे घर लगे जिनकी छतें भी घासफूस की थी। जिस ने यह मकान नहीं देखे वह उनकी अच्छाई को समझ ही नहीं सकता। इन सब बातों के बावजूद भी गांवों के मकानों की हालत काफी खराब है।

गांवों की हालत सुधारने के लिए हमें एक तो सफाई की जरूरत है, दूसरे जल पूर्ति करने की जरूरत है और तीसरे सड़कें बनाने की भी आवश्यकता है। यदि मुझे सम्पूर्ण अधिकार हों तो मैं सब से पहले गांवों में जल की व्यवस्था कराने का प्रबन्ध करूं और आवासन का सारा रुपया भी उधर ही लगा दूं। जहां तक ग्रामीण सड़कों का सम्बन्ध है, मैं यह अवश्य कहूंगा कि वहां संघीय बोर्ड की सड़कों का अतिक्रमण होने लगा है। अतः जो लोग ग्रामोद्धार में रुचि लेते हैं उन्हें सब लोगों को यह जतलाना चाहिए कि यह एक अपराध है। सडास का प्रबन्ध हर छोटे घर में होना चाहिए। यदि चीन की भांति हमारे यहां भी पाखाने की खाद डाली जाती तो अलग बात थी मगर हम ऐसा नहीं करते इस कारण हर घर में संडास का होना लाजमी है। राष्ट्रीय निर्माण संगठन के माध्यम से हमने काफी जानकारी इकट्ठी की है और जनप्रिय भाषाओं में यह बातें प्रकाशित की हैं कि ग्रामीण किस प्रकार सस्ते में ही संडासों की व्यवस्था कर सकते हैं। इन समाचारों को प्रादेशिक भाषाओं में अनूदित कराने की प्रार्थना भी हमने की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्रामीण आवासन के लिए राज्यों ने तुलनात्मक दृष्टि से जो कम धन का उपयोग किया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह सामान्य रूप से ऋण देने का काम नहीं है। यदि यह वितरण छोटे आय वर्ग की योजना के अनुसार होने वाले वितरण के समान होता तो ५ करोड़ क्या ५० करोड़ रुपया भी बांटा जा सकता था । किन्तु हमपजिस योजना को चला रहे हैं उसे ग्राम आवासन परियोजना कहते हैं। इसके अनुसार गांवों को पूर्ण रूप से दोबारा बनाना होगा । इस के अन्तर्गत हर ग्रामीण को मकान की लागत का ६६ २/३ प्रतिशत भाग दिया जायेगा परन्तु ३००० की लागत में २००० से अधिक का ऋण न होगा। शेष रकम ग्रामीण को खुद जुटानी होगी और चाहे वह रुपये की शक्ल में हो या फिर श्रम आदि के रूप में हो ।

इसलिए ऐसी बात नहीं कि रुपये का इस्तेमाल नहीं हो सका। हम चाहते थे कि राज्य सरकारें ऐसे सल बनायें जो भौतिक और सामाजिक सर्वेक्षण करें और साथ ही गांव वालों का सहयोग भी प्राप्त करें। गांव वालों के सहयोग के बिना योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं किया जा सकता ।

†श्री रंगा (तेनाली) : क्या यह सच नहीं कि गांव वालों को आवासन के लिए सीधी सहायता न दे कर मकान ठेकेदारों की मार्फत बनवाये जा रहे हैं जो बीच में से काफी पैसा खा जाते हैं ।

†श्री अनिल कु० चन्दा : इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं पता। इस योजना का मंतव्य यही है कि जो ग्रामीण सहायता प्राप्त करे वह लागत का तिहाई हिस्सा श्रम या किसी दूसरी शक्ल में मिलाये ।

वास्तव में सरकार खुद मकान नहीं बनाती । अपनी आय करने पर ही जोर दिया जाता है । यदि माननीय सदस्य वह सारी चीजें पढ़ें जो उन्हें इस विषय पर दी गयीं हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञान भली प्रकार से हो जायेगा कि यह सारी योजना ग्रामीणों के सहयोग के ऊपर निर्भर है । हम ग्रामीणों को टेक्निकल सहायता भी देते हैं। इस योजना के अन्तर्गत दरवाजे तथा खिड़कियों आदि के संभरण के लिए सहकारी संस्थाओं का बनाया जाना भी अभिप्रेत है । इसी दृष्टि से हम ने राज्य सरकारों को कहा था कि पहले वह उन क्षेत्रों में काम शुरू करे जहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड हों या सामुदायिक परियोजनायें हों। इसका कारण यह है कि वहां पर अर्द्ध ओवरसीयर होते हैं जो गांव वालों को काफी जानकारी दे सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने ग्रामीण आवासन के बारे में राज सहायता देने का भी प्रश्न उठाया है । हमने योजना आयोग से भी यह बात की थी परन्तु योजना का सारा आधार ही प्राथमिकता निर्धारित करने का है । यह प्रश्न कि क्या इस प्रयोजन के लिये हमारे पास धन है, बड़े महत्व का प्रश्न है । हम शहरों में गन्दी बतिस्यों में रहने वालों और औद्योगिक श्रमिकों को राज सहायता देते हैं। इस का कारण स्पष्ट है । शहरियों के पास तो निर्माण की सामग्री नहीं होती, देहातियों के पास तो होती है। गांव वाले तो बांस आदि से झोंपड़ी भी खड़ी कर लेते हैं ।

कई क्षेत्रों में ऐसी सामग्री पर्याप्त मात्रा में होती है । हमारे इलाके में गांव में कच्चे घर बने हुए हैं। यदि हम सब की सहायता कर सकते तो निश्चय ही हम करते।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

किन्तु हमारे साधन सीमित हैं और हमें पहले जरूरी चीजों की ओर ध्यान करना पड़ता है। माननीय सदस्य इस चीज से सहमत होंगे कि औद्योगिक मजदूरों के निवास स्थानों में तुरन्त सुधार करने की आवश्यकता है। ये लोग राज सहायता के बिना अपने आप मकान नहीं बना सकते।

गांव वालों को जो ऋण दिया जा सकता है उसकी अधिकतम सीमा २००० रुपया है। हमें इस सम्बन्ध में यह भी देखना चाहिए कि गांव वालों की अदा करने की ताकत पर भी ध्यान देना होता है। यदि हम उन्हें ज्यादा ऋण दे दें, तो उस पर वह भार असह्य हो जायेगा।

ग्राम आवास योजना के लिए कई तरह का आरम्भिक कार्य करना पड़ता है। यह प्रसन्नता की बात है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के अलावा अन्य सभी राज्यों में काफी काम होने लगा है और शुरू के सर्वेक्षण हो चुके हैं। राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों ने बड़ी ईमानदारी से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने लक्ष्य से अधिक काम शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष राज्यों में १,००,९०,००० रुपया लिया जबकि पहले के तीन वर्षों में १,००,७८,००० रुपया लिया गया था। यही चीज जाहिर करती है कि वे अब पूरी लगन से काम कर रहे हैं।

उदयपुर में पिछली आवासन मंत्रियों की बैठक में यह सिफारिश की गयी थी कि ग्राम आवासन के लिए ३० करोड़ रुपया प्राप्त करना चाहिए। हम इस विषय पर योजना आयोग से बातचीत कर रहे हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि तीसरी योजना में इस बात का क्या रूप होगा पर हमें काफी आशा है कि हमें पहले की अपेक्षा ज्यादा धन मिलेगा।

जहां तक गन्दी बस्तियों का सम्बन्ध है यह एक ऐसी चीज है जिसमें हर बड़े शहर का रहने वाला व्यक्ति बड़ी दिलचस्पी लेगा। यह समस्या भी ग्राम्य आवास के बराबर की समस्या है। वास्तव में तो गरीबी ही इसका कारण है। २९०-२९३ रुपये की प्रति व्यक्ति आय से हम गन्दी बस्तियों को बिल्कुल तो हटा नहीं सकते। अधिक उन्नत देशों ने भी कोई ज्यादा बड़ा काम कर के नहीं दिखाया। अभी मैं एक लेख का हावाला दूंगा जिसमें ग्रामीण आवासन सम्बन्धी एक पुस्तक का उद्धरण दिया गया है। यह चीज लिवरपूल के बारे में है :—

> "आज से १०० वर्ष पहले अर्थात् १८६४ में लिवरपूल में गन्दी बतिस्यों को हटाने का काम शुरू हुआ था पर अब भी वहां पर ८८,२३३ ऐसे मकान हैं जो अत्यधिक गन्दे हैं। यद्यपि एक मास में १०० परिवारों को नये मकान मिलते हैं तथापि अब तक हजारों परिवार ऐसे हैं जो उन्हीं मकानों में रह रहे हैं। जिन्हें रहने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ८८,२३३ में से २७,००० मकानों की तो मरम्मत भी नहीं हो सकती। एक साल में ऐसे एक हजार मकान गिराये जा रहे हैं। इसी रफ्तार से कुछ मकान २५ वर्ष बाद भी रहेंगे और उस समय तक अनेक पुराने मकानों को इसी वर्ग में शामिल करना पड़ जायेगा।"

अन्य कठिनाइयों के अलावा भावनात्मक कठिनाइयां भी हैं। जो सदस्य गन्दी बस्तियों हटाने पर बहुत जोर देते हैं, वे ही हमारे पास आते हैं जब उनसे गन्दी बस्तियों को खाली

कराने की बात की जाती है । प्राकृतिक रूप में जब किसी से जगह खाली करायी जाती है तभी सभी को दुख होता है और इसी कारण से वे लोग हमारे पास आते हैं। गर्मी, वर्षा और सर्दी सभी ऋतुओं में उन लोगों को कष्ट होगा जिनसे मकान खाली कराये जायेंगे । अतः इस काम में काफी कठिनाइयां हैं। इसी कारण अशोक सेन समिति ने हमें बताया है कि पहले बड़े शहरों की ओर ध्यान दिया जाये । उन शहरों के नाम हैं मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कानपुर तथा अहमदाबाद ।

कुछेक राज्यों में काफी काम किया गया है । भूतपूर्व बम्बई सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी काम किया है और श्री काजी के नेतृत्व में प्रभावपूर्ण काम हुआ है । प्रधान मंत्री स्वयं बम्बई में काम का उद्घाटन करने गये थे और उन्होंने कहा था कि बम्बई में गन्दी बस्तियों की सफाई पर और भी धन दिया जायेगा ताकि वह बम्बई की गन्दी बस्तियों को हटाने का काम जल्दी से कर सकें ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : बम्बई से भिन्न राज्यों के बारे में क्या हालत है ।

†**श्री अनिल कु० चंदा** : जहां तक अन्य शहरों का संबंध है हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं । किन्तु कुछ छोटे शहरों के लिये हमें खास तौर पर कार्यवाही करनी पड़ती है। हमने ऐसे मामलों में राज सहायता से गंदी बस्तियों को हटाने की अनुमति दी है। किन्तु साधन सीमित होने के कारण हमें पहले ६ बड़े नगरों की ओर ही ध्यान देना है। यदि हम इस क्षेत्र को ठीक करने में सफल हो गये तो अन्य क्षेत्रों की जनता को भी उत्साह प्राप्त होगा ।

दूसरी कठिनाई यह है कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग कुछ भी नहीं देते । किन्तु जब हम पक्के मकान बनाते हैं तो उनका कम से कम किराया भी उनके द्वारा दिये जाने वाले किराये से कहीं ज्यादा होता है । इसलिये उन्हें कठिनाई होती है। दिल्ली में ऐसा हुआ है क्योंकि यहां पर दिल्ली विकास प्राधिकार के बहुत से मकान खाली पड़े रहे थे। किन्तु यह गरीबी के कारण है ।

अब मैं राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवासन के संबंध में कुछ कहूंगा । इस दिशा में भी काफी प्रगति की गयी है। राज्यों ने काफी कुछ किया है। दुर्भाग्य से अनेक शहरों में कारखाने ठीक शहरों के बीच में हैं और यह धारणा बनी हुई है कि मजदूरों को उनसे दो मील से अधिक की दूरी पर नहीं रहना चाहिये । इसके अलावा दूसरी कठिनाई भूमि की है। भूमि तो ऐसी चीज है जिसमें वृद्धि की ही नहीं जा सकती । हां चीन की तरह से दूसरों की भूमि दबाना और चीज है । पर हम तो यह नहीं कर सकते। यदि लोग यह न चाहें कि मजदूरों को कारखानों के ही निकट बसाया जाय तो और अधिक काम हो सकता है ।

अधिकांश राज्यों ने ऐसे कानून बना लिये हैं जिनकी सहायता से वे औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भूमि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्हें यह अधिकार भी दे दिया गया है कि वे राज सहायता में से कुछ रकम उस भूमि को विकसित करने के लिये भी खर्च कर सकते हैं। यह ठीक है कि १७ प्रतिशत मकान नियोजकों ने ही बनवाये हैं। अधिकांश काम राज्यों ने ही किया है और नियोजकों को बाध्य करने की बात पर वे विचार कर रहे हैं। वैसे ऐसा कानून बना देना तो आसान है किन्तु इसमें काफी कठिनाइयां हैं। नियोजक यदि कहें कि हम पैसा लगाने को तैयार हैं मगर सीमेंट, लोहा और भूमि की व्यवस्था होनी चाहिये तो इसका क्या उपचार हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कु० चन्दा]

अनेक सम्मेलनों में इसी चीज पर चर्चा हुई है और श्रम तथा नियोजन मंत्रालय ने अन्य देशों के प्रयत्नों के बारे में हमें सूचना दी है। यद्यपि औद्योगिकों की जिम्मेदारी है कि वे मजदूरों के लिये मकान बनवायें पर हमें भी ऐसे ही उद्योगों पर भार नहीं डालना चाहिये। मकान तो जरूरी है पर रोजगार और भी जरूरी है। यदि हमारे किसी कदम से उद्योगों की प्रगति में बाधा पहुंचे तो हम और ज्यादा नुकसान करेंगे। तब भी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और योजना आयोग से भी सलाह की जा रही है कि उद्योगपतियों पर किस तरह से दबाव डाला जाय जिससे वे अपना उत्तरदायित्व निभायें। श्री तंगामणि जो अनेक सुझाव देते हैं, श्रमिक आंदोलन में काफी रूचि रखते हैं। परन्तु उनकी सहकारी संस्थाओं ने इस दिशा में क्या किया है।

†**श्री तंगामणि** : हमने ८७ मकान बनाये हैं।

†**श्री अनिल कु० चंदा** : किन्तु देश में लाखों श्रमिक हैं। हम मजदूरों की सहकारी संस्थाओं को २५ प्रतिशत राज सहायता और ६५ प्रतिशत ऋण देते हैं और शेष १० प्रतिशत भी भविष्य निधि से निकाला जा सकता है। इस तरह से वे बिना खर्च मकान बना सकते है। अत. मैं श्री तंगामणि से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने दल के प्रभाव से मजदूरों को इसी दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करें।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने की हमारी योजना काफी व्यापक है। तीसरी योजना में इसके लिये काफी रकम रखी गयी है। किन्तु यहां भी मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि झुग्गियों और झोपड़ियों को खाली कराने में वे हमारी मदद करें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में हमें किसी भी नये उद्योग की स्थापना शहर के निकट नहीं होने देनी चाहिये। अन्यथा नयी नयी समस्यायें उठ खड़ी होती हैं। पहले तो हमारे देश में ऐसा करना संभव नहीं था पर अब बिजली के बाहुल्य के कारण यह भी संभव हो गया है। हमारे यहां सड़कें वगैरह भी बनने लगी हैं। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि कुछ बड़े शहरों से बड़े कारखानें बाहर ले जाये जा सकते हैं या नहीं। पिछले दिनों जब मैं चीन गया तो वहां शंघाई में यही सोचा जा रहा था कि कुछ बड़े कारखानों को शहर के बाहर ले जाया जायगा क्योंकि पहले ही वहां की आबादी काफी हो चुकी थी। ऐसा तो शायद हमारे यहां संभव न हो पर हम आगे के लिये तो रोकथाम कर ही सकते हैं।

श्री तंगामणि ने विस्फोटक द्रव्यों के बारे में काफी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। किन्तु जमूरिया बाजार की दुर्घटना पर चर्चा करते समय मैंने अपने विभाग की स्थिति इस संबंध में स्पष्ट कर दी थी। हमारे लोगों को यह देखना होता है कि क्या आवासों तथा कारखाने के अन्तर की शर्त ठीक तरह से निभाई गयी है या नहीं और फिर बारूद की तैयारी और उसके रखने के स्थान को भी देखा जाता है लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किस तरह से काम करें। यह ठीक है कि निरीक्षण होना चाहिये परन्तु हम चाहें एक मास में एक बार निरीक्षण भी क्यों न करें तो भी ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना समाप्त नहीं की जा सकती जैसी कि बारसेट में हुई है। यहां पर कारखाना बीस वर्ष से चालू था। हर साल हमें यह प्रमाण पत्र देखना पड़ता है कि क्या कारखाने की स्थिति ठीक है? इस कारखाने का निरीक्षण भी सितम्बर, १९६० में हुआ था। दुर्घटना के कारणों की जांच का प्रतिवेदन अभी हमें नहीं मिला परन्तु विस्फोट के स्थान पर एक हथौड़ा मिला। अब यह तो अनिवार्य होता है

---

†मूल अंग्रेजी में

कि वहां लोहे की कोई चीज नहीं होनी चाहिये क्योंकि लोहे की चोट लगते ही चिंगारी पैदा हो जाती है और विस्फोट हो जाता है। आरम्भिक जांच से यही लगता है कि लकड़ी की पेटियों में बारूद का सामान भरकर जब उनमें कीलें ठोकी गयीं तो विस्फोट हुआ।

वहां पर कुछ आतिशबाजी का सामान बनता था। उन्होंने सोनपुर का भी उल्लेख किया। वहां पर हमारी अनुज्ञप्ति नहीं थी पर जिला दंडाधिकारी की आज्ञा थी। उस आदेश के अनुसार २५ पौंड से ज्यादा बारूद नहीं रखा जा सकता। इसमें हमारा दखल नहीं रहता। दुर्घटना का हमें दुख है किन्तु इसमें अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाला भी तो मरा है। न केवल वह ऐसी चीजें रखता था जिनको आज्ञा नहीं थी पर इसके साथ ही वह घर पर बारूद बनाता था। विस्फोट में बेचारे की जान गयी।

अब मैं बाली के मामले का उल्लेख करूंगा। श्री माथुर ने कहा है कि मैं सभा में काफी गलत सूचनायें देता हूं। मैंने बाद में जांच की और पता लगा कि कुछ हद तक मैं गलत था। यह किला बाद में राजस्थान की रियासत के पास चला गया था। मुझे इस चीज के लिये बड़ा अफसोस है। बाली पहले जोधपुर में था और बाद में राजस्थान सरकार ने इसे ले लिया था। राजस्थान सरकार अथवा जिला दंडाधिकारियों ने हमारे विभाग को इन किलों और स्थानों की सूचना दी जहां पर सलामी की तोपों के लिये बारूद रखा जाता था। ४२ स्थान हमें बताये गये। ३८ स्थानों का निरीक्षण कर लिया गया है और १७ स्थानों पर बारूद जाया कर दिया गया है। परन्तु बाली के किले में बारूद की जानकारी हमारे विभाग को न थी। इस कारण वहां के विस्फोट में से हमें आश्चर्य हुआ। इस विस्फोट के बाद जिला अधिकारियों ने सुजात नगर में भी बारूद का पता दिया। उसे देखा जा चुका है और बारूद जाया कर दिया गया है। कुछ मामलों में हमें कठिनाइयां हुईं क्योंकि किलों के मालिक बारूद जाया करने पर आपत्ति करते थे। वस्तुतः राजस्थान में किलों और प्रासादों की भरमार है और सारे स्थानों का निरीक्षण अभी तक भी संभव नहीं हो सका है। हमने वहां के मुख्य आयुक्त को लिखा है कि वे ऐसे स्थानों की पूरी सूची हमें दें।

जमूरिया की दुर्घटना के बाद से हमने आसनसोल के क्षेत्र में भी एक विशेष पदाधिकारी को नियुक्त किया है। इसी तरह से गोमिया और शिवकाशी (दक्षिण) में भी हमने ऐसे ही अधिकारी नियुक्त किये हैं।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद से हमने निरीक्षण संबंधी प्रक्रिया को ठीक ठाक करने का पूरा यत्न किया है। राज्य सरकारों को इस दिशा में काफी जानकारी और कड़ी हिदायत दी गयी हैं। इसके खतरों को दिखाने वाला एक चलचित्र भी हमने तैयार कर लिया है। अफसरों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी हमने संभाल ली है।

जहां तक जनपथ होटल का संबंध है, पहले तो यही विचार था कि इसे ईस्टर्न कोर्ट की भांति होस्टल ही रखा जाय किन्तु बाद में जब युनेस्को सम्मेलन होना था और अनेक अतिथि यहां आने थे तब हमने अशोक होटल बनाया और जनपथ होस्टल को भी होटल बना दिया इसी कारण इसमें कुछ नुक्स हैं।

भोजन की व्यवस्था का प्रबन्ध एक गैर-सरकारी ठेकेदार करता है। हमारा मंत्रालय प्राक्कलन समिति की तत्संबंधी सिफारिशों पर विचार कर रहा है। किन्तु अब यह होटल भी जनप्रिय हो रहा है। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा लोग यहां ठहरे। ग्राहकों की सूची से ज्ञात होता है कि कुछ लोग बार बार यहां आते हैं। अतः होटल का प्रबन्ध इतना खराब नहीं जितना कि कुछ लोग कहते हैं। यदि कोई शिकायत हो तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मंत्रालय की एक समिति इसके कामकाज का निरीक्षण करती है।

[श्री अनिल कु० चन्दा]

अशोक होटल के बारे में श्री तारिक ने काफी कुछ कहा। उनकी उर्दू सख्त होने के कारण पूरी तरह से हमारी समझ में नहीं आयी। बाद में मैंने उनके भाषण का अनुवाद प्राप्त किया पहली बात तो यह है कि यह होटल लाभ में चलेगा। अगले साल इससे २५ लाख रुपये का फायदा होगा। तीन चार वर्ष में इतनी तरक्की काफी है।

यह कहा गया है कि हम अनावश्यक खर्च करते हैं ३१ मार्च, १९५९ तक औसत मासिक आय ५,२०,००० रुपये और व्यय ६,३७,००० रुपये था। किन्तु मार्च, १९६० की अवधि के अन्दर औसत मासिक आय ६,२९,००० रुपये और व्यय ४,४७,००० रुपये था। पिछले ग्यारह महीनों में औसत आय ७,३६,००० रुपये और खर्च ५,२२,००० रुपये है।

हमने नौकरों के क्वार्टरों पर $१७^१/_२$ लाख रुपये खर्च किये हैं। इनमें ५०० कर्मचारियों के आवास हैं और उनसे अभी तक किराया नहीं लिया जाता। अब हमें लाभ होने लगा है। और समिति ज्यादा क्वार्टर बनाना चाहती है। किन्तु प्राक्कलन समिति ने कहा है कि पूंजीगत कार्यों पर ज्यादा रुपया न खर्चा जाय। इस कारण सरकार इस बात पर विचार कर रही है।

श्री तारिक ने कहा कि दुकानदारों से काफी ज्यादा किराया लिया जा रहा है। यह सब टेंडरों के आधार पर होता है। व्यापार के काम में खैरात तो होती नहीं। उन्होंने एक किताब बेचने वाले का भी उल्लेख किया है। वह केवल इसी कारण वहां नहीं आया कि अशोक होटल का किराया मात्र दे। वह भी व्यापारी है और अपने घाटे या लाभ को ठीक तरह से समझता है। एक बार श्री तारिक ने अपने किसी पहचान वाले दुकानदार की अनुज्ञप्ति के बारे में हमारा ध्यान दिलाया था। उसका टेंडर ऐसा था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अतः उसे चले जाने का नोटिस दिया गया। बाद में वह ज्यादा देने को भी राजी हो गया। इसी चीज से यह पता चल सकता है कि अशोक होटल के पास दुकान चलाना किस हद तक लाभदायक है। अतः यह सारा काम टेंडरों के आधार पर होता है। यदि हम टेंडरों के आधार पर यह निर्णय न करें तो किस आधार पर करें। यदि हम कम टेंडर स्वीकार करें तो कहा जायगा कि हम पक्षपात करते हैं।

माननीय सदस्य ने मुख्य प्रबंधक के वेतन का भी उल्लेख किया। मैं होटल के प्रबन्धकों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने होटल को ठीक ढंग से चलाया है और अफसरों तथा अधीनस्थों के पारस्परिक सम्बन्ध बड़े अच्छे हैं।

होटल के महाप्रबन्धक को २,४०० रुपये महीने मिलते हैं। इस होटल को एक बड़ा औद्योगिक संस्थान ही समझना चाहिये। उस में सरकार ने लगभग तीन करोड़ रुपये लगाये हैं। महाप्रबन्धक का फ्लैट होटल में ही है। वह महाप्रबन्धक के लिये ही खास तौर पर बनाया गया है। क्योंकि उसे चौबीसों घन्टे ड्यूटी पर रहना पड़ता है। कई विमान दिल्ली में आधी रात को पहुंचते हैं, और महाप्रबन्धक को उन के यात्रियों के लिये होटल में बैठना पड़ता है। महाप्रबन्धक के फ्लैट में इस समय एक बैठक और दो शयन कक्ष हैं और वह फ्लैट के किराये तथा भोजन के हर महीने ५०० रुपये देता है। इस में थोड़ी रियायत जरूर है, पर इतनी नहीं कि उसे रहने स्थान के लिये ५,२५० रुपये महीने देने पड़ते। हां, उतनी जगह का इतना किराया तब मिल सकता है जब कि उसे होटल के अतिथियों के ठहरने लायक बना दिया जाय और वह साल भर तक भरा रहे। इसी तरह प्रबन्धक का वेतन २,५०० रुपये महीने है और उसे खाने और रहने के ३०० रुपये महीने देने पड़ते हैं। उस के फ्लैट में भी दो कमरे हैं। प्रबन्धक एक विदेशी है।

श्री तारिक ने कहा है कि होटल में भूतपूर्व सैनिकों की भरमार है। यह सही नहीं है। होटल में कुल मिला कर १,३०० कर्मचारी हैं, जिन में से केवल ५२ भूतपूर्व सैनिक हैं। उन ५२ में से एक प्रशासकीय कर्मचारी, २० सुरक्षा कर्मचारी, ८ चपरासी और कुली, ६ रसोइये, ७ स्टोर्स में, ३ टेकनिकल काम पर, ३ हिसाब रखने में, २ स्टीर्ड्वास, १ ड्राइवर और १ बैरा के काम पर हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि होटल की आमदनी का सब से बड़ा ज़रिया यही है कि सरकार के अतिथियों को वहीं ठहरा दिया जाता है। असलियत यह है कि पिछले दो साल में सरकारी अतिथियों से होने वाली आय कुल आय की ३–४ प्रतिशत ही रही है। मेजों पर बच रहने वाली खाने की चीजों को भी फिर से काम में लेने की कोशिश की जाती है। ३१–३–६० तक प्रचार पर कुल आय का केवल ३ प्रतिशत ही खर्च हुआ है। चालू वर्ष में तो शायद १·७ प्रतिशत ही रहेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा कश्मीर) : प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में कहा कहा गया है कि स्टोर्स वगैरह के उपयोग में और अधिक सुधार की गुंजाइश है।

†श्री अनिल कु० चंदा : सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। होटल के प्रबन्धक इसकी कोशिश जरूर करेंगे।

माननीय सदस्य ने आई० सी० एस० अधिकारियों की उपस्थिति के बारे में कहा था। आठ ऐसे सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी नीति यही है। कि आगे के लिये सरकार अभी इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

संत्रागाची प्रेस की मशीनें आज के मुकाबले काफी सस्ती दरों पर खरीदी गई थीं। लेकिन मशीने चलाने के लिये समय पर बिजली नहीं मिल सकी। अब वह सुलभ हो रही है और उसे चालू करने के लिये नये कर्मचारी रखने की अनुमति हमने गृह-कार्य मंत्रालय से मांगी है। कलकत्ता में धर्मतल्ला प्रेस के लिये इमारत बनकर तैयार हो गई है। हम ने इस वर्ष गंगटोक में भी एक प्रैस लगाया है नेपाली, तिब्बती और हिन्दी भाषा में छपाई के लिये। पहले वहां कोई भी प्रेस नहीं था।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में औद्योगिक मजदूरों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत लगभग ६,००० क्वार्टर बनाये गये थे। उनका किराया अधिक होने के कारण फैक्टरियों के मजदूर उन में नहीं गये। इसीलिय अब उन में लगभग ४·५ हज़ार केन्द्र और राज्य-सरकार के कर्मचारी रह रहे हैं। बाद में, उन में से १५०० क्वार्टर विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को दे दिये गये थे।

पहले जब क्वार्टर बने थे तब तो समझा जा रहा था कि केन्द्र ने उन के निर्माण के लिये राज्य सरकार को सहायता दी है, लेकिन अब उसे ऋण मान लिया गया है। राज्य सरकार उस को अदा करने में असमर्थ है। इसलिय उन में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को निकालने की बात चल रही है। यह बड़ा गलत होगा। जब तक उन के लिय दूसरे क्वार्टर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

तैयार न कर लिये जायें उनको निकालना नहीं चाहिये। सरकार को सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिये। राज्य सरकार यदि केन्द्र का ऋण चुकाना भी चाहे, तो उसे क्वार्टरों का किराया बढ़ाना पड़ेगा। वह अनुचित होगा।

गन्दी बस्तियों के बारे में श्री अशोक सेन के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा हुई थी। कानपुर को भी गन्दी बस्तियों का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उपमंत्री का कहना है कि गन्दी बस्तियों की जगह नई इमारतें बनाने तक के लिये गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग को वहां से हटना नहीं चाहते। वे वहां खुशी से नहीं रहते। १९५५ में प्रधान मंत्री कानपुर गये थे उन्होंने कहा था कि गन्दी बस्तियों को आग लगा देनी चाहिये।

असल बात यह है कि उनको उचित मुआवजा देने और उसी क्षेत्र में नये मकानों में बसाने की गारंटी देना जरूरी है। यदि यह हो जाये, तो वे अस्थायी तौर पर उन गन्दी बस्तियों से हटने के लिये तैयार हो जायेंगे।

गन्दी बस्तियों में न तो पानी की और न संडासों की उचित व्यवस्था है। दोनों के लिये उनको लम्बी-लम्बी लाइनें लगानी पड़ती हैं। कम से कम ये सुविधायें तो फौरी तौर पर जुटाई जानी चाहियें।

अशोक होटल और जनपथ होटल के बाद, अब दिल्ली में मिन्टो रोड पर एक जनता होटल बनाया जा रहा है। उसके लिये सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले ४० परिवारों को खाली करने के नोटिस भी दिये जा चुके हैं। यह ग़लत है। सरकारी कर्मचारियों को निकाल कर जनता होटल बनाना अनुचित होगा।

†श्री च० क० रेड्डी : उनको दूसरे क्वार्टर दिये जायेंगे।

†श्री स० मो० बनर्जी : जनता होटल ऐसे क्षेत्र में नहीं बनना चाहिये जहां सरकारी कर्मचारी बसते हों।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो क्वार्टर बनाये जा रहे हैं, उन में एक ही कमरा होता है और बरामदा नहीं रखा जाता। ऐसे क्वार्टरों में कम से कम दो कमरे और एक बरामदा अवश्य होना चाहिये। आशा है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय की भांति अन्य मंत्रालय भी इसका निर्णय शीघ्र ही करेंगे।

श्री तंगामणि ने स्टोर्स के पर्यवेक्षण का प्रश्न उठाया था। क्या यह सही है कि दक्षिण रेलवे के लिये कानपुर के मेसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स ने जो 'एन्कर' बना कर दिय थे, वे घटिया किस्म के थे? मेसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर में बहुत बदनाम हैं। उनके साथ सौदा करने में अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिये।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के मजदूरों को दैनिक की जगह मासिक वेतन दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहे।

मैं जानना चाहूंगा कि १९५४ में जिन क्वार्टरों को रहने के लिये अयोग्य घोषित कर के उनमें रहने वाले कर्मचारियों को कहीं और हटा दिया गया था, अब तक उनको फिर से वे क्वार्टर वापस क्यों नहीं दिये गये?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की मांगों पर विचार चल रहा है। मैं किसी कार्यवश कल इस सदन में उपस्थित न हो सका, किन्तु आज मैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

इस मंत्रालय के सी० पी० डब्ल्यू० डी० में जो भ्रष्टाचार का समावेश हो रहा है, उसको दूर करने के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं और सतर्कता यूनिट ने जिस तीव्रता से कार्य किया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जिस दिन से वह इस मंत्रालय में आये हैं, उसी दिन से उनके मस्तिष्क में भ्रष्टाचार को दूर करने के बारे में एक प्रकार की बेचैनी रही है। जिन अधिकारियों के विरुद्ध इस प्रकार के गहरे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, उनके विरुद्ध जो कार्रवाहियां की गई हैं, उनसे हमें यह उम्मीद होती है कि हमारा यह मंत्रालय भ्रष्टाचार के दोष से पवित्र हो रहा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य कहूंगा कि ठेकेदारी प्रणाली को, जो इस अवस्था की और इस भ्रष्टाचार की एक जड़ है, दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं, जब कि पिछले वर्षों में बराबर यह सवाल उठाया जाता रहा है कि ठेकेदार, चाहे वह कर्मचारियों को लाने वाला ठेकेदार हो, या निर्माण की योजनाओं को हाथ में लेने वाला ठेकेदार हो, जड़ होता है भ्रष्टाचार को फैलाने का और अधिकारी और दूसरे कर्मचारी उनसे लाभ उठाते हैं। वे मजदूरों को पूरी रोजी भी नहीं देते। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदारी सिस्टम को, जो इस मंत्रालय में एक रूप से विद्यमान है, जोर से दूर करने का प्रयत्न किया जाये।

अभी मैंने भ्रष्टाचार की बात की लेकिन आप जानते होंगे कि नई दिल्ली में धरती के नीचे पानी फैल रहा है। तूफ़ान या जल-प्रलय क्या है कि वह केवल मनुष्य का पाप। इस स्थिति की जांच के लिये एक कमेटी बनाई गई। यह बात ठीक है कि भले ही आप पानी को फेंकते रहें, लेकिन नीचे ही नीचे जिस प्रकार से पानी जड़ में बैठता है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार भी फैलता है, और जड़ में बैठता है। जहां सरकार उसको दूर करने का प्रयत्न करती है, वहां इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। सब सायल वाटर के बारे में जो प्रतिवेदन हमारे सामने आया है, उसको मैं ने पढ़ा है, लेकिन मैं कहूंगा कि सारे देश में जाने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सविशेष नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना डिफ़ेक्टिव और खराब है कि हमें उन इंजीनियर्ज़ और आर्किटेक्ट्स के मस्तिष्क पर दया आती है कि वे किस प्रकार हमारे निर्माण के कार्यों को ले कर चलना चाहते हैं। ज़रा सी वर्षा में घुटनों के ऊपर, तागड़ी से ऊपर पानी चला जाता है। जिस जगह जनता होटल बनाया जा रहा है, पिछली वर्षा में मैं वहां सामने था। मैं ने देखा कि पानी उल्टा बह रहा है था, जिस की वजह थी ड्रेनेज सिस्टम की खराबी। सरकार उस खराबी को किस प्रकार दूर करना चाहती है, माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

जहां तक इस विभाग के कर्मचारियों की अवस्था का प्रश्न है, वह अब भी शोचनीय है। उन को कल्याणकारी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। उनको सिक्योरिटी आफ़ सर्विस की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। उन के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, विशेषकर क्लास फ़ोर के लोगों और वर्क-चार्ज्ड स्टाफ़ के लोगों के साथ। मैं चाहूंगा कि उनको ये सुविधायें नौकरी की सुरक्षा की सुविधायें और कल्याणकारी योजनाओं की सुविधायें प्राप्त हों और उन के साथ अच्छा व्यवहार हो। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री बाल्मीकी]

वर्क-चार्ज्ड स्टाफ़ को रेगुलर करने के लिये कुछ प्रयत्न कि गये हैं, लेकिन वे धीरे रे किये गये हैं। यह अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि वर्क-चार्ज्ड स्टाफ़ के लोगों को यह उम्मीद नहीं होती कि हमारी नौकरी ठीक चलेगी या नहीं। उनको हर समय यह डर रहता है कि हम किसी भी समय निकाल कर फैंक दिये जा गे। जहां उन को रेगुलर करने की कोशिश की जा रही है, वहां नई सर्विस के रूप में उन को रेगुलर किया जा रहा है, और उन लोगों की पंद्रह पंद्रह, बीस बीस साल की सर्विस भी इन्क्लूड नहीं की जाती है। इन अनियमितताओं और डिसपेरिटीज़ की ओर, जो बढ़ती जा रही हैं, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक स्वीपर्ज़ स्टाफ़ का संबंध है, उनके लिये रहने के क्वार्टरों का प्रबन्ध नहीं है। वे ज्यादातर वर्क-चार्ज्ड स्टाफ़ में हैं। उनको कैसे रेगुलर बनाया जाये, इस पर विचार करना चाहिए। उनमें से काफ़ी लोगों को अभी पिछले एक आ साल में, और कुछ महीनों में भी, निकाला गया है। उनमें चौदह से बीस साल की सर्विस के लोग हैं। सब से बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ लोग सब-डिविजन में काम करते हैं, कुछ डिविज़न में काम करते हैं, कुछ बड़े विभाग में काम करते हैं। इस प्रकार उनकी सर्विस की कोई गारन्टी नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनकी कैटेगरी निर्धारित हो सब-डिवीजन को छोड़कर, डिविज़न को छोड़ कर, एक डिपार्टमेंट के आधार पर उन की सर्विस पक्की की जाये।

डायरेक्ट्रेट आफ़ एस्टेट्स के बारे में मुझे विशेष शिकायत है और यह बात अवश्य है कि उसका का यकीनी तौर से असंतोषजनक है। वह एकामोडेशन दे नहीं पाता है और बहुत सी डिमांड्स उसके सामने रहती हैं। जो एलाटमेंट होती है, वह धीरे-धीरे, देरी से, समझदा ी से नहीं, फ़ेवरटिज्म और नेंपाटिज्म के आधार पर होती है? वहां पर हल्के, हल्के, बहुत ज्यादा नहीं, डिक्टेटरशिप भी आ रही है। माननीय मंत्री जी खतों का जबाब दे देते हैं, लेकिन पिछले वर्षों से डायरेक्ट्रेट आफ़ एस्टेट्स को अगर कोई पत्र भेजा जाता है, तो उसका जबाब नदारद होता है। सबलेटिंग भी होती है, लेकिन उस का सब से बड़ा दोष डायरेक्ट्रेट आफ़ एस्टेट्स के ऊपर है। चोर जहां भी बसते हैं। उनके आधार पर सबलेटिंग चलती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेष प्रकार से डायरेक्ट आफ़ एस्टेट्स को शुद्ध करने की आवश्यकता है।

यही बात नहीं, बल्कि वहां इस प्रकार के अधिकारी बैठे हैं--मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस प्रकार के असिस्टेंट एस्टेट आफिसर्ज़ भी हैं, जिन के बारे में कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी डर नहीं है कि उन की वाणी में अश्लीलता होती है, गन्दी भाषा होती है, । वे नहीं जानते कि कोई क्लास फोर का आदमी है, हरिजन है, उस के साथ व्यावहारिकता की दृष्टि से किस प्रकार बात चीत की जाये। मैं व्यक्तिगत बातें नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन डिसक्रिमिनेशन डायरेक्टर आफ एस्टेट्स में होता है। क्लास फोर को जब एलाटमेंट किया जाता है, उस वक्त होता है। इस प्रकार का जो डिसक्रिमिनेशन बरता जाताहै वह बन्द होना चाहिय। साथ ही साथ अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह भी नहीं होना चाहिये। इस ओर आपको सविशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है।

मैं चाहता हूं कि चाहे क्लास थ्री के कर्मचारी हों और चाहे क्लास फोर के हों, उन को अधिक से अधिक एकोमोडेशन देने का प्रयत्न आपकी तरफ से होना चाहिये । जहां और हाउसिंग के बारे में प्रोग्राम चल रहे हैं, वहां इन लोगों के लिये क्वार्टर्स बनाने के बारे में जो धीरे धीरे प्रयत्न किये जा रहे हैं, ये तेज़ होने चाहियें। जब एकामोडेशन ठीक तरह से न दिये जाने की बात आती है तो मेरा ध्यान सविशेष क्लास थ्री और क्लास फोर की तरफ जाता है । उन के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वे ठीक प्रकार से नहीं किए जा रहे हैं । उन के लिये अधिक से अधिक रहने का, आवास का प्रयत्न किया जाना चाहिये। और क्वार्टर्ज़ उन को आसानी से मिल सकें, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

आवास का प्रश्न है यह बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही भयंकर प्रश्न है । मैं जानता हूं कि इस बारे में आपने प्रयत्न किए हैं और उस ओर हम सब का ध्यान भी गया है । लेकिन इस के वावजूद भी आवास का प्रश्न हल नहीं हो पा रहा है और इस को जल्दी हल किया जाना चाहियें । हमारे देश में विकास की योजनायें चल रही हैं आर्थिक विकास की योजनायें चल रही हैं और वे एक प्रकार से वैभव और ऐश्वर्य की योजनायें हैं। वैभव और ऐश्वर्य आदमी की शक्ल से दिखाई देता है, यह ठीक है। दूसरे और बड़े साथी इस को मंजूर करें या न करें लेकिन यह सच है कि जो पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं, आर्थिक विकास के जो प्रयत्न चल रहे हैं, उन के फलस्वरूप हल्के हल्के हमारे चेहरों पर रौनक आने लग गई है और सम्पन्नता दिखाई देने लग गई है । लेकिन यह भी सच है कि लोगों के पास आज रहने के लिये अच्छे मकान नहीं हैं । खाने के लिए अच्छा अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हैं, जीवन में नित्यप्रति की असुविधायें बढ़ती जा रही हैं, दुनिया भर की आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिलती हैं। आदमी का वैभव आदमी का ऐश्वर्य उस के मकान से दिखाई देता है । उस दिशा में आप प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि नहीं कर रहे हैं । सविशेष जहां पर भी थोड़े थोड़े, हल्के हल्के मकान आपने बनाये भी हैं, वे सभी शहरों के अन्दर ही बनाये हैं। नगरों के चारों ओर ही बनाये हैं।

चारों तरफ जब हम निगाह डालते हैं तो पाते हैं कि शहरों के अन्दर ही या आस पास ही आपके प्रयत्न चल रहे हैं और ग्रामों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । यह हमारी नीति है और हम यह चाहते हैं कि देश के अन्दर ग्रामीकरण हो और उसकी ओर हमें चाहिये कि हम विशेष ध्यान दें । यह जरूर है कि जिस प्रकार से आज ग्राम फैले हुए हैं वे बड़ा ही घिनौना दृश्य उपस्थित करते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि उन के रूप को बदला जाए। इसी सदन के पिछले मेम्बर तथा हमारे नेता माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन ने यह प्रश्न उठाया था और इस को माननीय मंत्री जी के सामने रखा था और कहा था कि गांवों को इस प्रकार से फैलाया जाए कि खेतों पर उन के मकान हों, वाटिका गृह योजना चालू की जाए। उस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। आपको चाहिये कि गांवों के रूप को आप बदलें। आपने गांवों के लिये केवल पांच करोड़ रुपया ही रखा है जो कि बहुत कम है। उदयपुर में हाउसिंग मिनिस्टर्ज़ कान्फ्रेंस हुई थी और वहां पर यह रिकोमेंडेशन हुई थी कि जो रकम आवास के लिए रखी गई है उस को बढ़ा कर ३०-३२ करोड़ कर दिया जाए। यह बात आप जानते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं। डेढ़ सौ करोड़ रुपये जब कुल आवास योजनाओं इत्यादि के लिये रखे गए हैं तो उस में केवल १५-१६ करोड़ रुपया आवास के लिए रखना क्या ठीक है ? मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा देहातों के लिए रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान उधर दिया जाए । यही नहीं बल्कि ग्रामों में स्वच्छता लाने के लिए नाली सरकों के लिये अलग धन निर्धारित होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री बाल्मीकी : अभी पंद्रह मिनट नहीं हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को माननीय सदस्य मुझ पर छोड़ दें । दो मिनट और वह ले सकते हैं।

श्री बाल्मीकी : चूंकि आप चाहते हैं कि दो मिनट में मैं खत्म कर दूं इस वास्ते मैं संक्षेप में अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा।

गन्दी वस्तियों को हटाने का प्रश्न यहां सदन में आया है। झोंपड़ियो को हटाने का प्रश्न भी उपस्थित हुआ है । जहां तक इनका प्रश्न है देश के अन्दर गन्दी बस्तियां व झोंपड़ों में मुझे कोई भेद प्रतीत नहीं होता है । इस के बारे में जो अनियमिततायें बरती जा रही हैं और खास तौर पर गन्दी वस्तियों में रहने वालों लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और चाहता हुं कि यह ज्यादती बन्द हो । उनको किसी प्रकार की सुविधायें नहीं मिलती हैं। पीने के पानी की सुविधायें, यूरीनल, लैट्रिंज या टट्टियों को सुविधायें तथा दूसरो सुविधायें नहीं मिलती हैं । जब आप झोंपड़ियों आदि को गिराते हैं, तो एक प्रकार से हमला करते हैं। फैक्ट्री रोड पर तथा दूसरी जगहों पर झोंपड़ियों को जब गिराया गया है तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे मैडीवल पीरियड या मध्यकालीन हमला हुआ करता था वैसा ही हमला आज हो रहा है । आप अवश्य झोंपड़ियों को गिरायें, उन को हटायें, लेकिन इसके साथ ही साथ उन के लिए स्वच्छ वातारण तैयार करें, सुन्दर आवास को सुविधायें उन को देने का प्रयत्न करें, उन को आलटरनेटिव एकामोडेशन दें, कम्पेंसेशन दें तथा जो उनको दूसरी आवश्यकतायें हैं, उन को पूरा करें। यह उत्तर-दायित्व सरकार का है ।

अब मैं भंगियों के आवास के प्रश्न पर आता हूं । वह भी बहुत भयंकर है। आज भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी जो राज्य सरकारें हैं वे न ग्रामों में रहने वालों के प्रश्न के बारे में और न ही दूसरी योजनाओं के बारे में कोई पग उठाती हैं, वे बिल्कुल उदासीन हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी अपना अंकुश जरा तेज़ करें, जरा कड़ा करें। समाज के इन गिरे हुए लोगों की तरफ ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। भंगियों के लिए आवास योजनाओं के बारे में हाउसिंग मिनिस्टर्ज कान्फ्रेन्स में बराबर रिकोमंडेशंज की जाती रही हैं लेकिन वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसका कारण यह है कि राज्य सरकारें उधर ध्यान नहीं देती हैं, उनकी ओर से उदासीन हैं। साथ ही साथ हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं या जो कारपोरेशंज हैं, वे भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देती हैं। लो-इन्कम ग्रुप या गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के अधीन भी काम आगे नहीं हो पा रहा है। दिल्ली को ही आप ले लीजिये। यहां पर आज भी भंगियों की वही पुरानी बस्तियां हैं और कोई नई बस्तियां कायम नहीं की गई हैं। न ही, उन बस्तियों में कोई सुधार हो पाया हैं। मैं खास तौर पर भंगियों की बात कहता हूं। उनके तथा दूसरे चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनके मकान केवल वरांडे नहीं होने चाहियें, एक कोठरी वाले नहीं होने चाहियें बल्कि दो कोठरी वाले मकान उनको मिलने चाहियें। उनमें नलों की, पानी की और लैट्रिंज या नालियों की विशेष तौर पर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। मैं सारे

देश में घूमा हूं और जहां कहीं भी मैं गया हूं मैंने पाया है कि इनके मकान डम्पिंग ग्राउंड्स के पास हैं, लैट्रिज के पास हैं, मैला डिपोज के पास हैं। उनके मकान हों वे स्वच्छ जगहों पर होने चाहियें। इसके बारे में रिकोमंडेशन आपने ही की है मगर राज्य सरकारों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है, म्यूनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन ने ध्यान नहीं दिया है। मैं राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि भंगियों की आवास समस्या को हल करने के लिए व आगे बढ़ें और इस ओर विशेष ध्यान दें। यह समस्या राष्ट्रीय आधार पर हल होनी चाहिये।

†श्री पुन्नूस (अम्बलपुझा): सभी मानते हैं कि हमारे यहां आवास की समस्या बड़ी गम्भीर हो गई। है इस संबंध में मेरा एक सुझाव है।

सरकार ६,००० रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिये ५ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देती है, तो ३० साल में अदा किया जाना चाहिये। मतलब यह कि यदि कोई ८,००० रुपये का ऋण ले, तो उसे ३० साल में, १६,००० रुपये अदा करने पड़ेंगे।

मेरा तो ख्याल है कि सरकार को इसमें कुछ हद तक घाटा भी बर्दाश्त करने के लिये तैयार रहना चाहिये हमें विदेशों से ढाई प्रतिशत दर पर ब्याज मिलता है। इसलिये सरकार को भी मकान बनाने के लिये ढाई प्रतिशत ब्याज से अधिक नहीं लेना चाहिये। ३० साल की बजाय, ऋण की अदायगी की अवधि २५ या २० वर्ष रखनी चाहिये।

माननीय मंत्री ने बताया है कि औद्योगिक आवास के सम्बन्ध में एक नियम यह है कि मजदूरों के क्वार्टर फैक्टरी से दो मील से ज्यादा दूर न हों। मजदूर कुछ बस्तियों में जाना इस लिये पसंद नहीं करते कि वहां बाजार नहीं होते। इस दिशा में प्रगति तभी हो सकती है जब मालिकों, मजदूरों और सरकार के बीच आपस में सहयोग हो।

पिछड़े हुए राज्यों में एक कठिनाई यह आती है कि मालिक लोग इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को खर्च नहीं करना चाहते। इसलिये एक कोई संगठन एसा भी होना चाहिये जो उनको विवश कर सके।

†श्री नि० बि० माईति (घाटल): मंत्रालय की बड़ी नुक्ताचीनी की गई है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाय तो मंत्रालय का काम संतोषजनक रहा है।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग दिल्ली ही नहीं, नेफा तक में निर्माण कार्य करता है और उससे सभी संतुष्ट हैं। एसे लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से उनका उत्साह ही कम हो सकता है।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मंत्रालय ने ठेकेदारी प्रथा कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की स्थापना की है।

सभी सरकारी कर्मचारियों को आवास जुटाने की दिशा में भी मंत्रालय ने काफी काम किया है।

श्री तारिक ने अशोक होटल की बड़ी नुक्ताचीनी की है। सबसे बड़ी कसौटी यही होनी चाहिय कि उससे ग्राहकों को पूरा सतोष है या नहीं और उससे कुछ आय भी हो रही है या नहीं। इन दोनों दृष्टियों से वह संतोषजनक रहा है।

मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या अशोक होटल में ऐसा भी कोई खाना दिया जाता है जिसे भारतीय पसंद नहीं करते?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : जी, हां। सही है।

†श्री नि० बि० माईति : होटल का 'अशोक' नाम और उनमें परोसा जाने वाला यह भोजन—दोनों मेल नहीं खाते। अच्छा हो यदि उसकी व्यवस्था होटल में न रहे।

आवास योजनाओं में देहाती क्षेत्रों की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

मंत्रालय को खादी उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : समय की कमी के कारण, मैं अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे सकता। माननीय मंत्री भाषण करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव): उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो वक्त नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात निवेदन कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :. चाहे मैं इजाजत न भी दूं तब भी आप बोलेंगे ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं आपकी इजाजत लेकर ही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने तो बोलना शुरू कर दिया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मंत्री महोदय अवश्य इस पर विचार क ेंगे कि क्या गांधीवादी सरकार के तत्वावधान में चलने वाले अशोक होटल में गोमांस का परोसा जाना उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मैं यह भी कह दूं कि उनको बोलने के लिए मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि वह भी अगले दिन स्पीच खत्म करके उसी वक्त चले गए थे।

†श्री क० च० रेड्डी : मेरे सहयोगी उपमंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी कई बातों का जबाब दे ही दिया है।

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मंत्रालय के काम की प्रशंसा की है। कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्रालयों की आलोचना भी की है। हम उन पर पूरा ध्यान देंगे और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और उन त्रुटियों को दूर करेंगे।

इतने कम समय में सभी माननीय सदस्यों द्वारा कही गई सभी छोटी-बड़ी बातों का उत्तर ेना सम्भव नहीं। और यह भी है कि माननीय सदस्यों ने बहुत सी ऐसी भी जानकारी मांगी है, जिनके बारे में प्रश्नोत्तर के समय वह जानकारी पहले ही जुटाई जा चुकी है।

आवास की समस्या के बार में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने उसके लिये कई योजनायें चालू की हैं, और उनकी कार्यान्विति को प्रगति संतोषजनक रही है। द्वितीय योजना के आरम्भ में हम आवास पर जितना धन खर्च करने की सोच रहे थे, उससे कहीं अधिक व्यय किया गया है। पहले ८४ करोड़ रुपये आवास योजनाओं के लिये रखे ग े थे, लेकिन

†मूल अंग्रेजी में

उन पर कुल व्यय ६० करोड़ रुपये हुआ है। देश में आवास सम्बन्धी आवश्यकतायें बढ़ती जा रही हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि आवास योजनाओं पर केवल निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ही व्यय कर रही है।

प्रतिरक्षा, रेलवेज, परिवहन तथा संचार, श्रम, वाणिज्य तथा उद्योग, और खाद्य और कृषि, और पुनर्वास मंत्रालय भी आवास योजनायें चला रहे हैं। इन केन्द्रीय मंत्रालयों के अतिरिक्त, कई राज्यीय संगठन भी, और राज्य निगम तथा निजी समवाय भी देश की आवास समस्या को हल करने पर जुटे हुए हैं। राज्य-सरकारों की अपनी आवास योजनायें चल रही हैं। निजी क्षेत्र भी इसके लिये चेष्टारत है।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में मकानों के निर्माण पर लगभग १००० करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। और तीसरी योजना में इस मद में १२०० करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि देश के विकास कार्य पर काफ़ी व्यय किया जा रहा है। लेकिन साथ ही मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस दिशा में और भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में ग्रामीण मकानों के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये था। तीसरी योजना में भी इस मद में अधिक राशि निर्धारित करने के लिये कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह ग्रामीण आवास समस्या एक भारी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिये मोटे तौर पर हमें ३००० से ४००० करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह धन कहां से आये। हमें इस पर भी विचार करना है। तथा इस बात पर भी विचार करना है कि किन कामों को प्राथमिकता दी जाये।

गांव आवास परियोजना लगभग एक अग्रिम परियोजना है ओर उसके अन्तर्गत कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं आ सकता। इस समस्या को हल करने के लिये अन्ततोगत्वा गांवों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना होगा। पंचवर्षीय परियोजनाओं के कारण देश में जितने भी विकास कार्यक्रम हो रहे हैं उनका उद्देश्य आर्थिक स्थिति दृढ़ बनाना ओर ग्रामीण जनता की आय को बढ़ाना है।

यह भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो थोड़ी सी राशि रखी गई है उसका भी पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामीण आवास योजना केवल ३।। वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई थी। जिसके पहले दो वर्ष तो प्रारम्भिक खानापूरी करने में ही निकल गये। लेकिन फिर भी राज्य सरकारें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और इस वर्ष इस आवास योजना पर लगभग १८० लाख रुपये व्यय किये जाने वाले हैं। आशा है कि आगामी वर्षों में राज्य सरकारें ग्राम आवास योजनाओं के लिये निर्धारित की गई राशियों को अधिक मात्रा में व्यय करेंगी। इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है।

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मैसूर सरकारों ने अधिक राशि की मांग की है। और उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत अधिक गांवों का चुनाव करने की अनुमति मांगी है। इसका अभिप्राय यह है कि ये राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक उत्साही तथा अधिक कर्तव्यनिष्ठ हैं।

ग्राम आवास के लिये सरकार कुछ सहायता नहीं दे रही है यह बात उठाई गई है। इस बारे में कुछ कठिनाइयां हैं जिनका उल्लेख मेरे सहयोगी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या ग्राम आवास योजना में कुछ सरकारी आर्थिक सहायता दी जा सकती है। बात तो यह है कि इस सम्बन्ध में शुरू में योजना आयोग को कदम उठाना चाहिये।

[श्री क० च० रेड्डी]

इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व संसाधनों की बात भी देखनी होगी। यह बात भी नहीं है कि इस क्षेत्र में कोई भी आर्थिक सहायता न दी गई हो। गृह-कार्य मंत्रालय की ओर से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के मकानों के लिये आर्थिक सहायता दी गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भी गांवों में बुनकरों को मकान बनाने के लिये धन दिया है। इसी प्रकार खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की भी खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिये धन देने की योजना है। अतः किसी न किसी रूप में इस मद में भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।

यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि गांवों में जो भी मकान बनाये जा रहे हैं वे ग्रामीण निवासियों द्वारा स्वयं ही बनाये जा रहे हैं। ठेकेदारों की मार्फत बनाने का प्रश्न नहीं उठता। जब आर्थिक सहायता देने के बारे में प्रश्न निश्चित हो जायेगा तभी यह तय किया जायेगा कि क्या यह सहायता नकद धन के रूप में दी जाये अथवा अन्य किसी रूप में।

अल्प आय वर्ग आवास योजना बहुत लोकप्रिय है। श्री पुन्नूस का कहना है कि इस योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर २।। प्रतिशत की जानी चाहिये। आजकल ५ प्रतिशत की दर पर ऋण दिये जाते हैं फिर भी यह प्रथा काफ़ी लोकप्रिय है और हम विभिन्न राज्यों की मांगों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अतः इस योजना के अधीन दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर घटाना कोई व्यावहारिक काम नहीं होगा।

कानपुर में गंदी बस्तियों को हटाने के बारे में श्री स० मो० बनर्जी ने एक प्रश्न उठाया है। वहां इस सम्बन्ध में दो योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस बारे में उन्होंने अशोक सेन समिति की सिफारिशों का भी उल्लेख किया है। मै यह बता देना चाहता हूं कि इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और हम राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं उन्हें समुचित ढंग से लागू किया जाये।

श्री बाल्मीकि ने भंगियों आदि के मकानों का प्रश्न उठाया है। मैं उन को यह बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को यह निदेश दे दिया गया है कि जहां कहीं भी गन्दी बस्तियों को हटाने का काम शुरू किया जाये, भंगियों और मेहतरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये। और उनकी खास खास जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिये। भंगियों के लिये आवास व्यवस्था करने के हेतु सरकारी सहायता की मात्रा में ७५ प्रतिशत तक की वृद्धि होने की आशा है। आशा है कि आगामी वर्षों में भी इस दिशा में सन्तोषजनक प्रगति होगी।

यह बात ठीक है कि जिन राज्यों ने यह आर्थिक सहायता पूरी खर्च कर ली है तो निश्चय ही उन्हें अधिक राशि दी जायेगी। हम समय समय पर विनियोग करते रहते हैं। और राज्यों को कुछ सीमित सीमाओं के अन्दर अधिक धन देने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही हमारी यह भी नीति है कि हम राज्यों को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दें ताकि वे अपनी स्वेच्छा से कार्य कर सकें। हम तो स्थूल रूप से योजना तैयार कर देते हैं और वे राज्य ही उन को क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं। हमारा उद्देश्य तो यह रहता है कि वे अपनी स्वेच्छा से इस राशि का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग करें। और शीघ्रता से उस राशि का सदुपयोग करायें। मैं, मेरे साथी तथा हमारे पदाधिकारी जब कभी दौरे पर राज्यों में जाते हैं तो वहां के मंत्रियों से मिलते हैं और प्रत्येक योजना के बारे में पूछताछ करते हैं तथा आवश्यक सुझाव देते हैं ताकि उनके परिणाम अच्छे निकलें। इसके अलावा राज्यों से कुछ और कहना ठीक नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक बहुत कठिन काम को इस ढंग से कर रहा है कि हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिये। देश में निर्माण कार्य बहुत मात्रा में चल रहा है। गत वर्ष इस मद में २५ करोड़ रुपये व्यय हुए थे और इस वर्ष ३० करोड़ रुपये व्यय होंगे। सभी प्रकार की इमारतें बनाई जायेंगी लेकिन फिर भी इस विभाग ने अपना काम मोटे तौर पर अच्छे तथा सन्तोषजनक ढंग से किया है। दिल्ली में ही बहुत सी ऐसी इमारतें जैसे विज्ञान भवन, बुद्ध जयन्ती उद्यान बनाये गये हैं, जिनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। लोगों ने उन्हें बहुत पसन्द किया है और विशेष बात तो यह है कि वे बहुत कम समय में बन कर तैयार हुए हैं। कुछ भवन दिल्ली में, जैसे रवीन्द्र भवन, विश्वस्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, आदि बनाये जा रहे हैं। आशा है कि ये भवन निश्चित अवधि में पूरे हो जायेंगे। यह ठीक है कि कुछ कामों में देरी अवश्य हुई है लेकिन हम यह देख रहे हैं कि ये देरी क्यों हुई। बस इतना ही कह सकता हूं कि कुल मिला कर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा चौकियों का बनाने का काम भी इस विभाग ने बहुत अच्छा किया है। जनता को उन सब के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन जो भी काम इस विभाग ने, नेफा, सिक्किम आदि में किया है वह बहुत कठिन है और बड़ी प्रशंसा का कार्य किया गया है।

जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेईमानी तथा भ्रष्टाचार का सवाल है हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस बारे में संतुलित विचार धारा अपनानी चाहिये। यह बात स्मरणीय है कि इस विभाग का काम ही कुछ ऐसा है कि अन्य विभागों की तुलना में हम में भ्रष्टाचार की अधिक गुंजाइश है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार तथा इन कुप्रथाओं को रोकने के लिये मंत्रालय द्वारा समय समय पर कार्यवाही की गई हैं। बेइमानी को रोकने तथा उन्हें कम करने के लिय मंत्रालय ने दंड सम्बन्धी तथा रोधक दोनों प्रकार की कुछ कार्यवाहियां की हैं। सन् १९५५ में उप-सचिव की अध्यक्षता में एक सतर्कता इकाई बनाई गई थी। १९५७ में चीफ टैकनिकल एक्ज़ामीनर्स सेल भी बनाया गया था, यह सेल अनियमितताओं का पता लगाने में काफ़ी सफल हुआ है।

जहां तक दंडनीय कार्यवाहियों की बात है, अनियमितताओं, बेईमानी तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये पग उठाये गये हैं। इसके लिये जितनी भी शिकायतें मंत्रालय में आती हैं उन सभी की जांच की जाती है। इस सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थान से काफ़ी सहायता मिली है। चीफ टैक्नीकल एक्जामिनर्स सेल ने क्या काम किया उसकी विस्तृत बातें तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिये काफ़ी समय चाहिये। इस की कार्यवाहियों की सम्पूर्ण जानकारी मंत्रालय के वार्षिक विवरण में उपलब्ध है।

१९५८ में ९३८ शिकायतें प्राप्त हुईं थीं जिन में से जांच के बाद ३९० सही निकली। १९५९ में ५६५ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन में से जांच के बाद २४२ सही निकली। १९६० में ६९२ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन में से जांच के बाद ३४६ सही निकलीं। १९५८ में ९०, १९५९ में ४९ तथा १९६० में ६५ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये गये और पदच्युत तक कर दिय गये थे। हाल में ही केवल आठ दिन पहले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तीन पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया गया था। इन में से एक एक्जीक्यूटिव अफसर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक सैक्शन अफ़सर और क्लर्क था।

†श्री रंगा : गरीब बेचारे।

†श्री क० च० रेड्डी : मैं आंकड़े बता सकता हूं। १९६०–६१ में ८० पदाधिकारी मुअत्तिल किए गए थे। जिन में से डी० जी० एस० एण्ड डी० के एक उप-महानिदेशक, एक निदेशक, एक उप-निदेशक तथा एक सहायक निदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चार इंजीनियर, आठ सहायक इंजीनियर और भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली के एक सहायक प्रबन्धक समेत १७ गजटेड अफसर थे ।

चालू वर्ष में डी० जी० एस० एण्ड डी० के एक उप-निदेशक, लोक निर्माण विभाग के एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक सहायक इंजीनियर सेवामुक्त कर दिए गए ।

एक माननीय सदस्य, श्री मोहनस्वरूप ने बताया कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पदाधिकारियों की चल तथा अचल सम्पत्ति की सावधानी से जांच की जानी चाहिये । सभी संदेहास्पद मामलों की जांच विशेष पुलिस संगठन द्वारा कराई जानी चाहिए ।

निर्माण कार्यों की लगातार लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से मंत्रालय में १९५७ में एक सी० टी० ई० संगठन बनाया गया था। मैं इस के बारे में पहले भी बता चुका हूं। इस समय पुन: बताता हूं कि यह जांच काम पूरा हो जाने के बाद नहीं की जाती है अपितु जब काम किया जाता है उस समय उस स्थान की जांच की जाती है । इस संगठन के द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है । हमने काम के अनुसार काम न किए जाने के कई मामले, अधिक भुगतान के मामले, तथा अन्य अनियमिततायें पकड़ी हैं। ठेकेदारों से अधिक भुगतान की वसूली की गई है। दोषी अफसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है । इस संगठन का आरंभ होने के बाद १९,१२,४३९ रुपये के अधिक भुगतान के मामले पकड़े गए जिस में से ५,०३,४९० रुपये की वसूली कर ली गई । शेष धन राशि को वसूल करने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । इसी अवधि में सी० टी० ई० ने दोषी व्यक्तियों के ५३ मामले बताए हैं जिन में विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी के फलस्वरूप, दस एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों समेत ४१ अफसरों को सजा दी गई है ।

अपराधों की रोक थाम के लिए भी कदम उठाये गये हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभिरक्षण, निरीक्षण तथा प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के लिए समय अनुसूची बनाई गई है । पदाधिकारी द्वारा भार लेते तथा देते समय भंडारों की उचित जांच कराई जाती है । सेवा निवृत्ति के दो वर्षों में सरकार की अनुमति के बिना इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारों के रूप में काम करने पर प्रतिबन्ध है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संबंधियों के नियुक्त होने पर ठेकेदार पर प्रतिबन्ध । यह रोक थाम की कार्यवाहियां हैं।

इन कार्यवाहियों के अतिरिक्त भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक विशेष विशेषज्ञ समिति बनाई गई है । जो हमारी इन कार्यवाहियों का निर्धारण करेगी और यह बतायेगी कि सुधार करने के लिए और क्या कदम उठाये जायें। समिति की बैठक हो रही है और उस ने जनता के भी सुझाव मांगे हैं।

†श्री ब्रज राज सिंह (फिरोज़ाबाद) : क्या इस समिति में संसद सदस्यों को भी शामिल करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री क० च० रेड्डी : मैं बता चुका हूं कि यह विशेषज्ञ समिति है। इसलिए इस में संसद सदस्यों को नहीं रखा गया है। परन्तु मैं उन को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि दोनों सभाओं के जो माननीय सदस्य अपने सुझाव भेजेंगे उन पर समिति पूरी तरह विचार करेगी। और यथासंभव कार्यान्वित करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि समिति ने जनता से जब सुझाव मांगे थे तो केवल सात संसद सदस्यों ने अपने सुझाव भेजे। परन्तु अभी भी कोई विलम्ब नहीं हुआ है। माननीय सदस्य अपने सुझाव अभी भी भेज सकते हैं।

†श्री च० कृ० नायर : (बाह्य -दिल्ली) : भ्रष्टाचार उन्मूलन का मामला एक विशेषज्ञ समिति को सौंपने का क्या मतलब है ?

†श्री क० च० रेड्डी : माननीय सदस्य ने मेरी बात को ग़लत समझा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किन प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जाना चाहिए आदि काम विशेषज्ञों पर ही आधारित होते हैं और वही इसके बारे में निर्णय कर सकते हैं।

यह बताया गया कि ठेकेदारों को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं बतना चाहता हूं कि प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालय की अन्य समितियों ने ठेकेदारी के बारे में विचार किया और यह निर्णय किया कि ठेकेदारी पद्धति बुरी नहीं है अपितु आवश्यकता इस बात की है कि इस की बुराइयों को दूर किया जाये। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छे ठेकेदारों से काम करायें। हाल में ही हमने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाया है जिसका सभी ने स्वागत किया है और कहा गया है कि इस से अधिक काम कराया जाना चाहिए। हमारा भी ऐसा ही विचार है परन्तु हम यह भी नहीं चाहते हैं कि टेंडर आदि मंगाये बिना ही काम इस निगम को दे दिया जाये। इस समय यह निगम केवल काम करने वाले अभिकरणों की सहायता ही करेगा और ठेकेदार का काम नहीं करेगा।

हमने सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय किया है। जो भी कार्यदक्ष सहकारी समितियां होंगी उन को बिना टेंडर मंगाये १०,००० रुपये तक का निर्माण कार्य दिया जायेगा। कल भारत सेवक समाज का जिक्र किया गया। माननीय सदस्यों ने जो बुराइयां बताई हैं मैं समझता हूं कि उस में उसका दसवां भाग भी बुराई नहीं है। यह संस्था बड़ा ही अच्छा काम कर रही है।

भवनों के निर्माण व्यय में कमी करने के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय भवन संगठन लागत, सामग्री आदि की विभिन्न समस्याओं पर लगातार विचार कर रहा है। सभी चाहते हैं कि भवन निर्माण का व्यय कम हो जाये। मैं बताना चाहता हूं कि इस समय जो कई मंजिलों के भवन लोक निर्माण विभाग ने बनाये हैं उन के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया गया था और राष्ट्रीय भवन संगठन की सिफारिशों को भी इस में शामिल किया था। जो कई मंजिलों के भवन हमने बनाये हैं उन में ६५ प्रतिशत स्थान को काम में लिया जा सकता है जब कि पहले बने भवन सचिवालय आदि में केवल ३५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत स्थान को ही काम में लिया जा सकता है। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योजना आयोग द्वारा स्थापित भवन परियोजना दल ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये कई मंजिलों के भवनों के निर्माण की लागत पर सावधानी से विचार किया है और यह निर्णय किया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये कई मंजिलों के भवनों के निर्माण व्यय न्यूनतम हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० च० रेड्डी]

रहने के मकानों के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि भवन निर्माण, सामग्री, इस्पात, सीमेंट आदि के मूल्य बढ़ जाने पर भी इन के निर्माण की लागत वही है जो कई वर्ष पहले थी।

हिन्दुस्तान आवास कारखाने के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस से काफी लाभ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि इस के द्वारा कंक्रीट, छत डालने के लिए पहले से बनाई गई सामग्री का अत्यधिक प्रचलन हो रहा है। और इस के पास बहुत से आर्डर आये हुए हैं। उन्होंने सीमेंट के ओखला औद्योगिक सम्पदा के लिए छत का सामान और २०० दुग्ध डिपों बनाये हैं। शिक्षा मंत्रालय भी पूर्वनिर्मित चलते फिरते स्कूल बना रहा है। इस पूर्व निर्मित सामग्री से ऐसे १५ स्कूल बनाने का आर्डर आ चुका है। १३ बनाये जा चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय की मांग और भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि टैंटों के स्थान पर यह अधिक मजबूत होते हैं।

हाल में ही श्री तंगामणि ने बताया था कि इस कारखाने में गुण्डागर्दी हुई थी। मैं नहीं जानता उन को यह सूचना कहां से मिली। मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर मालिक तथा नौकर के बड़े अच्छे संबंध हैं और इसी कारण इस कारखाने में इतना अच्छा काम हो रहा है।

श्री तंगामणि ने कार्यभारित कर्मचारियों के बारे में कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हम ने इस के बारे में पिछले ३ अथवा ४ वर्षों में क्या किया है।

सभा को मालूम है कि १९५७ में यह निर्णय किया गया था कि अनौद्योगिक कर्त्तव्यों वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी नियमित (वर्गीकृत) स्थापना में स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे। इस के फलस्वरूप लगभग १९०० कर्मचारी नियमित स्थापना में स्थानान्तरण के योग्य हो गये। इन में से १४०० का स्थानान्तरण भी कर दिया गया है। अब सभी विभागों में ऐसा किया जाता है।

श्री तंगामणि ने स्थायी बनाने का भी प्रश्न उठाया था। मैं बताना चाहता हूं कि १९५७ में यह निर्णय किया गया था कि कार्यभारित कर्मचारियों के लिए भी स्थायी पद बनाये जायेंगे। इस के परिणामस्वरूप ३८३९ स्थायी पद बनाये गये थे और इन पदों पर कर्मचारियों को स्थायी बनाने में औचित्य की जांच की गई और २६०० कर्मचारी स्थायी बनाये जाने योग्य पाये गये। ५०० कर्मचारी १-४-५८ में इन पदों पर स्थायी घोषित कर दिए गये हैं।

मैं श्री तंगामणि को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्थायी बनाने योग्य पा लिए गए उन सभी को स्थायी बनाने में कुछ कठिनाइयां हैं। जैसे डाक्टरी जांच, पुलिस जांच आदि। आशा है कि स्थायी बनाने के आदेश दो अथवा तीन महीने में जारी कर दिए जायेंगे। केवल यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्थायी आदेश १-४-५८ से लागू होंगे। इसलिए यदि इन स्थायी बनाने के आदेशों को जारी करने में ३, ४, अथवा ५ वर्ष लग जाते हैं तो कोई हानि नहीं है।

घटित क्षेत्रों में कार्यभारत कर्मचारयों को प्रतिकर भत्ता देने के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन को यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत दी जा रही हैं। .

जनवरी, १९६१ से कार्यभारत कर्मचारियों को ३ राष्ट्रीय छुट्टियां तथा १३ सार्वजनिक छुट्टियां मिला करेंगी।

उदार निवृत्ति वेतन नियम १८-११-६० से कार्य भारत कर्मचारियों पर लागू कर दिय गये हैं। वर्तमान कर्मचारियों को विकल्प दिया जायगा कि वह चाहें तो नये निवृत्ति वेतन नियमों को स्वीकार कर लें। पहले प्रतिबन्धित निवृत्ति वेतन तथा उपदान योजना कार्यभारित कर्मचारियों पर लागू थी। कार्यभारित कर्मचारियां के प्रशासन पर अधिकरण उन के सेवा रिकार्डों का संधारण कठोर करने के बारे में कदम उठाय जा रहे हैं। दिल्ली में कार्यभारित कर्मचारियों के आवंटन के लिये अतिरिक्त रहने के मकानों का निर्धारण कर दिया गया है। इस के अतिरिक्त और भी आदेश दिये गये हैं।

उच्च प्रवीण, प्रवीण, अर्द्ध प्रवीण तथा अप्रवीण श्रेणियों में कर्मचारियों का श्रेणीकरण करने के लिये एक श्रेणीकरण समिति बनाई गई है। यह समिति इन श्रेणियों के वेतनक्रम भी निर्धारित करेगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों की सभी बातों का पुनरीक्षण करेगी और प्रशासन ठीक करने के लिये परिवर्तनों के सुझाव देगी। मैं श्री तंगामणि को बताना चाहता हूं कि इस के बारे में अन्य श्रम संघों का अवश्य परामर्श लिया जायेगा। १९५८ में एक और समिति बनाई गई थी जो अब कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा सूची को ठीक कर रही है और १९५८ में बनाये गये ३८३९ स्थायी पदों पर कर्मचारियों को स्थायी बनाने का काम कर रही है।

संघों द्वारा कार्यभारित कर्मचारियों के बारे में हम पिछले ३ ¹/₂ वर्षों से विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम ने संतोषजनक प्रगति की है। श्री तंगामणि ने और जो कठिनाई अपने कटौती प्रस्ताव में बताई हैं हम उन को दूर करने के लिये अवश्य विशेष प्रयत्न करेंगे।

अब मैं सरकारी कर्मचारियों को मकान देने तथा राज्य सम्पत्ति निदेशालय के बारे में कुछ कहूंगा। श्री बाल्मीकि ने बताया कि इस में बड़ा भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा नौकरशाही चलती है। उन का यह कहना एक दम गलत है। क्वार्टरों का आवंटन निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है। विशेष विकास स्थान संबंधी समितियां हैं जिन में अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। इसलिये पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि बताना उचित नहीं है। संभव है कि कहीं कोई गलती हो गई हो। प्राथमिक स्वीकृतियां, तथा बिना बारी के स्वीकृतियां मंत्री के आदेशों से की जाती हैं।

प्रथम योजना के आरम्भ में लगभग ११,००० सरकारी मकान थे। धीरे धीरे अब वह ३०,००० हो गये हैं जब कि दिल्ली में केन्द्रीय कर्मचारी ७०,००० हैं। हमें बहुत कमी पूरी करनी है और इसी लिये तीसरी योजनावधि में लगभग १३,००० मकान बनाने का विचार है। अभी इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सभी मकान निम्न वेतन क्रमों के सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं। बड़े पदाधिकारियों के लिये बहुत थोड़े से मकान बनाये जा रहे हैं। सरकार की घोषित नीति यही है कि उपलब्ध धन से निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ही मकान बनाये जायें। पिछले पांच वर्षों में हम ने चतुर्थ श्रेणी, कार्यभारित तथा ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाये हैं। इसी नीति के अनुसार काम किया जायेगा।

ऐसे अधिकारियों की कठिनाइयां बतलाई गईं जो देश के अन्य भागों में कई वर्ष सेवा कर चुके थे। ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो दिल्ली से कुछ समय जा कर वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लि पूर्ववर्तिता निश्चित करते समय उन की पहली सेवाओं की अवधि भी गिन ली जायेगी। जहां तक उन अधिकारियों का सम्बन्ध है, जो देश के अन्य भागों में कई वर्षों की सेवा कर चुके हैं, उन के संबंध में चंदा समिति ने भी सिफारिश की है। उन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

[श्री क० च० रेड्डी]

श्री बनर्जी ने उन परिवारों का जिक्र किया है जिन्हें जनता होटल के निर्माण के कारण मिन्टो रोड क्षेत्र खाली करना पड़ रहा है। जनता होटल के निर्माण में कई कारणों से विलम्ब हो रहा है। अन्त में यह निश्चय कर लिया गया है कि इस होटल का निर्माण उसी क्षेत्र में किया जाये। तथापि जिन परिवारों से वह स्थान खाली करने को कहा गया है उन को अन्य स्थानों में आवास दिये जायेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी :** उन्हों ने यह अपील की थी कि उन्हें बच्चों की परीक्षाओं तक वहां रहने दिया जाये।

†**श्री क० च० रेड्डी :** जहां तक स्तर ऊंचा किये गये मकानों का संबंध है उन्हें वे क्वार्टर छोड़ने को कह दिया गया है। अन्य लोगों से यह कहा गया है कि वे इस स्कूल वर्ष तक वहां रह सकते हैं।

जहां तक कानपुर में सामान के निरीक्षण का तात्पर्य है, यदि एक स्तर पर निरीक्षण सफल हो, किन्तु दूसरे स्तर में इस संबंध में कुछ शिकायतें हों, तो हम टैस्ट हाउस आर्गेनाइजेशन की सहायता से इस सारे मामले की जांच करवाते हैं। इस के पश्चात् उस संबंध में कुछ निर्णय किया जाता है। उस विशेष फर्म के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ और जानकारी दें तो उस मामले की जांच की जा सकती है।

श्री तंगामणि ने यह कहा है कि न्यूनतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये। वस्तुतः व्यादेश (इंडेंट) देने वाले के परामर्श से ही इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया जाता है। न्यूनतम टेंडर देने वाले जो मशीन भेजने वाले थे वह कुछ घटिया प्रकार की थी जो कि व्यादेश देने वाले को स्वीकार नहां थी। दूसरे फ़र्म के सम्बन्ध में भी उन्होंने यही कहा कि मशीन स्तर की नहीं है। वस्तुतः व्यादेश (इंडेंट) की आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् ही यह आदेश दिया गया।

रेल एंकरों, जिन्हें हमारे निरीक्षकों ने पारित कर दिया था, उनके सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं। इनके कुछ नमूनों की सरकारी टैस्ट हाउस में जांच की गयी और उसका प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। यह मामला विचाराधीन है।

टेंडरों के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन मुझे प्राप्त हुआ है उसका संक्षेप इस प्रकार है :

न्यूनतम आफर आलीवर मोटर कारपोरेशन का था, तथापि उनके द्वारा जो उपकरण प्रस्तुत किये गये थे वे घटिया प्रकार के थे और वह फर्म भारत की मान्यता प्राप्त स्तर सूची में नहीं थी।

तीसरा न्यूनतम टेंडर केटरपिलर ट्रेक्टर कम्पनी का था, तथापि उनके द्वारा जो उपकरण प्रस्तुत किये गये थे, वे न्यूनतम टेंडर से उसकी कीमत के अन्तर को देखते हुए अच्छे थे अतः आर्डर उसी कम्पनी को दिया गया।

माननीय सदस्यों ने जो अन्य बातें उठायी हैं मंत्रालय उन सभी पर भरसक विचार करेगा। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस मंत्रालय की मांगों को पारित करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : मैं आनरेबल मिनिस्टर से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उन से यह तवक्को रखता था कि वह बतायेंगे कि एस० टी० सी० की बिल्डिंग बनाने में क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, जब कि दो साल से ५५ लाख रुपया रखा हुआ है और यह भी कि एस० टी० सी० के पास इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग का कितना हिस्सा है और इंडियन एक्सप्रैस के पास कितना है।

†**श्री क० च० रेड्डी :** जहां तक इंडियन एक्सप्रैस बिल्डिंग्स, उनकी लीज की शर्तें, उनको दी गयी भूमि तथा वे राज्य व्यापार निगम से कितना किराया लेते हैं, का सम्बन्ध है इस के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जा चुका है। उसमें यह सारी जानकारी विस्तार से दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे ये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९७	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . .	५९,५३,०००
९८	संभरण	२,८२,८४,०००
९९	अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . .	३०,४६,४०,०००
१००	लेखन-सामग्री और मुद्रण . . .	८,१९,११,०००
१०१	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . . .	६०,९१,०००
१३८	दिल्ली पूंजी-व्यय . .	११,१९,५२,०००
१३९	भवनों पर पूंजी व्यय . .	८,८८,२५,०००
१४०	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२,१७,२१,०००

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम वित्त मंत्रालय की अनुदान को मांगों पर चर्चा और मतदान आरम्भ करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने यह लिख कर दिया है कि व दिल्ली से बाहर जा रहे हैं अतः उन्हें बोलने का तत्काल अवसर दिया जाय। क्योंकि ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है अतः मुझे दुःख के साथ यह कहना है कि ऐसे सभी सदस्यों को अवसर नहीं मिल सकेगा।

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१–६२ के लिये सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६४	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२२,०३,०००
६५	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	१,४६,८७,०००
६६	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	२,२८,७३,०००
१२७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय .	३,०६,८५,०००
१२८	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	११,२६,७५,०००

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल की जनता की बहुत पहिले से ही यह मांग रही है कि फरक्का बांध का निर्माण शीघ्र किया जाय क्योंकि हुगली नदी कलकत्ता पत्तन और कलकत्ता नगर के लिये एक खतरा पैदा कर रही है। हुगली नदी की स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि ५००० टन से ६००० टन के जहाज कलकत्ता बन्दरगाह में नहीं जा सकते हैं। यदि ऐसी ही अवस्था रही तो इससे कलकत्ता बन्दरगाह के भविष्य पर बुरा प्रभाव होगा। देश का ८० प्रतिशत से अधिक माल इस बन्दरगाह से बाहर जाता है, अतः इससे देश के व्यापार पर भी बुरा प्रभाव होगा।

यद्यपि देश में परियोजनाओं के प्रारम्भ में बहुत उत्साह था लेकिन उनकी समाप्ति के साथ लोगों का उत्साह भंग हो गया है और उनके पूरे होने से भी लोगों की आशायें पूरी नहीं हुई हैं।

मैं इस सम्बन्ध में सब से पहले दामोदर घाटी निगम का उल्लेख करना चाहता हूं। इसका पहिला प्रक्रम समाप्त हो चुका है तथापि उससे कुछ नतीजा नहीं हुआ है यद्यपि कार्यक्रम के अनुसार १० लाख एकड़ को पानी दिया जाना था तथापि यह कहा गया है कि ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा रही है। मेरे विचार से यह गलत है वस्तुतः इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं ही नहीं और यह पानी भी दामोदर घाटी निगम द्वारा न दिया जा कर बंगाल की सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल में खाद्य की कमी उसी प्रकार से जारी है, उस क्षेत्र के किसान दामोदर घाटी निगम के जल का कोई लाभ नहीं उठा सके हैं। उन से अतिरिक्त सिंचाई के लिये जो कर लिया जा रहा है वह बहुत अधिक है। अतः किसान इस जल का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरे यह कहा गया था कि १९६२ तक इन नहरों का उपयोग यातायात के लिय किया जाने लगेगा। तथापि ऐसा करने की अभी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

यह कहा गया था कि दामोदर घाटी निगम का दूसरा उद्देश्य बाढ़ों को रोकना है तथापि पश्चिमी बंगाल को बाढ़ों से भी कोई मुक्ति नहीं मिली है। अब यह कहा जाता है कि जब तक अय्यर बांध समेत चारों बांध तैयार नहीं हो जायेंग तब तक बाढ़ का खतरा दूर नहीं हो सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी निगम के लिये ८२·९८ करोड़ रुपये की मांग रखी गयी है जब कि यह कहा जाता है कि दामोदर घाटी निगम का काफी कार्य पूरा हो चुका है, मंत्री महोदय को यह स्पष्ट बतलाना चाहिये कि क्या वे विशेषज्ञ श्री बुरीदीं का मूल कार्यक्रम क्रियान्वित करना चाहते हैं।

बिजली के संभरण के सम्बन्ध में भी स्थिति असंतोषजनक है। यद्यपि माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि कलकत्ता में कुछ ही दिनों में विद्युत् संभरण की दशा पुनः सामान्य हो जायगी तथापि इसकी कोई आशा नहीं दिखायी देती है। विशेषज्ञ का कथन है कि जब तक बंदल में दूसरा बिजली घर बन कर तैयार नहीं हो जाता है तब तक कलकत्ता में विद्युत् संभरण की स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। यदि यह स्थिति रहेगी तो इससे देश के उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़गा। क्योंकि कलकत्ता एक बड़ा औद्योगिक नगर है।

दामोदर घाटी निगम से मिलने वाले लाभों के सम्बन्ध में बंगाल और बिहार सरकार के बीच विवाद हो रहा है। इससे मंत्री तथा अधिकारी अपना मुख्य कार्यालय कलकत्ता के स्थान में मैथन में बदलना चाहते हैं। इस कार्य के लिय १·४७ करोड़ रुपये व्यय होंगें। यह स्मरण रखना चाहिये कि परियोजना में जो कार्य चल रहा है उससे सम्बन्धित सारे कार्यालय मैथन में ही अवस्थित हैं। केवल मुख्य कार्यालय जो इस सारे कार्य का समायोजन करता है वह कलकत्ता में है। देश में ऐसी कई परियोजनायें हैं जिनका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है यद्यपि उनके कारखाने कलकत्ता से बहुत दूर हैं। अतः मै अनुरोध करता हूं कि दामोदर घाटी निगम के कार्यालय को कलकत्ता से न बदला जाय क्योंकि इससे निगम के कार्य में और व्याघात पैदा होगा। अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि दामोदर घाटी निगम का विघटन नहीं होने पावे। इसके लिये मेरा सुझाव है कि इसका संचालन एक प्रबन्ध निदेशक के हाथों में सौंपा जाय जो सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करे। इस संगठन का सारा व्यय केन्द्रीय क्षेत्र से दिया जाना चाहिये।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का भी पुनर्गठन किया जाय। इस में देश के सभी क्षेत्रों के इंजीनियरों को प्रतिनिधित्व दिया जाय।

मेरा सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम पर तत्काल अमल किया जाय। अय्यर बंध का शीघ्र निर्माण किया जाय। कोनार बंध में जल विद्युत् उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। दामोदर घाटी निगम को चाहिये कि वह वहां उत्पादित बिजली को स्वयं ही बेचे। खंगर समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर शीघ्र अमल किया जाय। साथ ही निगम को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे स्वयं कुछ उद्योगों की स्थापना करे। विशेषतः उस क्षेत्र में छोटे और मध्यम माने के उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये।

सरकार ने केन्द्रीय मैकेनिकल एंड फैब्रीकेटिंग वर्कशाप को बन्द करने का निश्चय किया है। यह अनुचित है। यह कारखाना २७·५ लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया था, जब कि अभी तक यह कारखाना १·५० करोड़ रुपये की लागत की वस्तुओं का उत्पादन कर चुका है। यह कारखाना सिंचाई इत्यादि के लिये ऐसी वस्तुयें बनाता है जो भारत में सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त वहां जो कर्मचारी हैं वे पिछले बारह वर्ष से काम कर रहे हैं अतः सरकार को इसे बन्द करने के स्थान में इसके कार्य का विकास करने की दशा में विचार करना चाहिये।

[श्री मुहम्मद इलियास]

कामगरों को जोकि आधुनिक परियोजनाओं का आधार स्तम्भ हैं, वे सुविधायें नहीं दी जाती हैं जोकि अन्य सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें वे सभी सुविधायें प्रदान की जायें और उन पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जायें। उन्हें आवास सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान की जायें।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस मिनिस्ट्री ने इस साल में जो काम किया है उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि जितना काम होना चाहिये उतना नहीं हो सका। इसलिए सब से जरूरी चीज यह है कि यह मिनिस्ट्री अपने काम का टेम्पो बढ़ावे ताकि लोगों की उम्मीद पूरी हो सकें। आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं लेकिन अगर उसके पूरे होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है तो पब्लिक की उम्मीद खत्म हो जाती हैं और उनमें दूसरी तरफ को तबदीली होने लगती है। इसके लिए मेरा सजेशन है कि माइनर इर्रीगेशन की प्रोजेक्ट्स का काम इस मिनिस्ट्री के हाथ में होना चाहिए। हर साल मैं यह कहता रहा हूं। जहां तक इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक है इसने टोटल प्लान प्रोजेक्ट का ६६ परसेंट काम कर लिया है जब कि माइनर इर्रीगेशन में ३३ फीसदी या ३५ फीसदी काम हुआ है। इसकी वजह यह है कि उनके पास अपने इंजिनियर नहीं हैं और इनवेस्टीगेशन ठीक नहीं होता। इसलिए माइनर इर्रीगेशन की स्कीम्स इस मिनिस्ट्री के पास होनी चाहिएं।

इसके बाद मैं पब्लिक कोआपरेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इस मिनिस्ट्री का जितना काम है उसका पब्लिक से बड़ा ताल्लुक है और वह पब्लिक के फायदे के लिए है, लेकिन यह मिनिस्ट्री पब्लिक का कोई कोआपरेशन लेने की कोई कोशिश नहीं करती। इस मिनिस्ट्री को पब्लिक कोआपरेशन लेना चाहिए ताकि पब्लिक की डिमांड्स और उनकी दिक्कतें इसके सामने आ सकें और उनका ठीक इलाज किया जा सके। इसलिए मेरा सजेशन है कि ज्यादा से ज्यादा कमेटियां सेंट्रल लेविल पर और स्टेट लेविल पर कायम की जाएं और इस तरह से यह मिनिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पब्लिक कोआपरेशन लेने की कोशिश करे।

इसके बाद मैं इनवेस्टीगेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि आपके प्रोजेक्ट्स में जो हादसे होते हैं उनका इंनवेस्टीगेशन उन्हीं इंजीनियरों के जरिये न कराया जाए जिन्होंने कि उस काम को बनाया है क्योंकि इससे पब्लिक को कानफिडेंस नहीं होता। आपने देखा कि भाखरा में हाइस्ट चेम्बर का हादसा हुआ। लेकिन उसकी जांच करने के लिए वहीं के आदमी लग गए और पब्लिक को कानफिडेंस में नहीं लिया गया। इसलिए जरूरत है कि इस तरह की जांच के लिए कोई इम्पार-शियल आदमी या कोई जूडीशियल आफीसर रखा जाए और जिन लोगों का उस प्रोजेक्ट के साथ ताल्लुक रहा है वह इस जांच के काम को न करें और उनकी रिपोर्ट असेम्बलीज और पार्लियामेंट के सामने रखी जाए। । हम देखते हैं कि रेलवे के छोटे छोटे हादसे होते हैं उनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, फिर ये तो बड़े बड़े हादसे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के हादसों का इनवेस्टीगेशन जूडीशियल या सेमी जूडीशियल होना चाहिए या उन आदमियों के जरिये होना चाहिए जिनका उस काम के साथ कोई ताल्लुक न रहा हो।

इसके बाद मैं रिपेयर रेशियो के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस मिनिस्ट्री में रिपेयर रेशियो नहीं दिया जाता ताकि मालूम हो सके कि उस प्रोजेक्ट पर इस सिलसिले में कितना खर्चा हुआ। जहां तक मेरी इत्तला है—मैं सबजेक्ट टू करेक्शन यह बात कहता हूं—सरहिन्द कैनाल

और अपर बारी दोआब में यह रिपेयर रेशियो १–५ परसेंट था। अब आपकी प्रोजेक्ट में पहली साल में ही ५ परसेंट हो जाता और आम सालों में ३–५ तक पहुंच गया है। मैं चाहता हूं कि यह फिगर पब्लिक को दिया जाए और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाए। आप हमसे बेटरमेंट लेवी लेते हैं तो आपका रिपेयर रेशियो भी कम होना चाहिए इस बात की पब्लिक डिमांड कर सकती है। आज कल यह किया जाता है तो जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो दिखलाया जाता है कि दस करोड़ का प्रोजेक्ट ६ करोड़ में बन गया और इस तरह से एक करोड़ की बचत दिखला दी जाती है लेकिन उतना ही रुपया पहली साल में ही रिपेयर में दिखला दिया जाता है जिससे कि लोगों को कोई फायदा नहीं होता। तो इस रेशियो को कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

इसके बाद मैं प्लान के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। प्लान के सिलसिले में मिनिस्ट्री ने बहुत कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद लोगों की एक्स्पेक्टेशन्स पूरी नहीं हो पायीं। पहले प्लान में हमने जितना टारजेट पूरा करना सोचा था उतना अनकरीब दूसरे प्लान के अन्त में हो पाया है। ६–५ मिलियन एकड़ इर्रीगेटेड एरिया से जो कि सन् १९५५ में था बढ़ कर यह १४ मिलियन एकड़ हो गया है लेकिन जोनेट यूटीलाइजेशन एरिया है वह ६ मिलियन एकड़ ही है। तो इसमें तकरीबन ६४ या ६३ परसेंट इजाफा हुआ है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। टोटल एरिया को कुछ बढ़ाया जाए और यूटीलाइजेशन को भी बढ़ाया जाए। इसके लिए मेरा एक ही सुझाव है। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए मिनिस्ट्री को जो पब्लिक के आदमी हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, चाहे पंचायत समितियां हों या एम० एल० एज० या एम० पीज० हों, जो उस इलाके के रहने वाले हैं, उनको कानफिडेंस में लेना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप जानते हैं कि पंजाब में सब से ज्यादा अच्छा इर्रीगेशन का सिस्टम है। वहां पर बहुत जगहों पर थोड़ा सा फर्क कर देने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और पोटेंशियल इनक्रीज हो सकती है। अगर एक आउटलेट को एक जगह के बजाए दूसरी जगह बनाया जाए तो उससे यूटीलाइजेशन बहुत बढ़ सकता है। इस तरह की चीजें हैं जो आप पब्लिक कोआपरेशन से कर सकते हैं। जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक पूरा फायदा नहीं पहुंचा सकते। आप कहेंगे कि हमारे इंजीनियर यह काम करते हैं। लेकिन आपके इंजीनियर तो दफ्तर में बैठ कर स्कीमें बनाते हैं, वह उस जगह पर पहूंच नहीं पाते इसलिए सही इलाज नहीं कर पाते। अगर आप पबलिक को कानफिडेंस में ले लें तो यूटीलाइजेशन बहुत बढ़ सकता है।

दूसरी बात मैं पावर के सिलसिले में कहना चाहता हूं। आपका टारजेट ६–९ मिलियन किलोवाट था लेकिन आप उतना पूरा नहीं कर पाए। अभी तक आप ५–६ मिलियन किलोवाट पावर पैदा कर पाए हैं। यानी यह टारजेट से १–३ मिलियन किलोवाट कम है। यह कमी बहुत ज्यादा है। आज देश में बिजली की बड़ी कमी है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से ज्यादा पावर पैदा की जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि हर सूबे में हर जगह आज पावर का शारटेज है। आज लोग छोटी इंडस्ट्रीज के लिए, अपने घरों के लिए, खेती के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए बिजली चाहते हैं। आज जरूतर है कि बजाए शारटेज के मिनिस्ट्री को जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करनी चाहिए। लेकिन कम से कम जो १–३ मिलियन किलोवाट की कमी है उसको तीसरी प्लान में जिस तरह से भी हो सके पूरा करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि तीसरी प्लान में जो टारजेट है उसे किसी ढंग से पूरा किया जा सके।

[सरदार इकबाल सिंह]

मेरे पास श्री हाथी का जवाब है जो उन्होंने एक सवाल के सिलसिले में १९ दिसम्बर, सन् १९६० को दिया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब १ लाख ५० हजार किलोवाट बिजली पैदा करता था जिसमें से कि ४२००० किलोवाट बिजली दूसरे सूबों को दे दी जाती है और १ लाख ८ हजार किलोवाट के करीब बिजली पंजाब के लिए बाकी रह जाती है। पंजाब का जो पावर सर्वे हुआ है उसके मुताबिक थर्ड फाइव इयर प्लान के आखिर में पंजाब की टोटल रिक्वायरमेंट्स ३ लाख ६४ हजार के करीब होगी। १ लाख ६४ हजार किलोवाट की शार्टेज रहेगी। इसके लिए मेरा यह कहना है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिए और इस हाउस को विश्वास में लिया जाना चाहिए और प्लानिंग कमिशन पर प्रेसर डालना चाहिए। पावर एक ऐसी चीज है जोकि हर एक आदमी को खुशहाली देती है चाहे वह किसान हो, चाहे वह दस्तकारी करने वाला हो, चाहे वह बड़ा कारखानेदार हो, चाहे शहर का रहने वाला हो, या देहात का रहने वाला हो। जब तक यह पावर की शार्टेज रहेगी देश में उतनी तरक्की नहीं हो सकती जितनी कि होनी चाहिए। इसलिए प्लांट के युटिलाइजेशन की ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। और इस बारे में जो मिनिस्ट्री की मांगें हैं वह पूरी होनी चाहिएं।

इसके बाद मैं इंडस वाटर ट्रीट्री के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उस संधि का स्वागत करता हूं। लेकिन इसका असर हमारी जनता पर क्या पड़ा है उसको भी हमें दरगुजर नहीं करना चाहिए। इस एक साल के अर्से में उसका असर महसूस होने लगा है। वहां पर इतनी तारें आती हैं कि उनको पानी नहीं मिलता है और लोग आ आकर शिकायत करते हैं कि उनको पानी नहीं मिलता है यहां पर एक ऐसा इम्प्रैशन है कि उसका कोई असर नहीं हुआ लेकिन वहां पर इसका अच्छा खासा असर जनता महसूस कर रही है और वह शिकायत कर रही है कि पानी बिलकुल नहीं मिलता है। अब जो ट्रीटी होनी थी वह तो हो ही चुकी और उसको अब दुबारा बदला नहीं जा सकता है लेकिन इतना तो उससे हमें सबक ले ही लेना चाहिए कि आइन्दा ट्रीटीज करते वक्त इस किस्म की गलतियां और लापरवाही न की जाय।

मैं उस एरिया से आता हूं जोकि सब से वर्स्ट एफेक्टेड एरिया है। वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है और पानी मिलता नहीं है। हालत यह है कि जहां पहले महीने में २० दिन, १५ दिन और १० दिन पानी आता था वहां अब सिर्फ ५ दिन ही आता है और अगर इस साल बरसात अच्छी न हुई होती तो खेती पर उसका खराब असर पड़ने वाला था लेकिन खुश किस्मती से बारिश अच्छी होने से खेती पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता बरसात अगर किसी साल न हो तो पानी न होने की वजह से काफी दिक्कत महसूस होगी।

अब मैं थोड़ा सा सरहिन्द फीडर के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। यह सारी फीडर कुल ११० मील की होगी और यह राजस्थान में ५०, ६० मील तक इंटरलिंक्ड होगी। वह नहर मुकम्मिल है। नहर में आप पानी सिर्फ ६० मील तक देते हैं। उस इलाके के २०० किसान आये थे और वह कहते थे कि नहर पूरी बनी हुई है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। उसकी कैपेसिटी ४७०० क्युसिक फिट है। उसमें से इस वक्त १७०० क्यसिक ज्यादा से ज्यादा चलता है। ६९ मील तक आप चलते

हैं। ११० मील तक इसलिये नहीं चला सकते कि आप के पास पानी नहीं है। वैसे १७०० क्युसिक फिट ज्यादा से ज्यादा चल सकती है लेकिन आम तौर पर ११०० क्युसिक फिट चलता है। अब उसके लिये सरहिन्द कैनाल में से टैम्पोरेरी तौर पर पानी ले सकते हैं।

अभी मेरे पहले जो भाई बोले थे उन्होंने फरक्का बैराज का जिक्र किया। अब पाकिस्तान के फौरेन मिनिस्टर श्री मंजूर कादिर का वह स्टेटमेंट आता है जिसमें वह हिन्दुस्तान के साथ तमाम ईस्टर्न रिवर्स के प्रोजैक्टस डिसकस करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि उनसे हमारी सिर्फ एक ही प्रोजैक्ट पर बातचीत हो सकती है। सारी रिवर्स के प्रोजैक्ट्स पर बातचीत नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया का इस बारे में यही स्टैण्ड होना चाहिये कि पाकिस्तान के साथ इसी एक प्रोजैक्ट पर डिसकशन हो सकता है। सारी रिवर्स के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिये और यह हिन्दुस्तान के और पाकिस्तान दोनों के हित में होगा। फरक्का बैराज के सिलसिले में हम पाकिस्तान को कोई वीटो की पावर नहीं देना चाहते। अब अगर हर प्रोजैक्ट पर बहस हो और एप्रूवल हो और फिर हम दोनों वर्ल्ड बैंक के पास जायं और उनको अपना पंच बनायें तो यह लम्बा सिलसिला चलता है जो कि न तो पाकिस्तान के हित में है और न हिन्दुस्तान के हित में है।

राजस्थान कैनाल हम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द बन जाय और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में यह कहना है कि जिस ढंग का आपने एग्रीमेंट किया है उसके बारे में आपको रिएप्रिजल करना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट के मुताबिक पहले १३ साल तक आप ६० दिन से ज्यादा कैनाल नहीं चला सकते हैं और जाहिर है कि जब चला नहीं सकते हैं तो पानी कहां से आयेगा। मैं तो कहूंगा कि इसके लिए रिफेजिंग करनी चाहिए ताकि आपका डैम मुकम्मिल हो और जब तक आप उसको मुकम्मिल नहीं करेंगे राजस्थान कैनाल एक ख्वाब बन कर रह जायेगी। इसके लिये आपको रिफेजिंग करनी चाहिये और प्लानिंग कमीशन को इसके बारे में डिसकस करना चाहिये कि कैसे यह काम पूरा हो।

इसके बाद मैं पंजाब की वाटर लौगिंग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। करीब ३३ लाख एकड़ वहां पर वाटर लौग्ड एरिया है जहां कि वाटर टेबुल ५ फुट से कम है। इसके अलावा १७ लाख एकड़ एरिया पार्शिएली एफेक्टेड है जहां कि वाटर टेबुल ५ फिट से/११फिट तक है। तकरीबन १९ लाख एकड़ ऐसा एरिया है जो कि बिल्कुल पानी में रहता है। आपने वाटरलौगिंग के वास्ते सेकेंड फाइव इयर प्लान में ५ करोड़ रुपया खर्च किया है। ४ करोड़ रुपया सेंटर ने दिया और एक करोड़ रुपया पंजाब गवनमेंट ने खुद अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड किया। थर्ड फाइव इयर प्लान में आपने ज्यादा से ज्यादा १२ करोड़ रुपया वाटर लौगिंग और फ्लड कण्ट्रोल के लिए देने का वायदा किया है। पंजाब गर्वनमेंट ने वाटरलौगिंग के लिए एक मास्टर प्लान दिया है जिसकी कि टोटल कौस्ट ६१ करोड़ रुपये के करीब है। एण्टी वाटरलौगिंग की जो स्कीम दी है वह २८ करोड़ की है। उन्होंने करीब ९० करोड़ रुपये की स्कीमें दी हैं। इस २८ करोड़ में से वाटरलौगिंग के वास्ते ८ करोड़ रुपया मंजूर हुआ है और ४ करोड़ रुपया फ्लड कण्ट्रोल के वास्ते सैंक्शन हुआ है। मेरी राय में ये रकमें बहुत ही नाकाफी हैं और यह तो वही हुआ कि एक मरीज जिसको कि चार इंजक्शन मिलने चाहियें थे उसको दो ही इंजेक्शन दिये जायें। जिस तरह से उस मरीज को शफा हासिल नहीं होगी उसी तरह हमारी यह वाटर लौगिंग की प्राबलम भी सौल्व न हो सकेगी। अब पंजाब हमारी एक प्रीमियर एग्रीकल्चरल स्टेट है और अगर वहां यह हालत रहती है और हम अपनी काश्त को नहीं बढ़ा सकते तो फिर कसे आप उम्मीद करते हैं कि हम अन्न के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं? हमें अपने एग्रीकल्चरल एरिया को बढाना होगा और तभी हम अपने प्रोडक्शन में इनक्रीज कर सकते हैं। पंजाब ने थर्ड फाइव ईयर प्लान में ३५ करोड़ रुपये मांगे थे जबकि आपने

[सरदार इकबाल सिंह]

केवल १२ करोड़ रुपया प्रोवाइड किया है जो कि बिल्कुल नाकाफी है। जिस तरह से एक मरीज अगर उसे उचित मात्रा में दवाई की खुराक और इंजेक्शन न मिले तो वह अच्छा नहीं हो सकता और उल्टे दिन पर दिन उसकी हालत बदतर होती जायेगी ठीक यही हालत हमारे पंजाब की है। यह जो ८ करोड़ रुपये के करीब आप पंजाब को वाटरलौगिंग के लिये देते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और मेरा कहना है कि आप उस रकम को बढ़ायें।

आपको इसके लिये वर्ल्ड बैंक के पास भी जाना चाहिये और उनकी इमदाद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिये। आज हालत यह है कि वाटरलौगिंग बजाय घटने के हर साल बढ़ती जा रही है और अगर आप उसको घटाना चाहते हैं तो इसके लिये ज्यादा रकम रक्खें. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

सरदार इकबाल सिंह : मैं पांच मिनट का समय और चाहूंगा। मैं खाली इसी मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स पर बोलता हूं और दूसरी किसी मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स पर मैं नहीं बोलता हूं और इसके लिये मैं काफी तैयारी करता हूं तो मुझे थोड़ा और मौका मिलना चाहिये। हिन्दुस्तान में जितना एरिया वाटर-लाग्ड है, उसका वन-थर्ड हिस्सा पंजाब में है। वाटर-लागिंग के सम्बन्ध में हम अस्सी करोड़ रुपये के करीब खर्च करने जा रहे हैं। हर एक सूबे की अपनी प्राबलम्ज़ हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस रकम में से पंजाब को उतना दिया जाये, जितना एरिया उसके यहां है—टोटल एरिया का जितना हिस्सा पंजाब में है। इस तरह की ग्राण्ट्स को देने से पंजाब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि वाटर-लाग्ड एरिया इन्क्रीज़ होता जायेगा : सैकेंड फ़ाइव यीअर प्लान में सेंटर ने पहले तीन करोड़ रुपये दिये और फिर एक करोड़ रुपये और दिये, यानी चार करोड़ रुपये दिये और इसके अलावा एक करोड़ रुपये पंजाब सरकार ने खुद दिये। इस तरह पांच करोड़ रुपये इस काम के लिये दिये गये।

जहां तक पंजाब की स्कीम्ज़ का ताल्लुक है, अगर्चे पैंतीस स्कीमम्ज़ टेक्निकली एग्ज़ामिन हुई, लेकिन हम देखते हैं कि उन में से पंजाब की एक भी नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब एग्रीकल्चर की प्रीमियर स्टेट है। यह ठीक है कि वहां पर राउरकेला और भिलाई जसे कारखाने नहीं बन सकते, लेकिन वहां नहरें बन सकती हैं। अगर वहां पर राउरकेला और भिलाई भी न बनें और नहरें भी न बनें, तो फिर सवाल यह है कि पंजाब के लोगों की खुशहाली कैसे कायम रह सकती है। उसको बिजली नहीं दी जाती है। हां, पहले दी गई थी। पंजाब एक ऐसी स्टेट है, जिसने एग्रीकल्चर या छोटी छोटी इण्डस्ट्री पर डिपेंड करना है। इसलिये उसको ज्यादा पानी और बिजली देनी चाहिये। इस सिलसिले में जो पहले दिया गया है और बनाया गया है, उससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी स्कीम्ज़ को एग्ज़ामिन नहीं किया जायेगा, तो वे कैसे मंजूर होंगी और कामयाब होंगी और किस तरह पंजाब के लोगों को उनसे फायदा पहुंचेगा। इस महकमे की पैंतीस स्कीम्ज़ में से पंजाब की कोई स्कीम नहीं है।

जहां तक बिजली का ताल्लुक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया। वह बहुत अच्छी स्कीम थी, अच्छा ख्याल था। इस बारे में ख्याल यह था कि बोर्ड एक आटानोमस बाडी होगी और उससे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। प्रिंसिपल तो ठीक था, लेकिन अमल में यह देखा गया कि बोर्ड ने बनने के बाद एक ही कोशिश की कि किसी तरह से उस को नफा हो। और नफा तभी होगा कि अगर बिजली की बल्क सप्लाई किसी को दी जाये। इस लिये स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यही पालिसी अख्तियार की

[सरदार इकबाल सिंह]

कि बल्क सप्लाई किसी एक कारखाने या फैक्ट्री को दे दी जाये, और उससे सब पैसा ले लिया जाये। इस तरह से उसे न छोटे छोटे लोगों को थोड़ी थोड़ी बिजली देनी पड़ेगी, न जगह जगह मीटर रीड करने पड़ेंगे और न बिल्ज़ कलेक्ट करने पड़ेंगे। इसलिये ज़रूरत इस बात की है कि बोर्ड को यह डायरेक्टिव दिया जाये कि बिजली का इतना परसेंट रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिये रखना होगा, इतना परसेंट छोटी सनअतों को देना होगा, इतना फीसदी बड़ी इण्डस्ट्रीज़ को देना होगा। पिछले साल इस बारे में एक कान्ट्रोवर्सी सामने आई कि रिहन्द डैम की सारी बिजली एक फैक्ट्री को दे दी गई। मैं किसी कांट्रोवर्सी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब में भाखरा डैम के जितने जेनीरेटर्ज़ लगे हैं, या अगले तीन सालों में लगने हैं, उन सब से बिजली एक फैक्ट्री को मिल जायेगी। यह चौबीस करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे सारे पंजाब की नीड्ज़ पूरी नहीं हो सकती हैं। इस दौरान में लोगों की नीड्ज़ बढ़ी हैं। इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

सेकण्ड फाइव ईयर प्लान में रूरल इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई की स्कीम में ११ हजार गांव रखे गये थे और थर्ड फाइव ईयर प्लान में ४३ हजार गांव रखे गये हैं। जब तक सेंटर रूरल इलैक्ट्रिक सप्लाई के लिये सिबसिडी न दे, ग्राण्ट न दे, तब तक रूरल इलैक्ट्रिक सप्लाई की स्कीम कामयाब नहीं हो सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसिडी, ग्रान्ट की शक्ल में बोर्ड को न दे, तो बोर्ड यह समझता है कि उसको नफ़ा कैसे हो और नफ़ा उस को सिर्फ बड़ों से हो सकता है, छोटों से नहीं हो सकता है क्योंकि उन को देने से कास्ट लाइन्ज़ और कलेक्शन चार्जिज़ ज्यादा होते हैं अगर यह सरकार रीअली इलैक्ट्रिसिटी को छोटे देहातियों और सनअतकारों के पास ले जाना चाहती है, तो वह बोर्ड को सबसिडी और ग्राण्ट दे, ताकि बोर्ड सैल्फ़ सफिशेन्ट होकर उन लोगों को बिजली दे।

पंजाब में कितनी ही स्कीम्ज़ बनी हुई हैं। जो ११,००० गांवों की स्कीम बनी हुई है, उसमें से ३५०० गांवों को मिल चुकी है। और भी गांवों को मिल सकती है, अगर एक प्लान में दस करोड़ रुपया मिल जाये। चूंकि बोर्ड को प्राफिट नहीं है, इसलिये बिजली नहीं मिलती है। इस बारे में रीथिंकिंग करना चाहिये कि बिजली का मसला क्यों ऐसे हो गया है, क्यों स्टार्वेशन प्वायण्ट आ गया है, क्यों युटिलाइज़ेशन बेहतर नहीं हो सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाये, जो इस बात पर विचार करे कि युटिलाइज़ेशन आफ दि पावर रीसोर्सिज़ किस तरह इन्क्रीज़ हो सकती है। रूरल, छोटे देहातियों, सनअतकारों को किस ढंग से बिजली मिल सकती है, यह सोचना चाहिये। मेरी ख्वाहिश है कि अगले साल से पहले इस मिनिस्ट्री को इस हाउस को और इस हाउस के जरिये कण्ट्री को बताना चाहिये कि हम बिजली का मसला इस ढंग से हल करना चाहते हैं।

नेशनलाइज़्ड इलैक्ट्रिसिटी का रेशो ज्यादा हो रहा है और प्राइवेट एन्टरप्राइज़ की रेशो दिन-पर दिन कम हो रही है। इसलिये जो प्राइवेट एन्टरप्राइज़ बच गया है, उसको नेशनलाइज़ कर देना चाहिये। प्राइवेट एण्टरप्राइज़ में कितनी डिफीकल्टी आती है, वे कितना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। इसलिये बड़ों बड़ों को भी नेशनलाइज़ कर दिया जाये और इलैक्ट्रिसिटी का काम एक नेशनलाइज़्ड कनसर्न और पब्लिक अण्डरटेकिंग के आधार पर रन किया जाना चाहिये और उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं होना चाहिये।

मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे टाइम दिया।

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : इस मंत्रालय ने कुछ अच्छे काम किये हैं जिनके लिये मैं मंत्री और उपमंत्री को बधाई देता हूं। पंजाब और राजस्थान के लिये तो इंद्र का काम किया है।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री कर्णी सिंह जी]

भाखड़ा बांध में मैंने बहुत अच्छा और उत्साहपूर्वक किया जाने वाला सराहनीय काम स्वयं देखा है। बिजली औद्योगीकरण के लिये और हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये नितांत आवश्यक है और प्रसन्नता की बात है कि इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है ?

राजस्थान के लिये, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और औद्योगिक दृष्टि से भी पीछे हैं, अधिक बिजली की जरूरत है और वर्तमान संभरण काफी नहीं है।

राजस्थान नहर की योजना बहुत बड़ी है और इस से बहुत बड़ी मात्रा में जल मिलेगा और यह संसार की बड़ी योजनाओं में है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

मैंने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि राजस्थान नहर नियंत्रण बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अधीन होना चाहिये। क्योंकि राज्य सरकारें अपनी प्रादेशिक राजनीति के कारण इन बड़ी परियोजनाओं की ओर ध्यान नहीं दे सकतीं, जितना उन्हें देना चाहिये। इस नहर के साथ साथ भूमि सर्वेक्षण, सड़कों, पीने के नल की व्यवस्था आदि के प्रश्न पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिये ताकि नहर के प्रारंभ होने तक ये तैयार हो जाएं। यह स्थान भी चंडीगढ़ की तरह सुन्दर बनाया जाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि योजना और निर्माण दोनों का काम प्रदत्त व्यक्ति के हाथों किया जाना चाहिये। आज के समाचार पत्र की सूचना है कि यदि सीमेंट उपलब्ध हुआ तो तीन वर्षों में राजस्थान नहर में जल आ जाएगा यह गर्व की बात है। संबद्ध मंत्रालयों से आशा है कि वे सीमेंट और अन्य सामान उपलब्ध करेंगे ताकि यह नहर जल्दी चालू हो जाए।

राजस्थान नहर को पक्का करने की आवश्यकता अब सरकार को अनुभव हुई है यह प्रसन्नता की बात है। महाराजा बीकानेर श्री गंगासिंह जी ने एक पक्की नहर बनवाई थी। अब सरकार ने भी इस नहर को पक्का करने का फैसला कर लिया है।

नहर को इस योग्य बनाना कि इसमें जहाज चल सकें और इसे कांडला पत्तन के साथ मिलाने की बातें बहुत जरूरी हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस काम के लिये अधिक धन की व्यवस्था करके उसे अभी से जहाजों के चलने योग्य बनाएं और यह बताने की कृपा करें कि पाकिस्तान के साथ की गई नहरी जल संधि का इस नहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

घग्घर नदी की बाढ़ों से पंजाब और राजस्थान को बड़ी हानि होती है। इसके लिये हमें मिल कर विचार करना चाहिये ताकि दोनों राज्यों को लाभ हो। इस नदी का मार्ग बदल कर मरुस्थल में इसका उपयोग करने के बारे में एक विशेषज्ञ ने सलाह दी है जिस पर २ करोड़ खर्च होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस काम को किया जाए ताकि बाढ़ों से प्रति वर्ष होने वाली भारी हानि को रोका जाए।

यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान के कुछ भागों को जहां पानी की कमी है, पीने का जल भी दिया जाएगा जिन्हें अब २० मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है ? मैं माननीय मंत्री से यह भी प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के लिये भी एक सुपर-ग्रिड स्टेशन बनाया जाए।

हमें माननीय मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री से गंग-नहर के बारे में यह आश्वासन मिला था कि पाकिस्तान के साथ की गई सन्धि का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब और राजस्थान के विशेषज्ञ मिल कर विचार करें ताकि अगले वर्ष गंग-नहर क्षेत्र में पानी की कमी न होने पाये। हमें आशा है कि अनुसूची के अनुसार भाखड़ा १६६३ तक लगातार बहने वाली नहर बन जाएगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय राजस्थान नहर क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में तोपों की चांदमारी का स्थान रखना चाहता है। जो बीकानेर से केवल १० मील की दूरी पर है जिसकी जनसंख्या २ लाख के लगभग है। यह स्थान सिंचाई वाले क्षेत्र से बिल्कुल बीच पड़ता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इसे किसी और स्थान पर स्थापित करें ताकि राजस्थान की भूमि के शस्यश्यामला होने में बाधा न पड़े। इसे मरुस्थल में ले जाया जा सकता है। इसके लिये प्रतिरक्षा तथा सिंचाई मंत्रालयों एवं राजस्थान सरकार की एक समिति बनाई जाए जो इस के लिये उचित स्थान का चुनाव करे। जो अच्छा काम इस मंत्रालय ने किया है वह भारी रहेगा।

†श्री रंगा : मैं इन मांगों के बारे में पहले तीन सदस्यों की बातों से सहमत हूं। चूंकि इस मंत्रालय को सरकार का उत्तम पक्ष हासिल है इसलिये यह अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सका है।

इस मंत्रालय के पास बड़े शक्तिशाली इंजनियर हैं और केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के लोग हैं तथा इसे बहुत सा विदेशी ऋण मिलता है। फिर भी ये उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर सके जितना इनको करना चाहिये और उदाहरणों के लिये राजस्थान नहर को कंक्रीट से पक्के करने की बात श्री कर्णी सिंह जी ने बताई है, जिसका फैसला करने में इतने वर्ष लग गये।

रेलवे को बढ़ाना कठिन है सड़क बढ़ाना मंहगा है अतः देश में नौवहन और सस्ते परिवहन की बड़ी जरूरत है। नौवहन के उद्देश्य से इस नहर का धीरे धीरे अभी से इस प्रकार विकास किया जाना चाहिये ताकि यह जहाजों के चलने योग्य हो सके। इस पर ऊंचे और बड़े पुल बनाये जाने चाहिये ?

कोयना परियोजना इस प्रकार नहीं होनी चाहिये थी। महराष्ट्र को अधिकाधिक सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि सीधी सिंचाई नहीं मिल सकती तो विद्युत् पैदा करनी चाहिये। किन्तु बिजली इस तरीके से तैयार की जानी चाहिये कि सिंचाई की संभावना खराब न हो और नदी के जल का उपयोग किया जा सके। यह बहुप्रयोजनीय परियोजना होनी चाहिये थी। किन्तु ऐसा न करके उस का जल अरब सागर में व्यर्थ गिरने दिया जाएगा। अब कुछ इंजनियर बम्बई सरकार को ठीक मंत्रणा दे रहे हैं, किन्तु मालूम नहीं भारत सरकार के सलाहकार उस से सहमत होंगे या नहीं। इसमें योजना बनाने वालों ने बहुत बड़ी गलती की है और कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई।

छोटी और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं से देश को बड़ा लाभ हो रहा है। किन्तु इस की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है।

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) : छोटी सिंचाई इस मंत्रालय का विषय नहीं है।

†श्री रंगा : ये योजनाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के विशेषज्ञों को भेजनी पड़ती हैं। उड़ीसा की योजनाएं चार साल तक इस आयोग के पास पड़ी रहीं। मुझे मालूम नहीं कि राज्यों के सिंचाई मंत्रालयों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बीच क्या संबंध है, और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे। इसीलिये मैं कहता हूं कि प्रारंभ से ही छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

मैं पूर्ववक्ता माननीय सदस्य की इस शिकायत से सहमत हूं कि हीराकुड के कार्यकर्ताओं को पूरी सुविधाएं नहीं दी जातीं । पता नहीं वहां क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू किया गया है या नहीं । उनको भूमि दी जानी चाहिये जिस पर वे बूढ़े होने पर बस सकें । जो किसान बेकार भूमि को उर्वरक बनाने में परिश्रम कर रहे हैं उन के प्रयत्न सराहनीय हैं । किन्तु फिर भी सिंचाई की सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता । यह दुख की बात है । इसे कम किया जा सकता है ।

श्री हाथी ने कई बार स्वीकार किया है वह राज्य सरकारों को ऋण और औजार आदि देने की व्यवस्था करेंगे ताकि किसान भूमि का उपयोग कर सकें । इसे ध्यान में रखने की जरूरत है ।

बाढ़ नियंत्रण के लिये सरकार ने उपाय करने की प्रतिज्ञा की थी । किन्तु गोदावरी की बाढ़ों के बारे में पर्याप्त रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई है । नर्मदा और ताप्ती की बाढ़ों से सूरत नगर को बड़ी हानि हुई । अतः इस समस्या की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिये ।

पंजाब और राजस्थान के बीच राजस्थान नहर के बारे में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है इसलिये मैंने श्री कर्णीसिंह जी की बात का समर्थन किया था कि भारत सरकार का नियंत्रण ऐसी बड़ी नहरों पर हो । कोयना पर कृष्ण नदी का पानी नष्ट किया जा रहा है । चूंकि कृष्णा और गोदावरी कम पानी वाले क्षेत्र में से गुजरते हैं इसलिये इन नदियों का नीचे की घाटी में बहुप्रयोजनीय का विकास में बाधा डालने का कोई औचित्य नहीं है । और यही हालत आंध्र की है । यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र सरकार के बीच कोई समझौता करवाये । हमारे विशेषज्ञों का यह प्रयत्न होना चाहिये कि नदियों के जल का पूर्ण उपयोग करने में वे लोगों की सहायता करें ।

यह आश्चर्य की बात है कि आंध्र द्वारा पेश की गई पोचमपाडू आदि परियोजनाओं की मंजूरी में भारत सरकार ने इतनी देरी की । उसमें बहुत जल है । इसलिये मैं सुझांव देता हूं कि केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामलों में विलंब नहीं करना चाहिये । महाराष्ट्र और मैसूर जो योजनाएं पेश करें केन्द्रीय सरकार उन की अधिकतर लागत स्वयं देकर उनकी मंजूरी दे और आंध्र प्रदेश को अपनी सिंचाई योजनाओं का विकास करने दे ।

मैं पंजाब के सदस्य से जल बाढ़ के बारे में सहमत हूं । भूमि जल मग्न होने के कारण नष्ट हो रही है । इसलिये इन सिंचाई वाले क्षेत्रों में नाली व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि फालतू पानी का बाद में उपयोग किया जा सके और भूमि की ठीक सिंचाई होती रहे और भूमि का उर्वरक भी न होने पाये ।

नलकूपों के बारे में भी बड़ा अपवाद हुआ है, उत्तर प्रदेश में तथा अन्य स्थानों पर बहुत से नलकूप काम नहीं कर रहे हैं । इस की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

सूखे वाले क्षेत्रों के विकास के लिये इस मंत्रालय को कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग देकर आर्धोपाय जुटाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि वहां काम करने वाले लोगों का अधिक से अधिक बचाव किया जा सके ।

सुधार शुल्क इतना अधिक रखा गया है कि किसान पानी का उपयोग करते हुए झिझकते हैं और वे लोग उतना शुल्क नहीं दे सकते । मैं ने कुछ सुझाव दिये थे किन्तु न पंजाब सरकार ने ध्यान दिया और न ही इस मंत्रालय ने । आखिरकार सत्याग्रह करने से सरकार ने आंखें खोलीं ।

जब किसान लोग अपनी सारी पूंजी और प्रयत्न के साथ सूखी भूमि को उर्वरक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सरकार को भी चाहिये कि उन पर इतना भारी शुल्क न लगाये कि वे हतोत्साह हो कर सिंचाई के जल का उपयोग न कर सकें ।

मैं इस सरकार की योजना से सामान्यतया सहमत हूं । किन्तु योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि को दी जानी चाहिये जिससे ग्रामीण भारत का अभ्युदय हो ।

यदि मुझे अवसर मिले तो मैं राष्ट्रीय संशोधनों का अधिकांश भाग कृषि विभाग सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च करूं ।

अंत में मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी, कदम-भाखड़ा-नांगल, दामोदर घाटी में जैसी बुरी घटनायें हुई हैं, उनको रोकने के लिये पूर्ण प्रयत्न करेंगे । दामोदर घाटी, हीराकुंड आदि परियोजनायें पूर्णतया सफल नहीं रहीं हैं जितनी इससे आशा थी । अतः मंत्री जी अपने विशेषज्ञों को आदेश दें कि इन सब को योजनाओं के सब पहलुओं पर भली भांति विचार कर के इनको अच्छी ,तरह कामयाब बनायें ।

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : गंगा बांध के बारे में जो कुछ प्रगति हुई है उसके लिये मैं सभा द्वारा दिये गये समर्थन के लिये सभा को धन्यवाद देता हूं । इस बांध के बारे में १९२० से शिफारिशें हो रही हैं और अब काफी प्रगति हो चुकी है । इसके बारे में जांच के बाद जांच की गई और आखिरकार बड़ी चर्चाओं के पश्चात् यह बांध दूसरी योजना में शामिल किया गया । मैं आशा करता हूं कि अब सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करेगी ।

इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और क्या फरक्का में ही बांध बनाया जायेगा या एक फीडर नहर भी खोदी जायेगी और जंगी पुर का बांध भी बनाया जायेगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा । प्रतिवेदन में इसके पूरा होने में ८ या १० वर्ष तक का समय बताया गया है । फरक्का बांध से जंगीपुर में नदी के मुख तक नहर खोदने से कितना पानी ले जाया जायेगा और कलकत्ता पत्तन को नौवहन सम्बन्धी कितना लाभ होगा । इससे वहां कई नदियों को लाभ पहुंचेगा ।

सरदार मान सिंह के सभा पतित्व में जो बाढ़ जांच समिति नियुक्त की गई थी क्या वह मंत्रालय में आ चुकी है और उसके निष्कर्ष क्या हैं और क्या सिफारिशें की गई हैं ?

हमें खुशी है कि नि.टा बहुप्रयोजनीय परियोजना आरम्भ की गई है । इससे पश्चिम बंगाल और आसाम को लाभ होगा । आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में विलम्ब नहीं करेगी ।

प्रतिवेदन में भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञों की बैठकों का उल्लेख है । सरदार इकबाल सिंह ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ पश्चिमी भाग के बारे में किये गये समझौते से पाठ लेना चाहिये । पाकिस्तान को बदफ योजना चला रहा है और हम गंगा बांध चला रहे हैं । हमें इन दोनों योजनाओं को चलाना चाहिये । मा० मंत्री इस बारे में ध्यान दें और इसे यथाशीघ्र पुरा करवाने का प्रयत्न करें ।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं, मैं मानता हूं कि पंजाब की तरक्की इस मंत्रालय के कारण है । यह मंत्रालय जहां किसान के लिये खेतों के लिये पानी का इन्तजाम करता है, वहां देश के छोटे बड़े कारखाने लगाने के लिये बिजली पैदा करने का इन्तजाम करता है और इन दोनो चीजो में हमारे प्रदेश, पंजाब को काफी बड़ा हिस्सा मिला है पिछले दस सालों में । आप जानते हैं कि यह साल एक तरह से पंजाब के इतिहास में एक बहुत अहम साल होगा, क्योंकि आज से चौदह पंद्रह साल पहिले १९४६ में जो काम शुरू किया गया था भाखड़ा डैम का, वह १९६१

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

में मुकम्मल हो जायेगा । दिसम्बर, १९६० तक भाखड़ा डैम के ऊपर १५२ करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है । इतना रुपया खर्च करने के बाद हमारे सूबे में जहां बिजली और पानी की तादाद बढ़ी है, उसके साथ ही साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे सूबे में पानी ज्यादा हो गया है मैं यह नहीं मानता कि खेतों की पैदावार भी उसके हिसाब से बढ़ गई है हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जब ये नहरें बनी, उस वक्त इंजीनियर्स ने भाखड़ा की नहरों को छोड़कर बाकी को पक्का नहीं किया और इस वजह से जहां पंजाब में पिछले दस बारह साल में नहरों की सिंचाई की भूमि बढ़ी है और उसमें लाखों एकड़ सिंचाई की तादाद बढ़ी, उसके साथ साथ पिछले नौ दस साल में पंजाब में ३३ लाख एकड़ भूमि या तो खराब हो चुकी है, या खराब होने का खतरा है । जिस भाखड़ा डैम से और उसकी नहरों से २२ लाख एकड़ के करीब भूमि की सिंचाई होती है, उसको मुकम्मल करने के लिये चौदह बरस लगे और उस पर जो १५० करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं या अन्दाजन १७० करोड़ रुपये खर्च होंगे, उस में से ७०, ८० करोड़ रुपये नहरों के हिस्से में आता है । हमारे प्रदेश में यह ख्याल है कि जिस काम के लिये चौदह बरस लगे, उतनी ही भूमि को ६० करोड़ रुपये में पैदावार के योग्य बनाया जा सकता है साल दो साल में लेकिन हमारे प्रदेश के पास पैसा नहीं है और हिन्दुस्तान का प्लानिंग कमीशन दूसरे देशों की तरफ पैसे के लिये देखता है। मैं यह मानता हूं कि इससे सस्ती और ज्यादा देश को लाभ पहुंचाने वाली और कोई स्कीम नहीं हो सकती । लेकिन जो भूमि खराब है, जिसे वाटर लागिंग कहतेहैं और जिसका इन्तजाम एक सालमें और दो साल में किया जा सकता है और जिसके लिये न कोई डैम बनाने की जरूरत है और न ही बाहर से इंजीनियर बुलाने की जरूरत है, उसमें देरी क्यों होती है, उसका इंतिजाम क्यों नहीं किया जाता है । पंजाब में ही आज ३५ करोड़ रुपये सालाना का होता घाटा है जो कि पंजाब का ही नहीं बल्कि सारे देश का घाटा है । वहां पर ३५ करोड़ रुपये की अनाज की या दूसरी फसलें कम पैदा होती हैं । आज आप बाहर से गेहूं और कपास इत्यादि मंगाते हैं लेकिन ये सब चीजें जब पंजाब में ही बड़ी आसानी से पैदा हो सकती हैं,तो उस तरफ आप क्यों ध्यान नहीं देते हैं। वाटर लागिंग की वजह से जो पैदावार होनी चाहिये जमीनसे वह नहीं हो पातीहै और देशको हर साल ३५ करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है । जरूरत इस बात की थी कि कि वाटर लागिंग का पंजाब के अन्दर बड़े जोर शोर से ठीक करने का इंतिजाम किया जाता । लेकिन ताज्जुब की बात है कि उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । प्लानिंग कमीशन जो हिन्दुस्तान के लिये दस हजार करोड़ रुपये का इंतिज़ाम करेगा तीसरी योजना के लिये वह पंजाब के लिये वाटर लागिंग की समस्या को हल करने के लिये सिर्फ आठ करोड़ रुपया ही तलाश कर सका है । मैं समझता हूं कि इस काम के लिये इस देश में अगर रुपया बढ़ाने की भी जरूरत पड़े जिससे लोग समझते हैं इन्फ्लेशन हो जाता है, वह इस काम को करने से नहीं हो सकता है । इसका कारण यह है कि यह एक ऐसी स्कीम है जिसके नतीजे उसी साल में निकलने वाले हैं और इससे कोई इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता है । डिफिसिट फाइनेंसिग भी आप इसके बारे में कर सकते हैं । पंजाब के अन्दर ६१ करोड़ की स्कीम है और इस से पंजाब में वाटर लागिंग का मसला हमेसा हमेशा के लिये हल हो सकता है और उससे देश का फायदा हो सकता है । इससे पंजाब की जिन्दगी को आप बचायेंगे। हिन्दुस्तान का प्लानिंग कमीशन अगर एक सौ करोड़ नहीं मैं तो कहता हूं कि ६० करोड़ रुपया ही और अधिक नोट छाप कर पंजाब को दे दे और पंजाब के इंजीनियर्स को इस मसले को हल करने का मौका दे दे तो देश का भी भला हो सकता है और पंजाब का तो जैसा मैंने कहा इससे जीवन ही सुधर सकता है ।

मैं अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । आप जानते हैं कि आज से आठ नौ महीने पहले रोहतक का नाम इस देश के अन्दर ही नहीं विदेशों के अन्दर भी मशहुर हो गया था । वहां के पानी की तस्वीरें, फ्लड्स जो आये थे, उनके पानी की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें सारी दुनिया में छपी थीं ।

इन फ्लड्स से जो नुक्सान हुआ था वह करोड़ों में हुआ था। पंजाब सरकार ने गरीब आदमियों की इमदाद के लिये, किसानों की इमदाद के लिये, बेविस्वेदारों की इमदाद के लिये, खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की इमदाद के लिये एक करोड़ चालीस लाख रुपये के करीब खर्च करने का फैसला किया था। मैं समझता हूं कि एक करोड के करीब खर्चा होगा इमदाद की शक्ल में अगर उस ड्रेन के पानी के बारे में पहले कोई स्कीम मंजूर कर ली जाती तो ड्रेन से रोहतक जिले में इतनी तबाही न होती। यह बदरौ आठ नम्बर ड्रेन है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं। अगर हमारे इंजीनियर्स, हमारा प्लानिंग कमीशन इस बात का पहले से अंदाजा लगाता और पहले से खर्च की मंजूरी दे देता और हमको पैसा दे देता तो मुझे बताइये कि इससे देश का नुक्सान होता या फायदा होता। एक तरफ पंजाब की, रोहतक जिले के किसानों की तबाही हुई, शहर की तबाही हुई और डेढ़ करोड़ के करीब इमदाद पर खर्च किया गया और दूसरी तरफ इस स्कीम को पूरी करने के लिये एक करोड़ रुपया अब हम खर्च करेंगे, यह कैसा प्लानिंग है। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आई है। तबाही आने से पहले ही अगर यह रुपया इस स्कीम पर खर्च कर दिया गया होता तब तो प्लानिंग कहा जा सकता था। तबाही के बाद ही हम रुपया तलाश करें, यह कैसे जायज़ हो सकता है। हमारे देश के फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर जायें और देखें कि ड्रेन नम्बर आठ के पानी को ड्रेन नंबर ६ के रास्ते यमुना में डाला जा सकता है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस चीज़ को गांव का और देहात का आम आदमी भी समझ सकता है और जानता है कि जहां से पहले ड्रेन नम्बर ६ गुजरता था उसमें से अगर पानी डाला जाता तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। पानी तमाम का तमाम यमुना के अन्दर गिरना था और आज भी और आगे भी यमुना के अन्दर गिरेगा। लेकिन एक अजीब सा डर पैदा किया जाता है दिल्ली का। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली हिन्दुस्तान का ही आज बहुत बड़ा शहर नहीं है। बल्कि दुनिया के भी बहुत बड़े अहम शहरों में आज उसकी और नई दिल्ली की गिनती होती है। हिन्दुस्तान के नहीं संसार के सब से बड़े इन्सान पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां रहते हैं और उनकी सरकार रहती है। उनको कोई खतरा हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रोहतक उसके लिये अपने आप को कुर्बान करने के लिये तैयार है। लेकिन एक दिमागी खतरा पैदा करके कहा जाये कि यह नहीं हो सकता है तो अजीब सी बात दिखाई देती है। हिन्दुस्तान के फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर जा कर राय दें इसके बारे में तो मुझे बहुत अजीब सा मालूम देता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आप को अध्यक्ष महोदय, यकीन दिलाता हूं कि बदरौ जो है, वह ड्रेन नम्बर ८ मेरे गांव के साथ से गुजरता है और वहां से मैं हजार डेढ़ हजार नहीं दस हजार आदमियों के जत्थे को दिल्ली तो बहुत नजदीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कलकत्ता में भी जाकर बैठ जायें तो मैं वहां ले जा सकता हूं। यहां एक हवाई सा डर पैदा किया जाता है कि नुक्सान होगा। कितना नुक्सान होगा, इसको मैंने देखा है। बड़े बड़े किनारे जो ऊंचे ऊंचे हैं वे भी मैंने देखे हैं। किस तरह से वह पानी दिल्ली को डुबोयेगा यह मेरी समझ में नहीं आया है। वह न दिल्ली को और न ही दिल्ली के देहातों को डुबो सकता है। अगर वहां से पानी आना है तो कोई मुझे समझाये, कोई इंजीनियर समझायें कि यमुना के कौन से किनारे हैं, जो कि इतने ऊंचे पानी को जाने से रोकेंगे। ड्रेन में पानी जाने की क्या जरूरत है। पानी अपनी सतह खुद रखता है और बगैर ड्रेन के दिल्ली की तरफ आ सकता है। तो यह जो डर है यह हवाई डर है। मुझे डर है कि जो तबाही रोहतक को पिछले साल देखनी पड़ी थी वही तबाही उसको इस साल भी न देखनी पड़े। अगर ऐसा हुआ तो फ्लड कन्ट्रोल के चीफ इंजीनियर इसके जिम्मेवार होंगे क्योंकि गलत डर की वजह से उन्होंने एक गलत राय दी है

[चौ० रणवीर सिंह]

मुझे खुशी है कि पंजाब के मुख्य मंत्री और हमारे भी एक मंत्री महोदय चंडीगढ़ गये थे और वहां इस मामले का एक हल तजवीज हुआ और मुझे उम्मीद है कि उस काम में जो आज तक देरी हुई है हवाई डर की वजह से वह आगे नहीं होगी और पंजाब सरकार को जितने रुपये की आवश्यकता है, वह माननीय मंत्री महोदय देने का प्रबन्ध कर देंगे और रोहतक जिले को तबाही से बचायेंगे।

यह मंत्रालय जैसा मने कहा देहातों को जीवन देता है। लेकिन इसके काम करने का जो तरीका है वह अजीब ही है। बड़ी बड़ी नहरें निकलती हैं और जहां से शुरू होती हैं और जिनकी जमीन में से गुजरती हैं उनको पानी नहीं मिल सकता है। लोग जो हैं वे शायद यह समझते हैं कि जो नहर को निकालने के लिये जिम्मेवार हैं या जो वजीर हैं वे रोहतक और उसके आगे वाले जिले गुड़गांव को शायद इससे लाभ पहुंचाना चाहते हैं और इस वास्ते जितने पीछे वाले जिले में गांव इत्यादि आते हैं, वहां पानी नहीं दिया जा सकता है। यही हाल बिजली का है। बिजली के बड़े बड़े खम्भे जिनके खेतो को खराब करते हैं उनको बिजली नहीं दी जा सकती है। उन खेतों के गांव वालों को बिजली नहीं दी जा सकती है। बिजली का महकमा तो एक व्यापार का महकमा समझा जाता है। लेकिन अजीब है इनके व्यापार के हिसाब को लगाने का तरीका। बिजली की तारें लाख रुपये फी मील खर्च करके आगे चलती हैं। पांच हजार का ट्रांसफार्मर लगा करके जहां बिजली दी जा सकती है वहां बिजली नहीं दी जाती है। आप जानते हैं कि जैसे प्रदेशों का आपस में झगड़ा होता है, वैसे ही जिलों का और तहसीलों का भी आपस में झगड़ा चलता है। अजीब हालत है कि एक शहर जिसकी आबादी दस हजार के ऊपर की है, उसको बिजली देने के लिये कहां से उनके पास तार आता है, यह मालूम नहीं। और कौनसा वह हिसाब है जिस से इस तार को तो वहां भेजना फायदेमन्द है लेकिन पांच हजार रुपये का ट्रांसफार्मर लगा कर जो हिस्सा बीच में पड़ता है उसमें बिजली देना घाटे की बात है। यह हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आप जानते हैं कि यह समझा जाता है कि हम कोई चीज समझ नहीं सकते और जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वे ही समझ सकते हैं। मगर मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस देश के अन्दर समय आयेगा, अगर वह अभी नहीं आया है तो अब आ ही रहा है, जब कि देहात का गरीब आदमी जिसे आज लोग अनपढ़ कहते हैं, वह मजबूर कर देगा हिन्दुस्तान के बिजली के बड़े बड़े इन्जीनियर्स को यह समझने के लिये कि उनका यह हिसाब खाता गलत है।

इसी तरह से बिजली का हिसाब है। पंजाब के अन्दर, हाथी साहब ने जवाब दिया, दूसरी पंच साला योजना के अन्दर बिजली की भूख बहुत बढ़ गई है। वहां पर साढ़े तीन लाख कीलोवाट बिजली खप सकती है, लेकिन सिर्फ डेढ़ लाख कीलोवाट मिलती है। और उस में से भी हिमाचल प्रदेश हिस्सेदार है, जम्मू काश्मीर हिस्सेदार है, राजस्थान हिस्सेदार है और दिल्ली भी हिस्सेदार है। बिजली और पानी के लिये सब हिस्सेदार हैं। पीने के लिये पानी चाहिये, छोटी नहरों के लिये पानी चाहिये, लेकिन अगर कहीं बरसात ज्यादा हो जाय और कहीं पानी राजस्थान में घग्घर नदी की तरफ चला जाय तो राजस्थान का जत्था तैयार है। चूंकि दिल्ली रोहतक के पड़ोस में है इसलिये अगर यमुना में पानी आ जाय तो दिल्ली वाले इस के लिये जत्थाबन्दी करने के लिये तैयार हैं। मुझे बतलाइये कि जो हमारा बरसात का पानी है वह कहां भेजें? चीन में भेजें या किधर भेजें? जो हमारे पानी के बहने का रास्ता है उस से ही वह पानी जायेगा। यह भी अजीब बात है कि हमारा पानी पीने के लिये और दूसरे कामों के लिये दूसरों को मिल जायेगा लेकिन हमें नहीं मिलेगा। वह सारी जगह जायेगा, राजस्थान जायेगा, दिल्ली जायेगा। वह वहां पर जाये, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पंजाब का भी उस में खयाल किया जाना चाहिये।

मैं जानता हूं कि यहां बिजली के लिये तीसरी पंच साला योजना में आप ११०० करोड़ के करीब रुपया लगा रहे हैं। लेकिन देहात के अन्दर बिजली फैलाने के लिये तो आप चन्द करोड ही दे रहे हैं। अगर पंजाब को २५ करोड़ रु० मिल जाय तो पंजाब में बिजली बहुत सारे देहात में फैल सकती है। लेकिन पंजाब एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ३० या ३५ करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। पिछली दफा उन्होंने १३ करोड़ रु० की सीलिंग रखी। अजीब हालत है, बिजली पैदा करने के लिये जो बांध बनाने होते हैं उन में सैकड़ों करोड़ रुपये हम लगा सकते हैं, लेकिन बिजली को फैलाने के लिये जो छोटे मोटे तार भेजने पड़ते हैं उन के लिये हम हिसाब लगाते हैं कि १३ करोड़ रु० दें या १६ करोड़ रु० दें। अगर पंजाब १६ करोड़ मांगता है और खर्च कर सकता है तो हम १३ के बजाय १६ करोड़ रु० नहीं दे सकते। मुझे तो हिसाब आता नहीं, पता नहीं यह कौन सा इंजीनिअरिंग का हिसाब है या कौन से फायदे का हिसाब है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इंजीनिअर और हमारा मंत्रालय इस बात को समझे कि अगर १३ करोड़ रु० के बजाय २२ करोड़ रु० कर दिया जाय और उस को इस्तेमाल कर सकें तो उस से बहुत लाभ हो सकता है। वाटर लागिंग का इन्तजाम कर के जो काम १४ बरस के अन्दर हम ने ६० करोड़ रुपये खर्च करके १२२ लाख एकड़ नई भूमि के अन्दर पानी दे कर पैदावार बढ़ाई। अगर हम इतनी तरक्की कर सकते हैं तो ६० करोड़ की सहायता पा कर के हम ३३ लाख एकड़ भूमि की सीमा दूर कर के दो साल में पैदावार ड्योढ़ी कर सकते हैं। तो ६० करोड़ रु० आप यह दें और १३ करोड़ रु० के बजाय २५ करोड़ रु० दें ताकि तार फैल सकें, तो काफी लाभ हो सकता है। साथ में हमारे ऊपर बैटरमेंट लेवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसानों को सरकार के खिलाफ, जो कि लोगों की सरकार है, उठना पड़ेगा अगर आप इस तरह से करते हैं तो मैं समझता हूं कि घाटा नहीं रहेगा और उस की वजह से किसानों को कोई सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं रहेगी।

अजीब हालत है कि पंजाब के अन्दर बड़ी तरक्की हुई है, और यह बात भी सही है कि पंजाब का पानी और बिजली का जो महकमा है वह भी तकरीबन हमारे इलाके के भाइयों के पास ही रहा है। वैसे तो हमें पंजाबी रीजन वालों से कई बातों का गिला है, लेकिन सभी इंजी-निअर वहां के हैं, उन के हाथ में सारी चीजें हैं। वेस्टर्न यमुना कैनाल को दूसरी पंच साला योजना में रखा और उस पर ४ करोड़ रु० खर्च करने की स्कीम रखी गई लेकिन उस के ऊपर चार सालों में २५ लाख रु० खर्च हो सका और पांचवें साल में १ करोड़ रु० खर्च होगा। इस तरह से जहां पर ४ करोड़ रु० खर्च करने की बात थी वहां सवा करोड़ रु० खर्च होगा। मुझे खुशी है कि जहां तक बरसात के पानी के इन्तजाम का सवाल है, उस के लिये १ करोड़ रु० मेरे इलाके पर खर्च होगा, पानी को बढ़ाने के लिये भी १ करोड़ रु० या उस से ज्यादा खर्च होगा। यह हालत है हमारे पंजाब की लेकिन इस सदन ने फैसला किया कि पंजाब में दो रीजन होंगे और हिन्दी रीजन पंजाब का हिस्सा रहेगा। हम ने तो यह कभी नहीं कहा कि हमें पंजाब के साथ रखिये, दिल्ली के साथ रखिये या यू० पी० के साथ रखिये। यह देश हमारा है। जहां यह सदन फैसला करेगा हम वहां रहेंगे, लेकिन हमारा हक तो इस सदन को दिलाना ही है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : पश्चिम बंगाल के सभी सदस्यों ने गंगा बांध का उल्लेख किया है। एक महीना पहले माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि उन्होंने इस परि-योजना को चलाने का फैसला किया है। एक सदस्य ने प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए संदेह प्रकट किया है, जिस से यह पता चलता है कि काम आरम्भ हो चुका है। श्री सामंत की यह धारणा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

ठीक है कि काम आरम्भ नहीं हुआ क्योंकि मांगों में केवल अनुसंधान कामों के लिये राशि की मांग की गई है। अतः मंत्री जी ठीक स्थिति बतायें कि क्या इस परियोजना को आरम्भ किया जा चुका है और वे इसे कार्यान्वित कर रहे हैं और काम कब आरम्भ होगा। लोगों में इस बारे में संदेह है और समाचारपत्रों को भी इस के बारे में कोई पक्का पता नहीं है। इस योजना को कौन कार्यान्वित करेगा? इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह कलकत्ता पत्तन को बचायेगा किन्तु परिवहन मंत्रालय के प्रतिवेदन में इस का उल्लेख भी नहीं है।

अभी तक यह प्रतीत होता है कि केवल अनुसंधान किये जायेंगे। इस दीर्घ-कालीन योजना में ८-१० वर्ष लगेंगे। परन्तु सरकार के हाथ में कोई ठोस प्रतिवेदन होना चाहिये। इस में इतना समय लगेगा कि लोगों को केवल जल संबंध अनुसंधानों से संतोष नहीं होता। यदि उनका मंत्रालय इसे कार्यान्वित करेगा तो आशा है अपने अनुभवी इंजनियरों के द्वारा वे इसे कर सकेंगे।

पश्चिम बंगाल के प्रधान मंत्री ने प्रेस को बताया है कि केन्द्रीय सरकार ने इसे आरम्भ करने की व्यवस्था कर ली है। परन्तु क्या सरकार के पास पूरा विस्तृत प्रतिवेदन है और वे कब आरम्भ करेंगे। तीसरी योजना में आवश्यक उपबंध किये जाने की बात कही गई है। किन्तु उस योजना में गंगा बांध का कोई उल्लेख दिखाई नहीं देता। अभी तक तो कोई उपबंध नहीं किया गया दिखाई देता। अतः माननीय मंत्री यह बात स्पष्ट करें कि इसे कौन कार्यान्वित करेगा और यह कब तक आरम्भ किया जायेगा।

जहां तक कलकत्ता पत्तन का सम्बन्ध है, लगभग सभी इंजीनियरों ने यही कहा है केवल गंगा से भगीरथी-हुगली में जल संभरण को बढ़ा देने से ही पत्तन की स्थिति में कोई सुधार नहीं आयेगा, जब तक कि हुगली से नीचे की ओर नदी से मिट्टी निकालने का काम प्रारम्भ न किया गया। हुगली नदी में ज्वार भाटा आती रहती है, परन्तु खेद है कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय और सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में इस सम्बन्ध में कोई समन्वय नहीं है। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तो निरन्तर विशेषज्ञ नियुक्त करता जा रहा है परन्तु मिट्टी निकालने के सम्बन्ध में कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा है। केवल फाल्टा प्वाएंट पर ही थोड़ा सा कार्य प्रारम्भ किया गया है, परन्तु इस नीति से कुछ भी लाभ होने की आशा नहीं है।

अतः मेरा सुझाव है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना की जाये जो कि इस बात का ध्यान रखे कि इस कार्य को शीघ्र गति से कार्यान्वित किया जाये ताकि कलकत्ता पत्तन की रक्षा की जा सके। यदि कलकत्ता पत्तन को न बचाया जा सका, तो उस से ये सभी परियोजनायें दस पन्द्रह वर्षों तक के लिये रुक जायेंगी।

†**श्री रामी रेड्डी** (कडपा) : इस मंत्रालय ने गत दस वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं; और यह अपना उत्तरदायित्व जिम्मेवारी से निभा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि खाद्य के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये यह मंत्रालय सिंचाई के कार्यक्रमों के द्वारा पर्याप्त सहायता कर रहा है।

जहां तक विद्युत् का सम्बन्ध है, औद्योगिक विकास के कार्य के लिये इसका महत्व सब से अधिक है। विद्युत् उत्पादन के सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के लिये ६९ लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु १३ लाख किलोवाट की कमी रह गयी है। यह वास्तव में बड़े खेद की बात है। प्रधान मंत्री ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते समय इस कमी की ओर संकेत किया था।

अतः मेरा निवेदन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विद्युत् के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। हमारे देश में विद्युत् उत्पादन बहुत कम है। जबकि नार्वे में प्रति व्यक्ति ६८०४ किलोवाट का और अमेरिका में ३८३३ किलोवाट का उपभोग होता है, वहां भारत में १९५७-५८ में केवल २३९७ किलोवाट का उपभोग हुआ था।

देश में बढ़ती हुई औद्योगिक प्रगति के कारण विद्युत् शक्ति की मांग भी बढ़ गयी है। अतः विद्युत् उत्पादन पर अधिक बल दिया जाये। यह बड़े हर्ष की बात है कि योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये विद्युत् उत्पादन के लिये १०३८ करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बड़ा पिछड़ा हुआ है। यद्यपि इस राज्य में औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं, तथापि यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। द्वितीय योजना-काल के प्रारम्भ से पहले यहां विद्युत् का प्रति व्यक्ति उपभोग लगभग ७ यूनिट था जिसे द्वितीय योजना के अन्त तक बढ़ा कर १५ यूनिट कर देने का लक्ष्य है। सम्पूर्ण देश के प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े इससे बहुत ऊंचे हैं।

जहां तक ग्राम्य विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश के कुल २६,५०० ग्रामों में से केवल २१०० ग्रामों में द्वितीय योजना काल के अन्त तक बिजली लगाने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य बहुत कम है।

जहां तक औद्योगिक कार्यों में प्रति व्यक्ति धन विनियोग का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश में केवल १०.६८ रुपये प्रति व्यक्ति का विनियोग है, जब कि बम्बई में ४६.१० रुपये और बंगाल में ६५.३९ रुपय प्रति व्यक्ति का विनियोग है।

जहां तक राज्य में विद्युत् क्षमता का सम्बन्ध है, वहां लगभग ३० लाख किलोवाट, जल-विद्युत् शक्ति के उत्पादन की क्षमता है। वहां कृष्णा, गोदावरी, पन्नार आदि बड़ी बड़ी नदियां हैं। परन्तु अभी तक केवल ४ प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया गया है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बहुत सी परियोजनायें प्रारम्भ ही नहीं की ग ी हैं।

आ ध्र प्रदेश सरकार ने श्री सैलम परियोजना प्रारम्भ करने का सुझाव दिया था। इस जल विद्युत् योजना पर ४९.७७ करोड़ रुपयों की लागत आयेगी और उस से ४३० मेगावाट विद्युत् का उत्पादन होगा। यह विद्युत् शक्ति सस्ती पड़ेगी अर्थात् ८२२ रुपये प्रति किलोवाट पड़ेगी। फिर इस से राजस्व भी पर्याप्त राशि में प्राप्त होगा। अतः मेरा निवेदन है कि स परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र मंजूर कर दिया जाये।

स परियोजना का नागार्जुन सागर परियोजना से सम्बन्ध है। नागार्जुन सागर परियोजना संभवतः तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक पूरी होगी। अतः इस परियोजना की नींव नागार्जुन सागर की पूर्ति से पहले ही डाल दी जानी चाहिये।

कृष्णा और गोदावरी के पानी के सम्बंध में महाराष्ट्र और मैसूर ने जो आपत्तियां की हैं, वे निरा ार हैं। श्री सेलम परियोजना केवल एक विद्युत् परियोजना है। किसी भी सिंचाई परियोजना

[श्री रामी रेड्डी]

अथवा किसी भी उद्योग के लिये इन नदियों के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। केवल बिजली पैदा करने के लिये पानी का इस्तेमाल किया जायेगा। वह पानी निरन्तर बहता रहेगा।

सम्भव है कि विद्युत् उत्पादन के कार्य में कुछ पानी भाप बन कर उड़ जाये। इस दृष्टि से लगभग ३३ टी० एम० सी० भाप बन जाने का अनुमान है। परन्तु हमें कृष्णा नदी के पानी में से जो अंश अवतरित है वह इस से अधिक है। अतः महाराष्ट्र और सूर सरकारों की आपत्तियां निराधार हैं। इसलिये उक्त परियोजना के लिये शीघ्र ही मंजरी दी जानी चाहिये।

जहां तक तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर का सम्बन्ध है, वह रायल सीमा की अकाल की स्थिति का सामना करने के लिये नियोजित की गई थी। इस परियोजना को दो प्रावस्थाओं में विभाजित कर दिया गया है। प्रथम प्रावस्था के लिये मंजूरी दे दी गई है। परन्तु मेरा निर्वाचन क्षेत्र द्वितीय प्रावस्था के अधीन आता है। अभी तो प्रथम प्रावस्थान भी प्रारम्भ नहीं की गयी है।

अतः मेरा निवेदन है कि वे राज्य सरकार पर इस बात का जोर दें कि वह सरकार प्रथम प्रावस्था को १९६३-६४ तक पूरी कर दे और दूसरी प्रावस्था को भी तृतीय पचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : बीकानेर के महाराजा ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है, उन में से अधिकांश बातों से मैं सहमत हूं। परन्तु मैं उन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि राजस्थान नहर की कार्यान्विति का कार्य केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले। राजस्थान के इंजीनियरिंग कर्मचारी बहुत योग्य हैं, चम्बल परियोजना की कार्यान्विति का कार्य उन्होंने ही किया था और उस में उन्हें पूर्णरूपेण सफलता प्राप्त हुई है। अतः निवेदन है कि राजस्थान नहर की कार्यान्विति का का' राजस्थान सरकार के पास ही रहने दिया जाये।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
६४	६९९	श्री अरविन्द घोषाल	दामोदर घाटी निगम की मूल योजना की कार्यान्विति में असफलता	१००
६४	७००	श्री अरविन्द घोषाल	दामीदर घाटी निगम योजना द्वारा बाढ़ नियं ण की असफलता	१००
६४	७०१	श्री अरविन्द घोषाल	दामोदर घाटी निगम योजना पर किये गये खर्च	१००

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
६४	७०२	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर बांध के बाद दामोदर नदी के नीचे की ओर नदी से मिट्टी निकालने की जरूरत।	१००
६४	७०३	श्री अरविन्द घोषाल	दामोदर नदी के नीचे की ओर नदी को नौपरिवहन योग्य बनाये रखने की जरूरत ।	१००
६४	७०४	श्री अरविन्द घोषाल	दामोदर नदी के नीचे की ओर सिंचाई के प्रयोजन के लिये नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रखने की आवश्यकता ।	१००
६४	७०५	श्री अरविन्द घोषाल	दामोदर घाटी निगम द्वारा संभारित किये जा रहे पानी की दरों को कम करने की आवश्यकता।	१००
६४	७०६	श्री अरविन्द घोषाल	ग्राम्य क्षेत्रों को कम दरों पर दामोदर घाटी निगम की विद्युत् का संभरण करने की आवश्यकता ।	१००
६४	७०७	श्री अरविन्द घोषाल	हावड़ा और हुगली के लघु उद्योगों को दामोदर घाटी निगम की विद्युत् का संभरण करने की आवश्यकता ।	१००
६४	७०८	श्री अरविन्द घोषाल	हावड़ा और हुगली जिलों के ग्रामों में दामोदर घाटी निगम से बिजली के संभरण की आवश्यकता।	१००
६४	७०९	श्री अरविन्द घोषाल	दुर्गापुर कलकत्ता नहर को खोलने की आवश्यकता ।	१००
६४	९३०	श्री अरविन्द घोषाल	दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यक्रम को कलकत्ता से हटा कर किसी और स्थान पर ले जाने के निर्णय को वापस लेने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
६४	९३१	श्री अरविन्द घोषाल	बाढ़ नियंत्रण कार्यवाहियों की कार्यान्वित के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल की बाढ़ नियंत्रण समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता की आवश्यकता ।	१००
६४	९३२	श्री अरविन्द घोषाल	पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति की आवश्यकता ।	१००
६४	९३३	श्री अरविन्द घोषाल	केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्डों को उचित हिदायतें देने की आवश्यकता ।	१००
६४	९३४	श्री अरविन्द घोषाल	अन्तर्राज्यीय नदियों के बाढ़-नियंत्रण के लिये समन्वित योजनायें तैयार करने के कार्य को गति देने की आवश्यकता ।	१००
६४	९३५	श्री अरविन्द घोषाल	वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले नदी आयोगों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर देने की आवश्यकता ।	१००
६४	९५५	श्री अरविन्द घोषाल	अनियमित बांध बनाने का कार्य रोक देने की आवश्यकता ।	१००
६५	८३७	श्री अरविन्द घोषाल	विभिन्न राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों में असफलता ।	१००
६५	८३८	श्री अरविन्द घोषाल	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं को शीघ्र ही आरम्भ कर देने की आवश्यकता ।	१००
६६	११८६	श्री अरविन्द घोषाल	सिन्धु पानी सन्धि के लिये अदा की गई अधिक राशि ।	१००

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की है। विशेषतया बीकानेर के महाराज के प्रति मैं कृतज्ञ हूं जिन्हों ने इंजीनियरों द्वारा भाखड़ा में किये गये कार्यों की सराहना की है। इस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। जिन भी माननीय सदस्यों को भाखड़ा, दामोदर घाटी निगम चम्बल तथा अन्य परियोजनाओं को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है सभी ने इंजीनियरों द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की है। कुछ एक सदस्यों ने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं और मह मंत्रालय उन की ओर अवश्य ध्यान देगा।

कुछ एक सदस्यों द्वारा फरक्का बांध के सम्बन्ध में आशंकायें अभिव्यक्त की गई हैं। परन्तु मैं उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिये यह बता देना चाहता हूं कि इस योजना को निश्चित रूप से प्रारम्भ किया जा रहा है, सरकार ने उस बारे में निर्णय कर लिया है और वह निर्णय घोषित कर दिया गया है और शीघ्र ही इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस योजना के तीनों भागों अर्थाप बांध, फीडर और नहर के कार्यों को लिया जायेगा। इस परियोजना को चलाने के लिये मशीनरी लाने का काम परिवहन मंत्रालय का है, परन्तु जैसा कि श्री चौधरी ने सुझाव दिया है, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के इंजीनियर उक्त मशीनरी को चला सकते हैं, अतः हम ने चम्बल नियंत्रण बोर्ड के समान ही उस के लिये भी एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है, जिस में पश्चिमी बंगाल की सरकार, परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे।

सभा यह स्वभावतः अनुभव करती है कि हमें सिंचाई और विद्युत् के कार्यों में अधिक प्रगति करनी चाहिये। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। विद्युत शक्ति की प्रगति पर ही देश की प्रगति निर्भर करती है। हम ने सभी उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करने का यत्न किया है।

जैसा कि सभा को ज्ञात है हम ने प्रगति की है, परन्तु हम इतनी प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। यह तो बड़े हर्ष की बात है कि देश में बिजली की मांग बढ़ रही है, परन्तु हम ने प्रगति भी तो की है, हां यह सच है कि अभी तक इतनी प्रगति नहीं हुई है कि सम्पूर्ण मांग को पूरा किया जा सके। यह तो मानना पड़ेगा कि विद्युत उत्पादन की दिशा में हम ने विशेष प्रगति की है। १९५०-५१ में २३ लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया गया था, १९५५-५६ में उत्पादन बढ़ कर ३४२ लाख किलोवाट हो गया और १९६०-६१ में उत्पादन और भी बढ़ कर ५७ लाख किलोवाट हो गया है। आशा है कि तृतीय योजना के अन्त तक उत्पादन को और भी बढ़ा कर १३० लाख किलोवाट कर दिया जायेगा अर्थात विद्युत उत्पादन को ६ गुना बढ़ा दिया जायेगा।

---

*बीज उत्पादन निगम

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : कृषि के क्षेत्र में बढ़िया तथा स्वीकृत बीजों के उत्पादन और उन के वितरण के कार्यक्रम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दल-कृषि उत्पादन दल ने अपनी रिपोर्ट में इसी बात पर जोर दिया था कि देश में कृषि उत्पादन के कार्य को बढ़ाने के लिये अच्छे बीजों के प्रयोग की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भी यही सुझाव दिया गया था कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद इस सम्बन्ध में एक स्थायी समिति स्थापित करे। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका से यह ज्ञात हुआ है कि एक समिति स्थापित की गई है और उस ने कई सिफारिशें की हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घन्टे की चर्चा

[श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा]

अब जब कि सरकार उस के लिये एक निगम की स्थापना के बारे में सोच रही है, मेरा निवेदन है कि यह निगम अखिल भारतीय आधार पर स्थापित किया जाये। बीज बांटने का कार्य केवल राज्य सरकारों पर ही न छोड़ दिया जाये और केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से पहले ही कुछ निर्णय कर ले ताकि केन्द्रीय सरकार का उस पर अधिक नियंत्रण रह सके।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि अच्छी खेती के लिये बीज सम्वर्द्धन तथा उन का वितरण बहुत आवश्यक है। इस के बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं। इसकी महत्ता हम ने पहली योजना से ही महसूस कर ली है। लेकिन मैं उन की इस बात से भी सहमत हूं कि हम ने इस समस्या का समाधान उतने प्रभावी ढंग से नहीं किया है जितने प्रभावी ढंग से कि किया जाना चाहिये था।

जब हम ने यह देखा कि किसानों को उन्नत बीज दिलाने में हमारे प्रयत्न बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो हम ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में बीज सम्बर्द्धन फार्मों की योजना बनाई। विभिन्न खंडों के लिये जो लक्ष्य नियत किये गये थे वे लगभग पूरे हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य, इन बीज खंडो को आत्म-निर्भर बनाना है।

जहां तक विकसित बीज की बात है बीज के सम्वर्द्धन के लिये तीन प्रक्रिया हैं। जिन के लिये हम ने पर्याप्त कदम उठाये हैं। हमारे यहां बहुत पहले से ही बीज समितियां थीं। बीज उपजाने और उस के वितरण के लिये निगम आवश्यक है कि या नहीं, इस पर विचार करने के लिये हम ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है। अपनी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ही हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं।

जब हम ने देखा कि मिश्रित बीज काफी लोकप्रिय हो रहा है तो हम ने सोचा कि यह एक ऐसा टैक्नीकल मामला है जो व्यक्ति विशेष की प्रेरणा पर नहीं छोड़ना चाहिये। इसलिये यह संगठन बनाया गया। अभी इस के बारे में अन्तिम निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन इस की रूप रेखा तैयार कर ली गई है। यह संगठन सम्पूर्ण भारत के लिये होगा। यह संगठन मक्का तथा ज्वार के लिये मिश्रित बीज के बारे में प्रयोग करेगा। इस निगम के अन्तर्गत कुछ फार्म भी होंगे जहां कि इन बीजों का प्रयोग किया जायेगा। इस फार्म का क्षेत्रफल लगभग ५०० एकड़ होगा। जहां मिश्रित बीज के सम्बर्द्धन का काम होगा। बीजों के प्रमाणीकरण, अधीक्षण आदि के सम्बन्ध में निगम के माध्यम से आवश्यक काननी कार्यवाही करने का के अधिकार प्राप्त करने के हेतु हम एक विधान लाना चाहते हैं। हम राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का परामर्श दे रहे हैं। तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस काम पर कुल व्यय ३६० लाख रुपये होगा। और इस वित्तीय वर्ष में इस के लिये २० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

बीज सम्बर्द्धन से उत्पन्न बातों के बारे में तथा इन के वितरण के बारे में इस निगम के द्वारा बातचीत करेंगे। राज्य सरकारों के कृषि मंत्री भी निगम की स्थापना करने से सहमत हैं। हम ने कतिपय विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया है जो निगम की आवश्यकता से सहमत हैं। अन्य विदेशों में भी ऐसा ही किया जा रहा है।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि कहीं इस कार्य की पुनरावृत्ति न हो जाये। लेकिन हम ने इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार लिया है। और कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। और न इस से वर्तमान योजना पर कोई प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यह योजना बिल्कुल अलग है और इस का सम्बन्ध मिश्रित बीज एवं चीजों के सम्वर्द्धन से है।

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री बहादुर सिंह (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित—जातियां) : क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकारों का परामर्श लिया गया था क्या राज्य सरकारों के बीच तथा भारत सरकार के बीच कोई मतभेद था ?

†डा० पं० शा० देशमुख : राज्य सरकारों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में ही परामर्श लिया गया था और किसी भी राज्य ने असहमति प्रकट नहीं की थी ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री चाहते हैं कि उन के मंत्रालय की मांगों पर चर्चा शनिवार को शुरू हो और सोमवार को समाप्त हो । अतः गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शनिवार को ४ बजे प्रारम्भ होगा और साढ़े छः बजे तक चलता रहेगा । अब सभा १ अप्रैल, तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ३० मार्च, १९६१ / ९ चैत्र, १८८३ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३८६१—८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
११९९	आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों का निर्माण	३८६१—६४
१२००	रजिस्ट्री आफ पैथोलोजी	३८६४—६७
१२०१	फास्फेटयुक्त उर्वरक	३८६७–६८
१२०२	केन्द्रीय औषधि-निर्माण संस्था	३८६८–६९
१२०४	क्षय रोग का सर्वेक्षण	३८६९—७४
१२०५	रडार उपकरणों का संधारण	३८७४
१२०६	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार	३८७५—७७
१२११	रेलवे के लिये विश्व बैंक का ऋण	३८७७—७९
१२१२	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भोजन-व्यवस्थाकर्ता	३८७९—८१
१२१३	हिन्दी में रेलवे प्रशासनों की वार्षिक रिपोर्ट	३८८१
१२१४	आयुर्वेद का विकास	३८८१–८२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३८८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२०३	पश्चिमी यमुना नहर योजना	३८८२
१२०७	न्यू कचार रोड	३८८३
१२०८	बैलगाड़ियों के लिए पुराने पहिये	३८८३
१२०९	मुगल सराय में गाड़ी की टक्कर	३८८३–८४
१२१०	बिहार में सड़क	३८८४
१२१५	प्रादेशिक विद्युत 'ग्रिडों' को मिलाना	३८८४–८५
१२१६	रेलवे में भीड़भाड़	३८८५
१२१७	पर्यटन सम्बन्धी जानकारी	३८८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२१८	खाद्य तथा कृषि संगठन का प्रतिनिधिमंडल . .	३८८५
१२१९	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में रेलवे सवारी डिब्बों का निर्माण	३८८६
१२२०	स्थायी सिन्धु आयोग	३८८६
१२२१	पूर्वी क्षेत्र में सड़क और राजपथ . . .	३८८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५२०	भारत के पर्यटक	३८८७
२५२१	महाराष्ट्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . .	३८८७—९०
२५२२	मनीपुर और त्रिपुरा में कुष्ठ रोग पर नियंत्रण . .	३८९०
२५२३	महाराष्ट्र में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	३८९०
२५२४	विल्लुपुरम जंक्शन	३८९१
२५२५	उड़ीसा में ब्रांच डाक घरों के कर्मचारियों के लिये वेतन बिल	३८९१
२५२६	डाक सम्बन्धी स्टेशनरी	३८९१–९२
२५२७	नंगल बान्ध और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी .	३८९२
२५२८	उड़ीसा में पुल	३८९२–९३
२५२९	बम्बई पतन के लिये उपकरणों का आयात .	३८९३
२५३०	पंजाब में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनायें .	३८९३
२५३१	हिमालय प्रदेश में लिफ्ट पद्धति द्वारा सिंचाई	३८९४
२५३२	रेलवे में आम हड़ताल	३८९४
२५३३	पंजाब में मेडिकल कालिज . .	३८९५
२५३४	घातक अर्बुद . .	३८९५
२५२५	नौवहन भाड़े की दरें. . .	३८९५–९६
२५३६	ट्रेक्टरों के लिये विदेशी मुद्रा . . .	३८९६
२५३७	माल डिब्बों से कोयले की उतराई .	३८९६–९७
२५३८	उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण . .	३८९७
२५३९	उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण .	३८९७–९८
२५४०	आन्ध्र प्रदेश में मध्यम परियोजनायें . .	३८९८
२५४१	रेलवे प्रारंभिक पाठशाला, रायगादा . . .	३८९८

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५४२	अधिक प्रोटीन वाले खाद्य का कारखाना . .	३८९९
२५४३	मनीपुर में चावल की सहकारी मिलें . . .	३८९९
२५४४	इम्फाल में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर . .	३८९९–३९००
२५४५	रेडियो लाइसेंस	३९००
२५४६	उड़ीसा में विभागातिरिक्त डाकघर . .	३९००
२५४७	उड़ीसा में फल परिरक्षण एकक . .	३९००–०१
२५४८	तिरुवन्नमलाई का पर्यटन केन्द्र . . .	३९०१–०२
२५४९	भारतीय और पाकिस्तानी यात्रियों के बीच मुठभेड़ .	३९०२
२५५०	मद्रास राज्य में सिंचाई की बड़ी तथा मध्यम रियोजनायें .	३९०२–०३
२५५१	नागार्जुनसागर परियोजना . .	३९०३
२५५२	रेलवे नियम पुस्तकों का अनुवाद . .	३९०३
२५५३	उड़ीसा में सामुदायिक विकास खण्डों में गबन .	३९०३–०४
२५५४	उड़ीसा में उर्वरक का व्यापार	३९०४–०५
२५५५	त्रिपुरा को भेजे गए माल का करीमगंज (आसाम) में रोक रखा जाना	३९०५
२५५६	लमडिंग और बदरपुर के बीच रेल सेवायें . .	३९०५
२५५७	पठानकोट में रेलवे क्वार्टर . .	३९०५–०६
२५५८	हावड़ा संभलपुर पैसेंजर गाड़ी . .	३९०६

स्थगन प्रस्ताव	३९०६–०७

अध्यक्ष महोदय ने नई दिल्ली निर्वाचन-क्षेत्र से २ अप्रैल, १९६१ को होने वाले उप-चुनाव के सिलसिले में चुनाव आन्दोलन में स्थानीय प्रशासन के कथित हस्तक्षेप के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री एस० ए म० बनर्जी और के० टी० के० तंगामणि द्वारा दी गई थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३९०८

श्रीमती मैमूना सुलतान ने नवादा (बिहार) में रेलवे टिम्बर डिपो में आग लगने से कई हजार रुपये की इमारती लकड़ी के नष्ट हो जाने की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेल उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३९०८–०९

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :—

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिरक्षा सेवायें, १९६१ ।

(दो) वर्ष १९५९–६० के लिए प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे और उसका वाणिज्यिक परिशिष्ट ।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ नवम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच० (टी) १४-१६८-५८ की एक प्रति :

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३९०९

एक-सौ-पंद्रहवें और एक-सौ-सोलहवें प्रतिवेदन उपस्थापित किए गये ।

अनुदानों की मांगें	३९०९—५५

(क) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(ख) सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरंभ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घन्टे की चर्चा	३९५५—५७

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा ने बीज समर्थन निगम की स्थापना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या १३९७ के ९ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई ।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने वाद विवाद का उत्तर दिया ।

शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान और वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार ।

GIPND—LSIII—196(Ai)LSD—17-5-61—125.